सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2016-2017

भारत सरकार
Government of India

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law and Justice

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और मंत्रालय का संगठन	(i - iii)
2.	अध्याय – 1	विधि कार्य विभाग	1 - 54
3.	अध्याय – 2	विधायी विभाग	55 - 114
4.	अध्याय – 3	न्याय विभाग	115 - 161
5.	उपाबंध – I	विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट	162
6.	उपाबंध – II	विधि कार्य विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	163
7.	उपाबंध – III	शाखा सचिवालय कोलकाता द्वारा अधिवक्ताओं को दी गई व्यावसायिक फीस की राशि का विवरण	164
8.	उपाबंध – IV	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	165
9.	उपाबंध – V	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	166
10.	उपाबंध – VI	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	167
11.	उपाबंध – VII	विधायी विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	168 - 171
12.	उपाबंध – VIII	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों / भूतपूर्व सैनिकों / शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	172
13.	उपाबंध – IX	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	173
14.	उपाबंध – X-XI	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों / भूतपूर्व सैनिकों / शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	174
15.	उपाबंध – XII	न्याय विभाग का संगठन चार्ट	175

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वमतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि और न्यासय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्यावय विभाग सम्मिलित हैं। जहां तक न्याा‍य विभाग का संबंध है, उसका विवरण एक पृथक अध्यायय (अध्या्य III) में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है जबकि विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

मिशन

सरकार को एक दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनाना विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तारि, समावेशन और उत्कृयष्टिता लाने के लिए भारतीय विधि व्यववस्था में सुधार करना विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर–मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तररदायित्व और एक दृढ़ व्यायवसायिक आचार नीति पर ध्या्न केंद्रित करना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुकदमों की भारी तादाद (3.3 करोड़), उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तिंयां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाहराय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विशक स्तार पर प्रतिस्पर्धा के योग्यक बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई–शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।

- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात अधिवक्तो अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता1 कल्यानण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

अध्याय–I
विधि कार्य विभाग

1. कृत्य और संगठन

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य– मदों का आबंटन किया गया है :–

1. विधिक मामलों में मंत्रालयोंधविभागों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण–लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उन मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना ।
2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है ।
3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना ।
4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण–पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्पनरिक प्रबंध ।
5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और संपत्ति के हस्तांतरण–पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध किए गए वादों में वाद – पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना ।
6. भारतीय विधि सेवा ।
7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना ।
8. विधि आयोग ।
9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च

न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति ।

10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करनाय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्तिय भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश ।

11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन ।

12. आयकर अपीलीय अधिकरण ।

13. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण ।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया है:–

(क) अधिवक्तान अधिनियम, 1961

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001,

(घ) राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005?

1.2. यह विभाग विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय कर अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है। यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है । इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्तियों से भी संबद्ध है। विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को प्रोत्साहन देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान और भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान देता है ।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय । कार्य की प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है– सलाह कार्य और मुकदमा कार्य । विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट उपाबंध–1 में दिया गया है ।

(1) मुख्य सचिवालय:

(i) मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव,

संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण–लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में विभाजित किया गया है। साधारणतरू प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं।

(ii) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा–कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय संयुक्त् सचिव रैंक के एक आई.आर.पी.एस.अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिए तीन अपर सरकारी अधिवक्ता., दो उप सरकारी अधिवक्तार, दो सहायक सरकारी अधिवक्तान, एक अनुभाग अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं ।

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं ।

(iv) दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक सहायक विधि सलाहकार हैं ।

(v) विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्व्यन तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है । यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है। इस प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 से संबंधित कार्य और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है ।

(vi) संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक–एक पद क्रमशरू रेलवे बोर्ड और दूर–संचार विभाग में है और इन पदों के धारक उक्त कार्यालयों में ही बैठते हैं। वर्तमान में, एक उप विधि सलाहकार दूरसंचार विभाग में कार्य कर रहे हैं । संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक पद लोक उद्यम विभाग के लिए भी स्वीकृत है और पदधारी उक्त विभाग में माध्यस्थम् के स्थायी तंत्र की स्कीम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थ के तौर पर कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है । इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि अपर विधि सलाहकार, उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार भी हैं।

(2) भारतीय विधि सेवा का सृजन

समाज के विकास के साथ–साथ विधि व्यनवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है । समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए गए हैं । सरकार की आवश्यथकताओं को गुणात्मथक रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा (वर्तमान भारतीय विधि सेवा की पूर्ववर्ती सेवा) का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन विधि और न्यारय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सृजन किया। ये नियम दिनांक 1 अक्तूऔबर, 1957 से लागू हुए हैं। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयोंधविभागों को महत्व पूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों और अध्याभदेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्रक की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राजें को राज्यकपाल, संसद को महासचिव, मुख्यर निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त , उच्चक न्याायालयों को न्या याधीश और विभिन्नर अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को कई न्यानयिक अधिकारी दिए हैं।

(3) भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारत सरकार का प्रधान विधिक अंग होने के नाते भारतीय विधि सेवा के अधिकारियों ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है । डिजिटल क्रांति ने सूचना की अर्थव्यवस्था की शुरुआत की है तथा संपदा सृजन के नए क्षेत्रों को बल प्रदान किया है । हमारा विधिक ढांचा सूचना की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, इसके लिए उसकी जांच करना आवश्यक हो गया है। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

वे हमारे संवैधानिक आधारों को सुदृढ़ बनाने, उनमें विस्तार करने और उन्हें धूप–पानी से बचाने में काम आने वाले पत्थररों को तराशने की भूमिका निभाते हैं। निश्च य ही, वे सभी हमारे पवित्र और भव्यं संवैधानिक भवन के कुशल शिल्पी हैं।

3. सलाह 'क' अनुभाग

सलाह "क" अनुभाग में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से विभिन्न् मुद्दों पर विधिक सलाह और दस्ताअवेजों की विधीक्षा के लिए कुल 4092 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्तत सचिवों के

कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्तए निर्देशों सहित) प्राप्त हुए,जिन पर तत्प रतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयोंध्विभागों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्री यध्अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया ।

(2) विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त हुए सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित 65 मामलों पर भी कार्रवाई की गई।

(4) हस्तांतरण–लेखन से संबंधित 158 निर्देशों पर भी कार्रवाई की गई । इनमें कई मामले अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित थे।

(5) उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए 58 नोट और 79 निर्देश भी विधिक और संवैधानिक दृष्टि से जांच के लिए प्राप्त हुए।

4. सलाह 'ख' अनुभाग

सलाह 'ख' अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयोंध्विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्तागवेजों की विधीक्षा के लिए कुल 3572 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए, जिन पर तत्पंरतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई राय संबंधित मंत्रालयोंध्विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्ना राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

(2) विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्यं संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

(3) उपर्युक्तो अवधि के दौरान, विधिक तथा संवैधानिक दृष्टित से समीक्षा किए जाने के लिए 142 मंत्रिमंडल–नोट, एस.एल.पी./एजी/एसजी/एएसजी की राय से संबंधित 774 मामले और बैठकों के 85 नोटिस प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्तव सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित संसद–प्रश्नों और आश्वाएसनों से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई की गई।

5. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह अनुभाग केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है। उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से सभी विशेष अनुमति याचिकाएं/सिविल अपीलें, उन्हें फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं। इस समय इस कार्यालय का कार्य एक संयुक्त सचिव देखते हैं, जिन्हें कार्यालय का प्रभारी घोषित किया गया है और विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनकी सहायता के लिए नियमित आधार पर 6 सरकारी अधिवक्ता और अन्य राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित कर्मचारी हैं। यहां विधि अधिकारियों और वरिष्ठक अधिवक्ताओं की सहायता के लिए लगभग 6 सरकारी पैनल काउंसेल भी हैं।

(2) केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कार्य निम्नलिखित से संबंधित हैं:–

- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और अपर महॉसालिसिटरों की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त निर्देश।
- विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों /पैनल काउंसेलों को नियोजित करना।
- भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण।
- रिकार्ड, प्राप्ति तथा निर्गम अनुभाग, फीस बिल यूनिट, पर्सनल डिपॉजिट यूनिट, कंप्यूटर प्रकोष्ठ और प्रशासन प्रभाग का, जिसके अंतर्गत रोकड़ अनुभाग भी शामिल है, पर्यवेक्षण करना।

(3) वर्तमान में, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के सरकारी अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के अभिलेख–अधिवक्ता हैं। एक सेवानिवृत्त् सरकारी अधिवक्तान को, जो अभिलेख–अधिवक्ता हैं, परामर्शदाता के तौर पर नियोजित किया गया है। ये अधिवक्ता भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं।

(4) केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 2016 के दौरान, केंद्रीय

अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयोंधविभागों से 3468 नए मामले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्रों से 239 फाइलें प्राप्त हुईं। अधिकतर मुकदमे वित्त् मंत्रालय, केंद्रीय उत्पालद शुल्क, आयकर, रेलवे, रक्षा, केंद्रीय जांच ब्यूरो आदि से संबंधित हैं।

6. दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा–कार्य

भारत सरकार के रेल और आय–कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों / विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। मुकदमा कार्य की देखरेख एक भारसाधक अधिकारी द्वारा अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारियों की सहायता से की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे सामान्यसतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, विविध सिविल आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक आवेदन।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:–

बी0आई0एफ0आर0, ए0ए0आई0एफ0आर0, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, कंपनी लॉ बोर्ड, अवैध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम।

(2) मुकदमा कार्य दो अनुभागों – मुकदमा (उ0न्या0) अनुभाग 'ए' और 'बी' द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण् अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है। अनुभाग 'ए' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है। अनुभाग 'बी' माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गई रिट याचिकाओं और मूल / पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है। यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1 (ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों / अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

(3) केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा–सालिसिटर, नौ स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसेल,ज्येष्ठ काउंसेलों और सरकारी प्लीअडरों के पैनल हैं। सार्वजनिक महत्व के

और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा–सालिसिटर/भारत के अपर महा–सालिसिटर को नियोजित किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और काउंसेलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। उप विधि सलाहकार और अन्य अधिकारी मामलों की प्रगति के प्रत्येक क्रम पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

(4) वित्त वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में इस एकक को 12 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विधि अधिकारियों और सरकारी काउंसेलों के वृत्तिक फीस के लगभग 7500 बिल संदाय के लिए प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2017 तक 2500 फीस बिल और प्राप्त होने की संभावना है। दिसम्बंर, 2016 के अंत तक, 5.63 करोड़ रुपये के लगभग 6500 फीस बिल निपटाए गए हैं और संबंधित विधि अधिकारियों और काउंसेलों को उनका भुगतान किया गया है।

(5) दिनांक 1.4.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए 3871 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति और सरकारी काउंसेलों के नियोजन का अनुभागवार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

अनुभाग	1.4.2016 से 31.12.2016 तक प्राप्त मामलों की संख्या	01.01.2017 से 31.3.2017 तक प्रत्याशित मामले	योग
ए	3468	1150	4618
बी	403	135	538
कुल	3871	1285	5156

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा–कार्य

(6) मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ भारत संघ के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामलों / मुकदमों की देखरेख करता है और केंद्रीय

प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), नई दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसेल नामनिर्दिष्ट करता है।

(7) दिनांक 1.4.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 930 मामलों में सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा—कार्य

अनुभाग	1.4.2016 से 31.12.2016 तक प्राप्त मामले	01.01.2017 से 31.3.2017 तक प्रत्याशित मामले	योग
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	930	300	1230

मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी

(i) रेल और आय—कर विभाग को छोड़कर दिल्ली/नई दिल्ली में भारत सरकार के सभी मंत्रालयोंध्विभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमोंध्अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त न्यायालयोंध्अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल इस अनुभाग के प्रभारी उप विधि सलाहकार द्वारा अधीक्षक (विधि)/सहायक (विधि) की सहायता से की जाती है।

(ii) यहां ज्येष्ठ पैनल काउंसेलों/अपर केंद्रीय सरकारी काउंसेलों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें से मुकदमा लड़ने के लिए काउंसेलों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है। संबद्ध मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर मामले में न्यायालय में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपयुक्त काउंसेल नियोजित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 663 मामलों (पुराने और नए) में काउंसेल नियोजित किए। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों/काउंसेलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। दिनांक 31.12.2016 को जिला न्यासयालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता फोरमों में कुल 7931 मामले लंबित थे।

(iii) काउंसेलों से प्राप्त फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 417 फीस बिल प्राप्त हुए और काउंसेलों के वृत्तिक फीस बिलों के रुपये 4,29,1090/— का भुगतान किया गया। वित्त वर्ष 2016—2017 के लिए मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग के लिए कुल बजट रुपये 1,20,00000/— है।

(iv) न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों / अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निचला न्यायालय)

अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा0सू0के0) द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

(v) इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी सहायक विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है । इस अनुभाग का पर्यवेक्षण अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है।

7. न्यायिक अनुभाग

न्यायिक अनुभाग उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के मुकदमा–कार्य के व्यावस्थापन के लिए उत्तरदायी है। इसके कृत्यों में केन्द्रीय सरकार की ओर से मुकदमा कार्य के संचालन के लिए भारत के महान्यायवादी, भारत के महा–सालिसिटर और अपर महा–सालिसिटरों व सहायक महा–सालिसिटरों और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरणों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और कुछ राज्यों में उपभोक्ता फोरमों में केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई करना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जांच आयोगों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिककल्प प्राधिकरणों आदि के समक्ष मामलों के संचालन के लिए मंत्रालयों और विभागों की ओर से विधि अधिकारियों तथा अन्य काउंसेलों को नियोजित करना है। इसके कृत्यों में, मामलों के संचालन के लिए उनके निबंधनों तथा शर्तों को तैयार करना और उन्हें तय करना भी है। न्याचयिक अनुभाग भारत सरकार के विभिन्न विभागों और निजी पक्षकारों के बीच विवादों में मध्य स्थल के नामांकन के लिए भी जिम्मेदार है।

(2) यह अनुभाग, कानूनी आदेश जारी करने के लिए, जैसे कि सा0का0नि0 167 के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 1 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध रिट कार्यवाहियों में या सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वादों में वाद–पत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करने हेतु आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह अनुभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन भारत के राष्ट्रापति की ओर से संविदाओं और करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत भी करता है।

(3) यह अनुभाग सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालय की डिक्रियों का निष्पाकदन, भरण–पोषण के आदेशों का प्रवर्तन और भारत में निर्वसीयत निधन होने पर विदेशियों की संपदाओं का प्रशासन करने के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करने का कार्य भी कर रहा है।

(4) भारत ने वर्ष 2007 में सिविल व वाणिज्यिक मामलों में विदेशों में न्यायिक व न्यायेतर दस्तावेजों की तामील के बारे में हेग कंवेंशन को तथा सिविल व वाणिज्यिक मामलों में विदेशों में साक्ष्य लेने के हेग कन्वेंशन को अपनी सहमति प्रदान की है। इन दोनों कंवेंशनों के लिए विधि और न्याय मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण है। न्यायिक अनुभाग उक्त कंवेंशनों के अधीन विदेशों से प्राप्त समनों/नोटिसों की न्यायिक प्राधिकरणों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को तामील से संबंधित कार्य करता है। न्यायिक अनुभाग देश के न्यायिक प्राधिकरणों से जारी किए जाने वाले समनों/नोटिसों को तामील के लिए विदेशों के केंद्रीय प्राधिकरणों को अग्रसारित करने का कार्य भी करता है।

(5) उक्त अवधि के दौरान, एक विधि अधिकारी (अपर महा सालिसिटर) भारत के उच्चतम न्यायालय में और एक सहायक महा सालिसिटर श्रीनगर स्थित जम्मूर और कश्मीर उच्च न्याययालय में नियुक्त किया गया। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय में 24 पैनल काउंसेल (12 समूह "क", 9 समूह "ख" और 3 समूह "ग") नियुक्त किए गए। उक्त अवधि के दौरान, भारत के विभिन्न न्यायालयों /अधिकरणों में निम्नलिखित पैनल काउंसेल भी नियुक्तर किए गए:

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	न्याययालय / अधिकरण			
		उच्चय न्यायालय	केंद्रीय अभिकरण अनुभाग	ए0एफ0टी0	जिला न्यायालय
1	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	07		2 (चेन्नै पीठ)	01
2	बिहार		01		08
3	दिल्ली	12	02		03
4	झारखंड	01			
5	कर्नाटक	01			65
6	केरल			13	
7	ओडीशा				148
8	पंजाब और हरियाणा	02		02	89
9	राजस्थान	01		02	
10	तमिलनाडू	01	01		122
11	उत्तराखंड	01			
12	उत्तर प्रदेश	10	05	01	151
	योग	**36**	**09**	**20**	**587**

6. विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ने माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 44(ख) के अधीन अफगानिस्तान के साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि की। इसके अतिरिक्त, विधि कार्य विभाग वर्ष 1965 के हेग कन्वेंशन के अधीन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विदेशों के साथ न्यायिक और न्यायतर दस्तावेजों की तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण भी है। इस दायित्व के अधीन, लगभग 900 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई । इसके अतिरिक्त, भारत सिविल और वाणिज्यि क मामलों में विदेशों में साक्ष्यम लेने के कन्वेंशन का भी एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिस पर दिनांक 18 मार्च, 1970 को हस्ताक्षर हुए थे। इस कन्वेंशन पर अब तक 82 हस्ताक्षरकर्ताओं (81 देश और एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन) ने हस्ताक्षर किए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, उक्त कन्वेंशन के अधीन प्राप्त हुए 6 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई।

8. नोटरी सेल

(1) नोटरी सेल नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 का प्रशासन करता है। नोटरी सेल देश में नोटरियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों/आवेदनों की जांचः संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किए गए वृत्तिक और अन्य अवचारों के आरोपों की जांच भी करता है। नोटरी सेल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल नोटरी से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, उपयुक्त मामलों में, व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार भी प्रदान करता है।

(2) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात इन राज्यों और संघ राज्यम क्षेत्र चंडीगढ़ में नोटरियों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार लिए गए। परिणामस्वरूप, जनवरी 2016 से दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान लगभग 1984 अधिवक्ताओं/आवेदकों को नोटरी नियुक्त किया गया है। अब तक देश के विभिन्न भागों में 13000 नोटरी नियुक्ति किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इस दौरान नोटरियों के 1350 प्रमाण–पत्रों का नवीकरण किया गया है।

9. कार्यान्वयन सेल

(1) विधि शिक्षा और विधि व्यवसाय के अलावा, यह सेल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 के प्रशासन से भी संबद्ध है।

अधिवक्ता अधिनियम,1961, भारत की संसद द्वारा विधि व्यवसाय संबंधी कानून को संशोधित और समेकित करने के लिए तथा बार काउंसिलों और एक अखिल भारतीय बार के गठन के लिए दिनांक 19.05.1961 से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को अधिनियमित किया गया है।

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001: अधिवक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिए और उनसे संबंधित मामलों हेतु एक कल्याण निधि का गठन करने के लिए भारतीय संसद द्वारा दिनांक 14.09.2001 से अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को अधिनियमित किया गया है।

(2) दिनांक 01.12.2016 तक भारत का विधि आयोग 263 रिपोर्टें प्रस्तुात कर चुका है जिनमें से 262 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी हैं। चूंकि भारत के विधि आयोग ने रिपोर्ट संख्या 263 हाल ही में दिनांक 17.10.2016 को प्रस्तुत की है, इसे उचित समय में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दिसंबर, 2016 तक प्राप्त सभी रिपोर्टें जांच/कार्यान्वदयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित की जा चुकी हैं।

(3) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की संस्तुतियों के अनुसरण में कार्यान्वायन कक्ष वर्ष 2005 से विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिुति दर्शित करने वाला एक वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता आ रहा है। ऐसा 12वां वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के पटलों पर दिनांक 7.12.2016 को लोक सभा में और दिनांक 9.12.2016 को राज्य सभा में रखा गया।

10. सूचना का अधिकार (आरटीआई) सेल

आरटीआई सेल विधि कार्य विभाग से संबंधित आरटीआई अनुरोधों, प्रथम अपीलों और द्वितीय अपीलों पर कार्रवाई करता है।

क्र.सं.	आरटीआई मामले	कुल (1.4.2016 से 31.12.2016)
1.	कुल आर.टी.आई. अनुरोध	1400
2.	प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपीलें	25
3.	माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें	19
4.	ऑनलाइन प्राप्त कुल अनुरोध	4417

11. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग विधि और न्याय मंत्रालय की कानूनी पुस्तकों/जर्नलों और अन्य शोध सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। यह अनुभाग अपने प्रयोक्ताओं को संदर्भ और विधिक अनुसंधान सेवा प्रदान करता है।

(2) इस वर्ष पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने संदर्भ के लिए 327 पुस्तकें और विधि के जर्नलों के अनुमानतः 720 खंडों की खरीद की और उनकी जिल्दबंदी करवाई।

(3) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग विधि के 19 भारतीय जर्नल और 3 विदेशी जर्नल मंगाता है।

(4) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के उपयोग के लिए निर्णय विधि, निर्णयों, आलेखों आदि के सुलभ संदर्भ के लिए निम्नलिखित सीडी रोम/ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त की हैं:–

(क) ए0आई0आर0 कॉम्बोक डीवीडी (अपडेट्स) उच्चसतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, क्रिमिनल लॉ जर्नल (1950–2014)

(ख) एससीसी ऑनलाइन केस फाइंडर

(ग) एससीसी ऑनलाइन वेब (आई0पी0) सर्विसेज

(घ) मनुपात्र डॉट काम ऑनलाइन (आई0पी0) सर्विसेज

(ङ) वेस्ट लॉ इंडिया ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज

(च) सी.एल.ए. ऑनलाइन

(छ) लेक्सिस नेक्सि स ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज

12. विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं : –

(क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचना:

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर में, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी हैं, सभी संसूचनाओं के प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिनांक 25.7.1989 को जारी किए गए थे। इस बाबत अनुदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने के लिए प्रतिवर्ष पुनः जोर दिया जाता है।

(ख) हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजनः

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2016 को ''हिन्दी दिवस'' मनाया गया। माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय राज्य मंत्री, विधि सचिव और राजभाषा अधिकारी ने अपने–अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की। माननीय गृह मंत्री जी और मंत्रिमंडल सचिव के संदेशों को भी विभाग और उसके कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 1.9.2016 से 30.9.2016 तक श्हिन्दी माहश्‌ का आयोजन किया गया। इसे दो उद्देश्यों, अर्थात् (क) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, और (ख) हिन्दी में अधिकतम कार्य करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान 7 प्रतियोगिताओं अर्थात् ''हिन्दी निबंध प्रतियोगिता,'' ''हिन्दी टंकण प्रतियोगिता'', ''हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता'', "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," ''अनुवाद प्रतियोगिता'', "श्रुतलेख प्रतियोगिता" (समूह 'घ' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए), और "हिन्दी कामकाज प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 91 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 82 सफल प्रतियोगियों को शीघ्र ही आयोजित होने वाले एक समारोह में विधि सचिव द्वारा 65,800/–रु0 के नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। विभाग के शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

ग) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का सृजन :

(i) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच–बिंदु (आठ) सृजित करने के लिए दिनांक 16.11.1994 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच–बिन्दुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।

(ii) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारिवृन्द हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके

दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाने से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्यं निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।

(iii) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में सुसंगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। दिन–प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग के सभी अनुभागों को अंग्रेजी–हिंदी शब्दावलियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(iv) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार–बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित किया गया और उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। सभी मानक प्रारूपों को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जा चुका है ताकि कर्मचारिवृन्द बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है । सेवा–पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।

(v) विभाग के सभी 300 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को दिए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।

(vi) विभाग और इसके कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान की जाती है।

(vii) संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने दिनांक 21 जनवरी, 2016 को आयकर अपीलीय अधिकरण के चेन्नै पीठ में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग का निरीक्षण किया। निरीक्षण बैठक में श्री टी.एन.तिवारी, अपर सचिव एवं राजभाषा अधिकारी और श्री विजय सिंह मीणा, उप निदेशक (राजभाषा) ने विधि कार्य विभाग का प्रतिनिधित्व किया। संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(viii) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में, राजभाषा से संबंधित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए विभाग के अनुभागों, शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठ आदि विभाग के प्रशासनिक नियत्रंणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए विभाग में राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल गठित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उप निदेशक(रा.भा.) ने दिनांक 16 और 17 मई 2016 को आयकर अपीलीय अधिकरण के चंडीगढ स्थित पीठ का राजभाषायी निरीक्षण किया है।

(ix) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 8 भागों में की गई सिफारिशों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(x) विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रुप से आयोजित की जाती हैं। विभाग के राजभाषा अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और उप सचिव (प्रशा0), सभी अवर सचिव, और सभी अनुभाग प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य–सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाता है। समिति की पिछली बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को हुई थी।

(xi) दिनांक 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ब्यौरा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पहलू भी है, उपाबंध–।। और उपाबंध–।।। में दिया गया है।

13. शाखा सचिवालय, कोलकाता

वर्ष 2016–17 के दौरान, शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रभारी जून, 2016 तक एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता और तदुपरांत एक अपर सरकारी अधिवक्ता थे। शाखा सचिवालय, कोलकाता का कार्यालय द्वितीय और तृतीय तल, मिडिल बिल्डिंग, 11, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता –700001 में स्थित है। इस शाखा सचिवालय में आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, मुकदमा, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणधनिचला न्यायालय, प्रशासन, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसेल फीस बिल और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग। इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में एक पुस्तकालय है, जिसमें 9000 से अधिक पुस्तकें हैं। यह पुस्तूकालय अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में चल रहा है।

(2) शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों शाखाओं से संबंधित सभी मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय कलकत्तो उच्चो न्याायालय और पोर्ट ब्लेयर स्थित उसके सर्किट बेंच में तथा 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्नय उच्च न्याययालयों और अन्यर न्यायालयों व फोरमों में भारत संघ के मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कोलकाता न्यायपीठ के साथ–साथ कटक, गुवाहाटी, पटना स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अन्य न्यायपीठों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सर्किट न्यायपीठों के समक्ष केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। इसके अलावा, संबंधित विभागों से विनिर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सीजीआईटी, सीईएसटीएटी, राज्य आयोग, जिला फोरम, डीआरएटी, डीआरटी, निम्न न्यायालय आदि विभिन्न अधिकरणों/न्यासयालयों के समक्ष और माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थों के समक्ष उपस्थित होने के लिए पैनल काउंसेलों को भी नियोजित किया जाता है।

(3) इस शाखा सचिवालय का सलाह खंड आय–कर विभाग, रेल, सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद–शुल्क, राजस्व आसूचना, फेमा/फेरा, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों को, जिनके कार्यालय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में स्थित हैं, और कार्रवाई का कारण कोलकाता में उत्पन्न होने या मुख्यालय (उदाहरण के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड) कोलकाता में होने के कारण पूर्वी क्षेत्र से बाहर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को भी, संबंधित विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है और उनके मुकदमा कार्य का संचालन करता है।

(4) वर्ष 2016–17 के दौरान, सलाह खंड में दिसम्बर, 2016 तक केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सलाह के लिए कुल 871 निर्देश प्राप्त हुए। इसके अलावा, अनुमान है कि वर्ष 2016–17 के अंत तक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों और निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या लगभग 1200 होगी। यह शाखा सचिवालय विभिन्न न्यादयालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल किए जाने वाले अभिवचनों, करारों/संविदाओ की विधीक्षा भी करता है।

(5) मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXVII के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलेख–अधिवक्ता और सरकारी अभिवक्ता के तौर पर कार्य करते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियोजित किए गए पैनल काउंसेल के माध्याम से मामले पर सुनवाई बहस करवाते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण मामलों में अपर महासालिसिटर उपस्थित हुए और उसमें उनकी सहायता शाखा सचिवालय द्वारा नियोजित पैनल काउंसेल ने की।

(6) वर्ष 2016–17 के दौरान, वरिष्ठऔ सरकारी अधिवक्ताा (जून,2016 तक), एक अपर सरकारी अधिवक्ता और तीन कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं ने भारत संघ की ओर से कोलकाता उच्च न्यानयालय में अभिलेख अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया और वे न्यायालय में सरकारी अभिवक्ता के तौर पर भी उपस्थित हुए। तीन सहायक विधि सलाहकारों ने सलाह और मुकदमा कार्य की देखरेख की।

(7) वर्ष 2016–17 के दौरान, दिसंबर, 2016 तक शाखा सचिवालय, कोलकाता के मुकदमा प्रभाग द्वारा प्राप्तक और संचालित उच्चर न्या यालय के मामलों की कुल संख्या 2211 है और उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों (कुछ मामले पिछले वर्षों के भी थे) की संख्या 2569 है। जनवरी से मार्च, 2017 के दौरान निपटाए जाने वाले संभावित मामलों की संख्या लगभग 700 होगी। इसी प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता में वर्ष 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक) सेवाओं के नियोजन हेतु प्राप्ति मामलों की संख्याल 576 है और वर्ष 2016–17 के अंत तक ऐसे मामलों की कुल संख्या 2 लगभग 700 होने का अनुमान है। वर्ष 2016–17 में (दिसंबर, 2016 तक) माध्यस्थल मामलों सहित निपटाए गए न्यायालयों के मामलों की संख्या 268 थी और यह अनुमान है कि 2016–17 की शेष अवधि के दौरान लगभग 35 और मामले प्राप्त हो सकते हैं। शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा संचालित किए गए मुकदमों का तुलनात्मक विश्लेषण उपाबंध–IV में दिया गया है।

(8) शाखा सचिवालय, कोलकाता में आरटीआई मामलों को देखने के लिए अपील प्राधिकारी (अपर सरकारी अधिवक्ता), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान दिसम्बर, 2016 तक कुल 5 आरटीआई आवेदन और एक अपील प्राप्त हुई, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर विधिवत निपटा दिया गया।

(9) वर्ष 2016–17 के दौरान, पैनल काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत किए गए वृत्तिक फीस बिल के दावों पर शीघ्रता से कार्रवाई की गई और काउंसेलों की वृत्तिक फीस के संदाय के लिए 4,00,00,000/– रुपए के स्वीकृत संशोधित प्राक्कललन में से दिसम्बर 2016 तक कलकत्ता् उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 2,78,28,710/– रुपए (दो करोड़ अट्ठहत्तर लाख अट्ठाईस हजार सात सौ दस रूपये केवल) का भुगतान किया गया है। पैनल काउंसेलों को दी गई फीस का विवरण उपाबंध–V में दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है।

(10) इस शाखा सचिवालय में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की सहायता से हिंदी अनुभाग कार्य कर रहा है। इस सचिवालय में सितम्बुर, 2016 में हिंदी दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। अब तक लगभग 64 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है । आशा की जाती है कि वर्ष 2019 तक स्टाफ के सभी सदस्य् ऐसे पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण को पूरा कर लेंगे ।

(11) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा विकसित 'कोसा' नामक एक नये सॉफ्टवेयर से शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के वेतन बिलों को तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक कार्य पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, स्रोत पर काटे गए आयकर की त्रैमासिक विवरणियों को इलैक्ट्रानिक मीडिया में तैयार किया जा रहा है और फ्लापियों/सीडी में उन्हें टीआईएन सुविधा केंद्र के माध्यम से आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में आयकर प्राधिकारी द्वारा एक नया फार्म–24जी शुरू किया गया है, जिसे स्रोत पर कर काटे जाने के अगले महीने की 10 तारीख तक इस विभाग द्वारा भरकर इलैक्ट्रानिक फार्मेट में जमा किया जाना होता है। एनआईसी, नई दिल्लीा द्वारा तैयार किए गए "पीएफएमएस" का प्रयोग करते हुए व्यय का साप्ताहिक विवरण भी तैयार किया जाता है और वेतन और लेखा कार्यालय को ऑनलाइन भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के भुगतान की जानकारी भी गवर्नमेंट एकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम (जीएएमएस) का प्रयोग करते हुए सम्पदा निदेशालय को ऑनलाइन भेजनी होती है। वर्तमान में शाखा सचिवालय, कोलकाता में 37(सैंतीस) पर्सनल कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रत्येक अनुभाग/अधिकारी के कक्ष में लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराया गया है। अब यहां के लगभग सभी कम्प्यूटरों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

(12) शाखा सचिवालय, कोलकाता का पुस्तकालय अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में संचालित है, जिसमें 9000 से अधिक पुस्तकें हैं। यह मुकदमा–कार्य और सरकारी विभागों को सलाह के काम में बहुत मददगार है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन विधि पुस्तकालय 'मनुपात्र' और 'सीडीजे लॉ जर्नल' की सुविधा भी मुहैया कराई गई है।

(13) शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के लिए दिनांक 12 अप्रैल, 2011 से एक बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था शुरू है। इसके अतिरिक्त, अब आधार आधारित बॉयोमैट्रिक प्रणाली भी सफलतापूर्वक शुरू की गई है।

(14) शाखा सचिवालय, कोलकाता में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा विकसित "लिम्ब्स" सॉफ्टवेयर को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। एक बार इस सॉफ्टवेयर में डाटा उपलब्ध करा दिए जाने पर मामलों को ऑनलान देखा जा सकता है और अधिवक्ताओं और विभागों को निदेश आदि ऑनलाइन दिए जा सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर मुकदमेबाजी की लागत को कम करने और मामले पर निगरानी रखने में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। इस संबंध में यह भी बताया जाता है कि कागजी कार्य को कम करने रिकार्ड व मुकदमों के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शाखा सचिवालय, कोलकाता ने उच्च न्यायालयों से संबंधित 2005 के आगे के मामलों की सूची को विभिन्न अनुभागों में उपलब्ध कम्प्यूटरों में डाला गया है।

(15) शाखा सचिवालय, कोलकाता में 21 जून, 2016 को पूरे उत्साह के साथ विश्व योग दिवस मनाया गया।

(16) शाखा सचिवालय, कोलकाता में एक नियमित प्रक्रिया के तौर पर स्वतच्छथता अभियान चल रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता में स्वच्छतता अभियान और पुराने रिकार्डों की छंटाई के पर्यवेक्षण के लिए सहायक विधि सलाहकार की अध्य्क्षता में एक समिति का गठन किया गया है। शाखा सचिवालय, कोलकाता में जनवरी, 2016 के दौरान "शाखा सचिवालय, कोलकाता में हितधारकों को अधिकतम कारगर सेवा प्रदान करना" और "स्वच्छता पर जन–जागरूकता" विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित की गईं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए व्यापक मरम्मत कार्य तथा स्वयच्छीत अभियान चालू होने के कारण यह शाखा सचिवालय कुछ और स्वाच्छ और सुंदर हो गया है और कार्यालय परिसर को और अधिक स्वच्छू/सुंदर बनाने के प्रयास जारी हैं।

14. शाखा सचिवालय, मुंबई

वर्तमान में, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के मुंबई स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक वरिष्ठव सरकारी अधिवक्ता हैं। उनके साथ वहां दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो सहायक विधि सलाहकार, एक अधीक्षक (विधि), एक अनुभाग अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं। इस बारे में केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन दायित्वों के समयबद्ध कार्यान्वनयन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें कामकाज, कर्तव्यों, संगठन आदि के बारे में निम्नानुसार दर्शाया गया है:–

(1) **संगठन:**– जहां तक मुंबई शाखा सचिवालय के कार्य का संबंध है, इसमें विधिक सलाह देना, बंबई उच्चह न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख, संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख और शाखा सचिवालय का प्रशासनिक कार्य शामिल है।

शाखा सचिवालय, मुंबई के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। वरिष्ठी सरकारी अधिवक्ता को शाखा सचिवालय के प्रशासनिक, मुकदमा और सलाह के मामलों की देखरेख करने में अपर सरकारी अधिवक्ता, अपर विधि सलाहकार, सहायक विधि सलाहकार और अधीक्षक (विधि) सहायता देते हैं। अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक मामलों और लेखा के काम की देखरेख में वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता की मदद करते हैं।

इसके अतिरिक्त शाखा सचिवालय के कार्य के सुचारू संचालन के लिए उसे अलग–अलग अनुभागों में विभाजित किया गया है अर्थात सलाह अनुभाग, मूल मुकदमा अनुभाग, जिसमें विविध सिविल रिट याचिकाओं, फेरा/फेमा, डीजीएफटी, एसएएफईएमए के मामलों, मुकदमों, माध्यस्थम मामलों और भूमि अधिग्रहण संबंधी निर्देश के संबंध में कार्रवाई की जाती है तथा अपील मुकदमा अनुभाग, जिसमें दंड विधि से

संबंधित विविध सिविल रिट याचिकाओं और मुकदमों से संबंधित कार्रवाई की जाती है। इस शाखा सचिवालय में प्रत्येंकि अनुभाग के प्रमुख एक वरिष्ठब अधिकारी हैं और उनकी सहायता एक अधिकारी करते हैं।

कर्तव्यों का निर्वहन करने में अधिकारियों की सहायता एक सहायक (विधि), सहायक अनुभाग अधिकारी, प्रधान निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क और कोर्ट क्लर्क करते हैं।

(2) **कृत्य और कर्तव्य :–** शाखा सचिवालय, मुंबई केंद्रीय सरकार के विभिन्नन विभागोंध्मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विभिन्ने विधिक मामलों पर विधिक सलाह देता है और बंबई उच्च/न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अन्य अधिकरणों और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्याकयालयों में केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य का संचालन करता है। यह संपूर्ण कार्य प्रभारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता के मार्ग–निर्देशन में इस शाखा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(3) **विधिक सलाहः** भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्ति निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पिश्चात उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार को कार्रवाई के लिए देते हैं। यदि जरूरी हुआ तो, सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए भी भेजे जाते हैं।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए 2615 मामले प्राप्त हुए हैं और शाखा सचिवालय ने लगभग सभी मामलों का निपटान कर दिया है और आज की तारीख में कोई भी मामला लंबित नहीं है।

(4) **मुकदमाः** इस शाखा सचिवालय के मुकदमा कार्य के प्रधान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। उनकी सहायता के लिए अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार और अधीक्षक (विधि) हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है। जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बम्बई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत सरकार के पैनल पर रखे गए नियुक्त अधिवक्ताओं/काउंसेलों के और विभिन्न न्यापयालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विभिन्न पैनलों पर रखे गए अन्य काउंसेलों के माध्यम से किया जाता है।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय में विभिन्न् मुकदमों से संबंधित लगभग 4139 मामले

प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों: विभागों के माध्याम से काउंसेल नियुक्त किए गए और उच्च न्या्यालय के समक्ष मुकदमों के लगभग 1402 मामले निपटाए गए हैं।

(5) **प्रशासन :** शाखा सचिवालय, मुम्बगई के प्रशासन के प्रमुख वरिष्ठ‍उ सरकारी अधिवक्ता हैं। शाखा सचिवालय के दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उनकी सहायता के लिए एक अनुभाग अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी है।

(6) **राजभाषा:** इस शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता 'विभागीय राजभाषा अधिकारी' के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चिवत करने के लिए कार्य करते हैं। शाखा सचिवालय में गठित राजभाषा समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:–

1.	**श्री पंकज कपूर, वरिष्ठा सरकारी अधिवक्ता**	**अध्यक्ष**
2.	**श्री ए.ए.अंसारी, अपर सरकारी अधिवक्ता**	**कार्यकारी अध्यक्ष**
3.	**श्री नीरज कुमार, सहायक विधि सलाहकार**	**समन्वकयक**
4.	**श्री अनूप कुमार, सहायक (विधि)**	**कार्यकारी सदस्य**
5.	**श्रीमती उषा वी.सैलिअन, वैयक्ति सहायक**	**कार्यकारी सदस्य**
6.	**श्रीमती वैशाली कर्माले, एमटीएस**	**कार्यकारी सदस्य**

उपर्युक्त समिति प्रभारी अधिकारी को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत कर रही है।

15. शाखा सचिवालय, चेन्नै

चेन्नै स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

(1) सलाह: यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। दिनांक 1–4–2016 से 31–12–2016 तक की अवधि के दौरान, सलाह के लिए लगभग 895 निर्देश प्राप्त हुए और निपटाए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 की शेष अवधि के दौरान सलाह के लिए लगभग 350 निर्देश और प्राप्त होने की संभावना है ।

(2) मुकदमा कार्य : – शाखा सचिवालय, चेन्नै मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, दूरसंचार, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है। यह तमिलनाडु और केरल में

नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों आदि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नै को चेन्नै स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है।

दिनांक 1.4.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 6016 मामले प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालयध्सी ए टी/एल सी आदि की आवतियां, फीस बिल और खोली गई फाइलें भी शामिल हैं तथा चालू वित्ती वर्ष के दौरान अगले तीन महीने की शेष अवधि में मुकदमों से संबंधित लगभग 1500 और मामले प्राप्त होने का अनुमान है।

शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी विधीक्षा की जाती है। शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में, काउंसेलों का नामांकन/नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसेल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है।

(3) **काउंसेलों के फीस बिल** : यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ पैनल काउंसेल और केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेलों को सीधे अपनी केन्द्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है। केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

(4) **प्रकीर्ण** : रिपोर्ट की अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन विभिन्न आवेदन, अपीलें और मुकदमों के संबंध में अन्य पत्र/निर्देश आदि भी प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया।

(5) **महिला कर्मचारीः**– इस कार्यालय में 8 महिला कर्मचारी हैं, अर्थात एक उप विधि सलाहकार, एक अधीक्षक (विधि), दो वैयक्ति सहायक (सीएसएसएस), एक वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क और दो सहायक अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) तथा एक सहायक(विधि)।

(6) **निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारियों के आंकड़ेः**– सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा विभिन्न प्रवर्गों के 9 कर्मचारी हैं, अर्थात अनुसूचित जाति–04, अनुसूचित जनजाति– 01, अन्य पिछड़ा

वर्ग–03, पूर्व सैनिकध्अन्य पिछड़ा वर्ग–01।

16. शाखा सचिवालय, बंगलूरू

शाखा सचिवालय, बंगलूरू की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है। शाखा सचिवालय, बंगलूरू के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

(1) **सलाह** : शाखा सचिवालय, बंगलूरू, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। चालू वर्ष अर्थात् 2016–2017 के दौरान सलाह के लिए लगभग 861 निर्देश प्राप्त हुए और उन सभी का निपटान दिनांक 31.12.2016 तक कर दिया गया। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरू तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति शपथपत्रों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किए जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति–शपथपत्रों, प्रति–विवरणों और उनके विभिन्नस पाठों की जांच और उनकी विधीक्षा करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार–विमर्श करना आदि कार्य किए जाते हैं।

(2) **मुकदमा कार्यः** यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में और उसके धारवाड़ व गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों में और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तथा बंगलूरू नगर, हैदराबाद व सिकन्दराबाद में अधीनस्थ न्यायालयों और दोनों राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है। यह शाखा सचिवालय दोनों राज्यों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है। चालू वर्ष 2016–17 के दौरान, मुकदमों से संबंधित लगभग 6278 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेलों के नामनिर्देशन, काउंसेलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल है। इस संबंध में शाखा सचिवालय द्वारा किए गए कार्यों में दिनांक 31.12.2016 तक केंद्रीय सरकारी काउंसेलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा उनके बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है ।

(3) **काउंसेलों के फीस के बिलः** यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस के बिलों पर स्वयं कार्रवाई

करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में भारत के सहायक महासालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसेल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है । जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसेल की फीस शाखा सचिवालय, बंगलूरू द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से मुकदमे का संचालन किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल कांउसेलों की फीस का भुगतान संबंधित विभाग करते हैं। अतः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है।

(4) **भारत के अपर महासालिसिटर के कार्यालय की स्थापनाः** भारत सरकार ने श्री के.एम. नटराज, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रभुलिंग के. नवादगी, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 8 अप्रैल, 2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः दक्षिणी जोन के लिए और कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत के अपर महासालिसिटर के पद पर नियुक्ति किया है। भारत के ये दोनों अपर महासालिसिटर बंगलुरू में रहते हैं। इन अधिकारियों के कार्यालय माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के परिसर में स्थित हैं।

(5) **लेखा परीक्षा का पैराः** शाखा सचिवालय, बंगलूरू के संबंध में कोई लेखा परीक्षा पैरा लंबित नहीं है।

17. भारत का विधि आयोग

दिनांक 1 सितंबर, 2015 से 31 अगस्त, 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 21वें विधि आयोग का गठन किया गया है। आयोग में निम्नआलिखित सम्मिनलित हैं:–

अध्यक्ष	न्यायमूर्ति डॉ0 बी0एस0चौहान
सदस्य	न्यायमूर्ति रवि आर.त्रिपाठी
सदस्य	प्रॉ0 (डॉ0) एस. शिवकुमार
सदस्य–सचिव	डॉ0 संजय सिंह
सचिव, विधि कार्य विभाग सदस्य (पदेन)	श्री सुरेश चंद्र
सचिव, विधायी विभाग सदस्य (पदेन)	डॉ0 जी0 नारायण राजू
सदस्य (अंशकालिक)	डॉ0 बिमल एन0 पटेल
सदस्य (अंशकालिक)	श्री एस0पी0जैन
सदस्य (अंशकालिक)	श्री अभय भारद्वाज

(2) 21वें विधि आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं–

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन :

(i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गई हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।

(ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

(iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/संशोधन के सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।

(v) एक से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्यायय मंत्रालय के माध्यम से किए गए निर्देशों पर विचार करना।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता :

(i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक – आर्थिक विधानों के लिए पश्च–संपरीक्षा करना।

(ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :–

(i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

ङ लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना।

च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।

छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।

झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भजे गए हों, पर विचार करना।

ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(3) विधि आयोग ने उसे सौंपे गए विचारार्थ विषयों के अनुसरण में और उच्च्तम न्यायालय और उच्च न्यातयालयों के निर्देश पर विधिक सुधारों की विभिन्नव परियोजनाओं को हाथ में लिया है।

(4) राष्ट्रीय वाद नीति की जांच के अतिरिक्तर, विधि आयोग ने केंद्र सरकार को निम्नेलिखित दो रिपोर्टें विचारार्थ प्रस्तु त की है :–

(i) रिपोर्ट सं0 263 / "प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन (इंटर–कंट्री रिमूवल एंड रिटेंशन) बिल, 2016"

(ii) रिपोर्ट सं0 264 / "दंड विधि (संशोधन), विधेयक, 2017 (खाद्य अपमिश्रण से संबंधित उपबंध)"

(5) इसके अतिरिक्त, विधि आयोग दांडिक न्याय प्रणाली, जमानत की व्यापपक समीक्षा राजद्रोह कानून विद्वेष भाषण अधिवक्ता अधिनियम अधिकरणों के आदेशों से सीधे उच्च्तम न्यायालय में सांविधिक अपीलों पर विचार एकसमान सिविल कोडय सट्टा और दांव लगाने का विनियमितीकरण और बीसीसीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाने जैसे अन्य कानूनी सुधारों की विभिन्न परियोजनाओं की भी जांच कर रहा है।

(6) सूचना का अधिकारः

अपील प्राधिकारी	**डॉ.(श्रीमती) पवन शर्मा, संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी**
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (विधि)	**श्री ए.के.उपाध्याय, अपर विधि अधिकारी**
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (प्रशा.)	**श्री कुलदीप कुमार, अवर सचिव**
वर्ष के दौरान निपटाई गई आरटीआई की संख्या	**100**
वर्ष के दौरान आरटीआई अपीलों की संख्या	**9**

18. भारतीय विधि संस्थातन (आईएलआई)

प्रस्तावनाः भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) देश का एक प्रमुख विधिक शोध संस्थान है। इसकी स्थाापना वर्ष 1956 में हुई थी। संस्थान के उद्देश्य हैं – विधि के विज्ञान का विकास करना, विधि को सामाजिक–आर्थिक विकास और लोगों की आवश्कताओं से जोड़ने के लिए विधिक शोध के क्षेत्र में उच्च्च अध्ययन को बढ़ावा देना, विधि की प्रणालीबद्धता को सुनिश्चित करना, विधि शिक्षा के क्षेत्र में अन्वेषण करना और उसे प्रोत्साहित करना तथा किए गए अध्ययनों को पुस्तकों के रूप में और पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इसके पदेन अध्यक्ष हैं। इस संस्थान को वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

अकादमिक कार्यक्रमः वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोधपरक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया। इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला पूर्णतः योग्यता के आधार पर होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये होता है।

वर्तमान में संस्थान द्वारा निम्न लिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

कार्यक्रम	**अकादमिक सत्र, 2016–2017 में दाखिल छात्र**
एल.एल.एम.– 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	**26**
स्नादतकोत्त.र डिप्लो0मा पाठ्यक्रम (वैकल्पिरक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पकत्तिव अधिकार विधि)	**252**
विधि में पीएच.डी.	**05**
छात्रों की कुल संख्याी	**283**

- संस्थारन में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 14 छात्र नामांकित हैं ।

- यह संस्थान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और साइबर विधि में तीन माह की अवधि के ऑन–लाइन ई–लर्निंग प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान ऑन–लाइन साइबर विधि के बैच सं. 25 तथा ऑन–लाइन आई.पी.आर. पाठ्यक्रम के बैच सं. 36 पूरे हुए।

  जारी किए गए शोध–प्रकाशनः रिपोर्ट की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गए :

- जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टिूट्यूट (जेआईएलआई): यह भारतीय विधि संस्थान का त्रैमासिक जर्नल है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषयों पर शोध आलेख प्रकाशित किए जाते हैं।

- भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षणः भारतीय विधि संस्थावन हर वर्ष एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण प्रकाशनः "भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण" करता है जिसमें विधि की प्रत्येक शाखा की नवीनतम प्रवृत्तियां प्रस्तुत की जाती हैं।

- आई0एल0आई0 न्यूजलैटरः यह त्रैमासिक प्रकाशन है और इसमें तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों और आगामी क्रियाकलापों का विवरण प्रकाशित किया जाता है।

- ए ट्रीटाइज ऑन कन्यूमर प्रोटेक्शन लॉ–पुस्तरक का संशोधित और अद्यतन संस्करण प्रकाशित किया गया है।

- विधि अनुसंधान और कार्य प्रणालीः पुस्तक का संशोधित और अद्यतन संस्करण प्रकाशित किया गया है।

- विधि की पत्रिकाओं की अनुक्रमणिकाः यह प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। इसमें आईएलआई पुस्तपकालय को प्राप्त अनुक्रमणिकाएं, विधि और संबंधित विषयों की पत्रिकाएं (वार्षिक पुस्तकों और अन्यक वार्षिक प्रकाशनों सहित) शामिल हैं।

- दक्षिण एशिया के लिए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय लिखतों का सार–संग्रहः यह भारतीय विधि संस्थान और यूनाईटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्सर एंड क्राइम (यूएनओडीसी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित एक अनुसंधान सार–संग्रह है।

- दस्तावेजों का डिजिटीकरणः भारतीय विधि संस्थावन ने अपने प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों के 2.5 लाख से अधिक पृष्ठों् का डिजिटीकरण किया है और वे डीवीडी के रूप में उपलब्ध हैं।

भारतीय विधि संस्थान की गतिविधियां (संगोष्ठियां/सम्मेलन/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/दौरे/विशेष व्यीख्याधन) :

- **ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम**

  भारतीय विधि संस्थान और ह्यूमन राइटस एंड बिजनेस अकादमी (एचयूआरबीए) ने 20 जून से 01 जुलाई, 2016 तक 'व्यापार और मानवाधिकार' पर एक ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यारयमूर्ति दीपक मिश्र ने उद्घाटन अभिभाषण दिया। उद्घाटन सत्र में श्री राकेश मुंजाल, वरिष्ठ अधिवक्ता/उपाध्यक्ष, आईएलआई, यूएनएसड्ब्ल्यू, आस्ट्रेलिया की सुश्री जस्टिन नोलान, यूरोपियन यूनिवर्सिटी इस्टिट्यूट, स्कॉट्लैंड के डॉ. जेरनेज लेटनार सेरनिक और प्रॉ. (डॉ) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, आईएलआई ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यारयमूर्ति अनिल आर. दवे ने डॉ. सूर्य देवानंद, डॉ. एरिका आर. जार्ज के साथ समापन भाषण दिया।

विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए 60 प्रतिभागियों ने जिनमें विद्यार्थी, कॉर्पोरेट कार्यपालक, सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता शामिल थे, दो सप्ताह के इस गहन पाठ्यक्रम में भाग लिया। पाठ्यक्रम दो घंटे के 20 सेमिनारों में अंतः क्रिया संगोष्ठियों के रूप में तैयार किया गया था। प्रतिभागियों को सारे विश्व से आए प्रमुख विद्वानों और व्यवसायिकों द्वारा व्यापार और मानवाधिकारों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान हुआ। पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रतिभागियों को भारतीय विधि संस्थान ने प्रमाणपत्र प्रदान किए।

- **दंड विधि में मृत्यु और यौन विषय पर कार्यशाला**

  भारतीय विधि संस्थाधन ने "दंड विधि में मृत्युत और यौन" विषय पर दिनांक 26 सितंबर से 01 अक्टूबर, 2016 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया। उच्चतम न्यायालय के न्या्याधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रख्यामत वक्ता जैसे कि प्रो. शिव विश्वानाथन, प्रोफेसर, जिंदल स्कूयल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पोलिसी, ओ.पी. जिंदल यूनिवर्सिटी, हरियाणा और प्रो. अनूप धर, सहायक प्रोफेसर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नई दिल्लीस ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास और मनोविश्लेषण के जरिये कानून को जानने और इच्छामृत्यु, आत्महत्या और संथारा पर हाल में हुई बहस के कानूनी दृष्टिकोण को समझने में मदद मिली। कार्यशाला के अंतिम दिन सभी प्रतिभागियों को एक प्रस्तुतीकरण देना था। कार्यशाला के सफल समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

- **वित्तीय साक्षरता जागरूकता पर कार्यशाला**

  भारतीय विधि संस्थायन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सहयोग से दिनांक 26 अगस्ता, 2016 को अपराह्न 04.00 बजे भारतीय विधि संस्थारन में "वित्तीय साक्षरता जागरूकता" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य निवेशकों के साथ आम लोगों के हितों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना था ताकि वे अधिक विवेकपूर्ण और सार्थक ढंग से अपने वित्तीय निर्णय ले सकें और उन्हें विभिन्ना वित्तीय उत्पाादों के संबंध में बाजार की जटिलताओं और जोखिम के बारे में जागरूक बनाया जा सके।

- **"कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों को समझना" विषय पर कार्यशाला, दिनांक 21 से 26 नवंबर, 2016 तक**

  इस कार्यशाला द्वारा शिक्षाविदों, विद्वानों, अधिवक्ताओं, प्रकाशकों और विधि के छात्रों को कॉपीराइट कानून और संबंधित अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला।

इसमें कॉपीराइट मालिकों और लाइसेंसधारकों के विविध हितों से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया गया। कार्यशाला सत्र में कॉपीराइट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में व्याख्यान, प्रस्तुतीकरण, भागीदारी गतिविधियां और परिचाएं आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रतिभागियों को कॉपीराइट कानून के विख्यात शिक्षाविदों के विचारों का लाभ मिला। कार्यशाला के सफल समापन पर संस्थान द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

- **'न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और विधि व्यवसाय का उदारीकरण' विषय पर अंतराष्ट्रीय सम्मेंलन – दिनांक 10 दिसंबर, 2016**

भारतीय विधि संस्थारन ने डेकिन यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 10 दिसंबर, 2016 को 'न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और विधि व्यवसाय का उदारीकरण' विषय पर एक–दिवसीय अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में आस्ट्रेलिया और भारत के प्रख्यात कानूनविदों, प्रख्यात वकीलों और विधि शिक्षाविदों तथा आस्ट्रेलिया उच्चायोग के राजनयिकों ने श्रोताओं और पैनलिस्टों के रूप में भाग लिया। यह सम्मेलन दो बड़े क्षेत्रों पर केंद्रित था अर्थात न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और भारत में विधि व्यवसाय का उदारीकरण।

- **विधि अनुसंधान प्रणाली विज्ञान पर वार्षिक विधि सम्मेलनः मुद्दे और चुनौतियां, 17–18 दिसम्बवर, 2016**

भारतीय विधि संस्थापन ने प्रतिभागियों को विधि संबंधी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए दिनांक 17–18 दिसंबर, 2016 को 'विधि अनुसंधान प्रणाली विज्ञानः मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर एक वार्षिक विधि सम्मेलन आयोजित किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में, अनुसंधान के लिए समस्या को तैयार करना, डाटा एकत्रीकरण, संबंधित साहित्यि का अवलोकन करना, डाटा के विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन के लिए एक उचित तरीका चुनना, जैसे सैद्धांतिक और व्यावहारिक बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान प्रणाली विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं पर विचार किया गया। प्रतिभागिता के लिए लक्ष्य–समूह संकाय के सदस्य, अनुसंधानकर्ता और विधि और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों के स्नातकोत्तलर छात्र थे। उद्‌घाटन समारोह में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, मुख्य अतिथि थे।

अनुसंधान की परियोजनाएंः—

- **पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना :**

  पंचायती राज मंत्रालय ने 'ए स्टाडी ऑन केस लॉज रिलेटिंग टू पंचायती राज इन सुप्रीम कोर्ट एंड डिफ्रेंट हाई कोर्ट्स' (उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में पंचायती राज से संबंधित निर्णय विधि का अध्ययन) विषय पर एक परियोजना भारतीय विधि संस्थान को सौंपी है।

- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी की परियोजनाः**

  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आतंकवाद— संबंधी मामलों का एक सार—संग्रह और एक आदर्श जांच व प्रक्रिया मैनुअल का मसौदा तैयार करने के लिए एक परियोजना भारतीय विधि संस्थावन को सौंपी है।

- **विधि और न्याय मंत्रालय की परियोजनाः**

  विधि मंत्रालय, न्याय विभाग ने भारतीय विधि संस्थीन को 'अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाएं' विषय पर एक परियोजना सौंपी है।

- **केंद्रीय सूचना आयोग की परियोजनाः**

  केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय विधि संस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 पर एक परियोजना तैयार करने का अनुरोध किया है।

आगामी गतिविधियां
(दिनांक 1.1.2017 से 31.3.2017 तक)

प्रकाशनः—निम्नलिखित अनुसंधान प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव हैः

(i) जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीलट्यूट (त्रैमासिक प्रकाशन)

(ii) आई.एल.आई. न्यूजलैटर विद केस कमेंट्स एंड लीगल जाटिंग्स (त्रैमासिक प्रकाशन)

(iii) भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण —2016

(iv) विधि पत्रिकाओं की सूची—2016

(v) निम्न विषयों पर नई पुस्तकें:

- पर्यावरण प्रदूषण पर कानूनी नियंत्रणः विद्यमान विधान का मूल्यांकन
- भारत में आतंकवाद, राजद्रोह और मानवाधिकार
- विधि, हिंसा और न्याा‍य
- भारत में बौद्धिक संपत्ति और मानवाधिकार
- कापीराइट का कानूनः डिजीटल दुनिया में चुनौतियां
- धनशोधन कानूनरू भारत में मसले और चुनौतियां
- 21 वीं सदी के भारत में जल विधि की बढ़ती भूमिकाः उपलब्धिकयां और चुनौतियां

संगोष्ठिंयां/सम्मेधलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला

(i) वर्ष 2017 में, संस्थान दिनांक 23 जनवरी, 11–12 फरवरी, 22 फरवरी और 25–26 मार्च को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से कारावास के अधिकारियों/मीडिया कार्मिकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक/दो दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा ।

(ii) भारत का विधि आयोग और भारतीय विधि संस्थान संयुक्त रूप से दिनांक 21 जनवरी, 2017 को जमानत–संबंधी मामलों पर एक न्यायिक परामर्श आयोजित कर रहे हैं।

19. अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएडीआर)

प्रस्तावनाः अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन दिनांक 31 मई, 1995 को पंजीकृत हुआ था। यह एक स्वायत्तत संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हैदराबाद और बंगलूरू में इसके क्षेत्रीय केन्द्र हैं। इसकी स्थापना वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को प्रोन्नत करने, उन्हें लोकप्रिय बनाने और उनका प्रचार–प्रसार करने के लिए की गई है ताकि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके और न्यायालयों में लंबित मामलों का भार कम हो सके।

माध्यस्थलम मामले : नई दिल्ली स्थित केंद्र को अब तक माध्यस्थम के लिए 51 मामले प्राप्त हुए हैं जिसमें 4 अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मामले और 4 सुलह के मामले शामिल हैं। माध्यस्थ अधिकरणों ने माध्यस्थम के 43 मामले निपटाए हैं और बाकी 8 मामलों की सुनवाई चल रही है। सुलह के सभी 4 मामले निपटा लिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र को भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उन मामलों मे मध्यस्थों की नियुक्ति हेतु अनेक अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं जिनमें भारत

सरकार एक पक्षकार है। अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए मध्यस्थों के पैनल सुलभ कराता रहा है।

सम्मेलन / सेमिनार / कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम

- अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (आईसीएडीआर) ने "संस्थागत माध्यस्थतम और आगे की चुनौतिया" विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। उक्त सम्मेलन का उद्घाटन आईसीएडीआर के अध्यक्ष और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति टी.के. ठाकुर द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में "भारत में संस्थागत माध्यास्थ मरू आईसीएडीआर मददकर्ता के रूप में" तथा "आईसीएडीआरः द वे फारवर्ड" विषयों पर दो कार्यकारी सत्र हुए। इस कार्यक्रम में प्रख्यात कानूनविदों, भारत सरकार के अधिकारियों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं आदि ने भाग लिया।

- अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र ने जून, 2016 में मध्यस्थता पर एक 40 घण्टे का प्रशिक्षण कार्यक्रम और वैकल्पिक विवाद समाधान पर 10 कार्यशालाओं / सेमिनारों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि अर्थात दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 के दौरान की संभावित गतिविधियों का पूर्वानुमान

(i) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र मुख्यालय का मध्यस्थता और माध्यस्थम पर कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रस्ताव है ।

(ii) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद की वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तथा पारिवारिक विवाद समाधान (एफडीआर) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान पर 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है ।

(iii) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरू की वैकल्पिक विवाद समाधान पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन की योजना है।

20. भारतीय बार काउंसिल (बी.सी.आई.)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित भारतीय बार काउंसिल को अन्य बातों के साथ–साथ अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण व शिष्टाचार के मानदंड निर्धारित करने तथा देश में विधि शिक्षा

के मानदंड निर्धारित करने, उन्हें बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने की शक्ति प्रदान की गई है। जबकि राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ताओं के तौर पर नामांकन करने के लिए प्राधिकरण हैं, राज्य बार काउंसिलें और भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ताओं में अनुशासन का प्रवर्तन करती हैं। भारतीय बार काउंसिल अनुशासनात्मसक मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर कार्य करती है।

(2) भारतीय बार काउंसिल सदस्यों को परिचालित कार्यसूची के अनुसार नियमित अंतरालों पर बैठकें करती है। इन बैठकों में, काउंसिल धारा 26(1) के अधीन उन मामलों में निष्कासन की कार्यवाहियां भी करती है, जिनमें अन्यथा कथन अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर किसी व्यक्तिव का नामांकन किया गया हो और राज्य बार काउंसिलों से धारा 26(1) के अधीन प्राप्त ऐसे निर्देशों का निपटान भी करती है, जिनमें राज्य बार काउंसिल द्वारा किसी कारणवश नामांकन के आवेदन को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया होता है तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 48(क) के अधीन उन मामलों में पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई और निर्णय भी करती है, जिन मामलों में अधिवक्ताओं के विरुद्ध व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार की शिकायतों को राज्य बार काउंसिल द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया होता है।

21. संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस)

संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्तन निकाय है। इस संस्थान की स्थापना भारत के संविधान के कार्यकरण और सर्वांगीण विकास के विशेष संदर्भ में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन के लिए और उसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिनांक 10 दिसंबर, 1956 को हुई थी। अपने उद्देश्यों के अनुसरण में संस्थान अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करता है और सामयिक महत्व के विषयों पर व्याख्यान और सम्मेलन का आयोजन करता है। संस्थान डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के अतिरिक्त प्रकाशन, इंटर्नशिप कार्यक्रम भी संचालित करता है।

22. आयकर अपीलीय अधिकरण(आई.टी.ए.टी.)

(1) उद्गमः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों् का निर्वहन करने के लिए उतन न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझे, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही उपबंध के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

(2) गठनः आयकर अधिनियम, 1961 में यह भी उपबंध है कि अधिकरण का न्यायिक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम–से–कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या जो

भारतीय विधि सेवा का सदस्यध रहा हो और जिसने उस सेवा के ग्रेड 2 में कोई पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद कम–से–कम तीन वर्ष तक धारण किया हो या जो कम–से–कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। लेखा सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चाटर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेट के रूप में लेखाकर्म का कम–से–कम दस वर्ष तक व्यवसाय किया हो या पूर्व में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक रजिस्ट्री कृत अकाउंटेंट या आंशिकतः रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट और आंशिकतः चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो या जो भारतीय आयकर सेवा समूह 'क' का सदस्य रहा हो और जिसने कम–से–कम तीन वर्ष तक (अपर) आय–कर आयुक्त का पद या उसके समतुल्य् या उच्चतर पद धारण किया हो।

(3) सदस्यों और कर्मचारियों की कमी: देशभर के 27 शहरों में स्थित 63 बेंचों के लिए अधिकरण के सदस्यों 9 की वर्तमान स्वीमकृत संख्या 126 है, जिनमें से केवल 101 सदस्य पदस्थ्ण हैं और तदनुसार आज की तारीख में सदस्योंय के 25 पद रिक्त हैं। अधिकरण वर्तमान में अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यरत है तथा उनकी सहायतार्थ 9 उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में, उपाध्यक्ष के 7(सात) पद तथा सदस्यों के सत्रह (17) पद रिक्त हैं।

जहां तक रजिस्ट्री अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों और निजी सचिवों की कमी का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि फिलहाल उप पंजीकार(7) के सभी स्वीकृत पद रिक्त हैं और सहायक पंजीकारों के 38 स्वीकृत पदों में से 17 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, हिंदी अधिकारी के स्वीकृत दो(2) पदों में वर्तमान में सभी पद रिक्त हैं। वरिष्ठ निजी सचिवों के 126 स्वीकृत पदों में से 38 पद रिक्त हैं और निजी सचिवों के 47 स्वीकृत पदों में से 30 पद रिक्त हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण में अन्य पदों की रिक्तियों के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्रम सं.	पद	रिक्तियां
1	वरिष्ठ लेखाकार	2
2	अधीक्षक	4
3	कार्यालय अधीक्षक	8
4	हिन्दी अनुवादक	11
5	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
6	मुख्य लिपिक	11
7	उच्च श्रेणी लिपिक	32
8	आशुलिपिक ग्रेड घ	4
9	अवर श्रेणी लिपिक	64
10	स्टाफ कार चालक	16
11	मल्टी टास्किंग स्टाफ	97
	कुल	**250**

(4) शक्तियां और कृत्यः आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों तथा प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरूद्ध अपीलों और आयकर अधिनियम के अध्याय–XX–क के अधीन संपत्ति के अर्जन के आदेशों के विरूद्ध अपीलों का निपटान करता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारित से संबंधित है जिसकी मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगत कुल आय पांच लाख रूपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेषन्यापीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

(5) प्रक्रिया और नियम : अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निवर्हन से उत्पान्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे स्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्ति है।

तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्तर हैं। यह अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन–कर, दान–कर और व्यय–कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेंषण–प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपनी पूरी योग्येता से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर–दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पेक्ष रूप से न्यायय का पलड़ा बराबर बनाए रखते हैं।

सामान्यतः अपीलों की सुनवाई एक लेखा सदस्य और एक न्याकयिक सदस्य से मिलकर बने न्यायपीठ द्वारा की जाती है। तथापि, समुचित मामलों में अध्यक्ष के विवेक से किसी न्यायपीठ में दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं।

जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें लाखों रूपयों का राजस्वी शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित

करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में तथ्य के प्रश्नों की समुचित रूप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ–साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा–पूरा ध्यान दिया गया है। अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यतः उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पणी लिखते हैं, न्यायालय में उद्धृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। यह प्रक्रिया अपने आप में ही एक गारंटी है कि तथ्यों के प्रश्न समुचित रूप से और न्यायकतः विनिश्चित किए जाते हैं और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पेक्ष और निर्दोष होते हैं।

(6) लंबित अपील: वर्ष 2016 के प्रारंभ में आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 95669 थी और दिनांक 1 जनवरी, 2017 को लंबित अपीलों की संख्या 91538 है।

निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि नव–सृजित पीठों के चालू होने के बाद से लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं :–

वर्ष	दाखिल की गई अपीलों की संख्या	निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में लम्बित अपीलों की संख्या
2004–2005	57331	78901	137164
2005–2006	45283	73979	108468
2006–2007	43192	65524	86136
2007–2008	44356	59653	70839
2008–2009	40372	55889	55322
2009–2010	41648	49353	47617
2010–2011	44250	36293	55574
2011–2012	42346	33816	64104
2012–2013	43934	33752	74286
2013–2014	46031	31886	88643
2014–2015	45072	30494	103238
2015–2016	40087	51010	91971
2016–2017			
01.01.2017 तक	35712	36145	91538

(7) **लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयासः** सभी न्यायपीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच करें और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्ट करें। इनमें समूह के और छोटे मामले शामिल हैं। बार से भी यह अनुरोध किया गया है कि इस प्रकार के सभी मामलों को बारी से पहले निपटान हेतु पोस्ट करने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के ध्यान में लाया जाए। इसके अतिरिक्त, धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती तथा अपीलों को निपटान के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।

एक सदस्य वाले मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नाानुसार हैंः–

माह	**कुल लम्ब्ति मामले**
जनवरी, 2016	2203
फरवरी, 2016	1945
मार्च, 2016	1878
अप्रैल, 2016	1949
मई, 2016	2638
जून, 2016	5737
जुलाई, 2016	15509
अगस्त, 2016	14912
सितम्बर, 2016	14296
अक्टूबर, 2016	14066
नवम्बर, 2016	13878
दिसम्बर, 2016	13935

धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नारनुसार हैं :–

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2016	269
फरवरी, 2016	215
मार्च, 2016	227
अप्रैल, 2016	240
मई, 2016	262
जून, 2016	322
जुलाई, 2016	235
अगस्त , 2016	290
सितम्बर, 2016	325
अक्टूबर, 2016	356
नवम्बर, 2016	368
दिसम्बर, 2016	364

आयकर अपीलीय अधिकरण की 63 स्वीकृत पीठें हैं जिसमें सदस्यों की अपेक्षित संख्या 126 है और वर्तमान में केवल 101 सदस्य हैं तथा कुछ पीठों के नियमित रुप से कार्य नहीं करने के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(8) कम्प्यूटरीकरण: आयकर अपीलीय अधिकरण में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के प्रारंभ में शुरू हुई थी और हाल के वर्षों में अधिकरण की दैनंदिक गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इसमें तेजी आई है। इन वर्षों में अधिकरण द्वारा अपने आदर्श वाक्या 'निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय' को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई हैं।

(9) उपलब्धियां :

(क) आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना: यह पायलट परियोजना अधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वीचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक की स्थिति तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है। यह परियोजना अधिकरण

के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की गई है। आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं। इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर इन–हाउस लगाया गया है तथा फाइबर ऑप्टिक केबल तकनीक पर एक विशेष तेज गति के 4 एमबीपीएस (1:1) इंटरनेट लीज्ड लाइन से जोड़ा गया है।

(ख) **आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइटः** आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्ताऑर के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई है और आम जनता को न्यारयिक और सामान्यट जानकारी देने के लिए चालू की गई है। इस आधिकारिक वेबसाइट को प्रयोक्ताओं के अधिक अनुकूल बनाने और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार अधिक सुग्राही और अद्यतन बनाने के लिए इसका डिजाइन फिर से तैयार किया गया है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्यायिक सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद–सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट्ट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है। इस वेबसाइट का व्यापक उपयोग हो रहा है और इसकी सराहना हुई है।

(ग) **एन.आई.सी. ई–मेलः** आयकर अपीलीय अधिकरण के सामान्य प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न पीठों, सदस्यों और अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई–मेल सुविधाओं का उपयोग करता है। सभी पीठों, क्षेत्रों, सदस्यों, रजिस्ट्री के अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों/निजी सचिवों तथा प्रधान कार्यालय के सभी अनुभागों के लिए एनआईसी ई–मेल खाते बनाए गए हैं। संचार के पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रयोग में आसान, तेज और आर्थिक व पारिस्थितिक दृष्टि से लाभदायक होने के कारण हाल के वर्षों में ई–मेल का प्रयोग उपयोगकर्ताओं के बीच स्वीकृति हासिल कर रहा है और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है।

(घ) **आधारिक संरचना का उन्नहयन :** आयकर अपीलीय अधिकरण को हमेशा से लगता रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर आधारिक संरचना होना जरूरी है। तदनुसार,

आयकर अपीलीय अधिकरण चरणबद्ध तरीके से पुराने और अप्रचलित कंप्यूटरों, प्रिंटरों आदि उपकरणों को बदल कर नए उपकरण लाता रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी सदस्यों को कार्यालय प्रयोग के लिए लैपटाप पहले ही दे दिए गए हैं।

(10) भविष्यल की परियोजनाएं

(क) वेब एप्लीकेशन्स का पुनर्विकास और ई–फाइलिंग शुरू करना

आयकर अपीलीय अधिकरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन्स को अधिक सूचना उपयोगी, प्रयोक्ताओं के लिए अधिक अनुकूल और दिशानिर्देशों और मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें रीवैंप करने पर विचार करता रहा है। इसके अलावा, आयकर अपीलीय अधिकरण ने संसदीय राजभाषा समिति को आश्वासन दिया है कि वे अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को पूरी तरह से द्विभाषी बनाएंगे। आयकर अपीलीय अधिकरण अपने आयकर अपीलीय अधिकरण के ऑनलाईन डाटा को नेशनल जूडीशियल रेफरेंस सिस्टम (एनजेआरएस) परियोजना के साथ बांटने के आयकर विभाग के अनुरोध से सहमत हो गया है, जिसके लिए हमें वेब एप्लीकेशन में कुछ प्रावधान करने होंगे।

तदनुसार, उपलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आयकर अपीलीय अधिकरण ने द्विभाषी परियोजना के पुनर्विकास का कार्य शुरू किया है। आयकर अपीलीय अधिकरण ने इस परियोजना में एक नए माड्यूल सिटीजन टू गवर्नमैंट (सी2जी) माड्यूल अर्थात 'ई–फाइलिंग' को भी शामिल किया है जिससे वादकारी अपने घर से ही अधिकरण के समक्ष अपनी अपील और आवेदन ऑनलाईन दाखिल कर सकते हैं तथा इससे एसएमएस, ईमेल और मोबाइल एप्लिकेशन्स के द्वारा सूचना का प्रसार किया जा सकता है। इस परियोजना में, उचित समय पर न्यायालयों के कामकाज को कागज–विहीन कर देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

इस परियोजना का विकास एनआईसीएसआई के पैनल में शामिल कार्यदायी एजेंसी को पहले ही सौंप दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पहले ही शुरू की जा चुकी है और वेब–एप्लीकेशन, ई–फाइलिंग मोड्यूल और मोबाइल एप्लीकेशन संभवतः आने वाले दो महीनों में शुरू कर दिए जाएंगे।

(ख) ई– न्यायालय

पिछले वर्ष के दौरान, आयकर अपीलीय अधिकरण के राजकोट और जबलपुर पीठों में ई–न्यायालय की स्थापना की गई। आयकर अपीलीय अधिकरण के राजकोट और जबलपुर

पीठों में क्रमशः अहमदाबाद और दिल्ली पीठों को जोड़ते हुए कार्यवाहियां संचालित की गईं। इन स्थानों पर ई–न्यायालय के माध्यम से कुल क्रमशः 826 और 106 अपीलों का निपटान किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, पुणे, चंडीगढ, बंगलूरू, चेन्नै, कोलकाता, गुवाहाटी पीठों में ई–न्यायालयों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर बंद पड़ी हुई पीठों को चालू किया जा सके।

(11) आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना भवन : आयकर अपीलीय अधिकरण ने पुणे, बंगलूरू, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में कार्यालय–सह–आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है। उड़ीसा सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ को सीडीए, कटक में कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.601 एकड़ का भू–खंड आबंटित किया है। इसके अतिरिक्त, कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में पश्चिम बंगाल हाउसिंग एवं बुनियादी विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय एवं कानूनी केंद्र में आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ, कोलकाता के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि आबंटित करने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण ने आवेदन किया है।

(12) भूमि की स्थिति का विस्तृत विवरण :

(i) **पुणे** :– बिल्डिंग प्लान के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ii) **बंगलूरू** :– भवन का निर्माण शुरू हो गया है। सिविल और विद्युतीय कार्यों के लिए चालू वर्ष 2016–17 के दौरान "पूंजी परिव्यय" शीर्ष के तहत 4.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(iii) **जयपुर** :– भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और अप्रैल 2016 में इसे नए भवन में स्थानान्तरित किया गया है। सिविल और विद्युतीय कार्य करवाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान "पूंजी परिव्यय" शीर्ष में से 1.97 करोड़ की राशि जारी की गई।

(iv) **लखनऊ** :– आयकर अपीलीय अधिकरण लखनऊ पीठ के 8314.28 वर्ग मीटर भूमि के प्लाट पर कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण करवाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सुझाए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार एनबीसीसी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा सौंपे गए 53.18 करोड़ (चहारदीवारी और मुख्य द्वार के लिए व्यय सहित) के प्रारंभिक अनुमान के अनुमोदन के लिए और मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

(अ) **कटक** :– आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ के लिए चहारदीवारी के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सौपे गए 2.14 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अनुमान और कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सौपे गए 24.47 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अनुमान के अनुमोदन के लिए और मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है ।

(vi) **गुवाहाटी** :– चालू वित्तीय वर्ष, 2016–17 के दौरान, "पूंजी परिव्यय" शीर्ष के अधीन, फैन्सी बाजार, गुवाहाटी में 4.03 करोड़ रुपए में सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (सी आई डब्लू टी सी) की भूमि ली गई है ।

(vii) **कोलकाता** :– आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ के कार्यालय परिसर के लिए कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में पश्चिम बंगाल हाउसिंग एवं बुनियादी विकास निगम लिमिटेड (डब्लूबीएचआई डीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय एवं कानूनी केंद्र में भूमि के आबंटन हेतु आवेदन किया गया है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान "पूंजी परिव्यय" शीर्ष के अधीन 25 लाख रुपए की अग्रिम राशि को जमा करने के लिए मंत्रालय की सहमति प्राप्त हो गई है और भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

(13) सदस्यों के लिए सुविधाएं : माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंहट्स के मामले में वर्ष 1998 की विशेष अनुमति याचिका (एल) एमओएस 6905/1998 व टीपी (सी) सं0 659 और 672–673 में दिनांक 19.9.2003 के अपने आदेश में सरकार को यह निदेश दिया था कि आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएं और आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा सदस्यों को उक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।

(14) हितकारी निधि : आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है। अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इस निधि के संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारिवृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है।

(15) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा इसका कार्यान्वययन किया जा रहा है।

(16) राजभाषा नीति का कार्यान्वहयन :

(i) आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी न्यायपीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ताकि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके।

(ii) हिन्दी में पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति तथा इसके कार्यान्वियन को संबंधित न्यायपीठ द्वारा मॉनीटर किया जाता है और न्यायपीठों की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्टों की आयकर अपीलीय अधिकरण के मुम्बई स्थित मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिन्दी / हिन्दी टंकण / हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

(iii) न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वियन के लिए और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिन्दी में काम करने में अधिकारियों / कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

(iv) राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

(v) इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार इस वर्ष आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यांवयन के अनुसार कुल पुस्तकालय अनुदान की 50 प्रतिशत राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय के लिए आबंटित की गई है।

(vi) सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

(17) सेवाओं में विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक आदि के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयन:

विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए नियुक्तियों में रियायत के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों को वर्ष 2016–17 के दौरान भी विधिवत

कार्यान्वित किया गया है और आयकर अपीलीय अधिकरण की सेवाओं में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सांख्यिकीय आकड़े **उपाबंध–VI** में दिए गए हैं।

23. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (ए.टी.एफ.ई.)

विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफ.ई.एम.ए.), 1999 की धारा 18 के अधीन की गई थी। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पारित किए गए या धारा 17 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति या केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिकरण में अपील की जा सकती है। व्यथित व्यक्ति द्वारा यह अपील आदेश प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर और शास्ति की राशि जमा करने के बाद दाखिल की जा सकेगी। जब एक व्यथित पक्षकार द्वारा एक नई अपील दाखिल की जाती है तो रजिस्ट्री में उसकी जांच की जाती है। जांच और सभी कार्यवाहियां पूरी करने के पश्चात रजिस्ट्रार अधिकरण के उचित बेंच के समक्ष मामले को सुनवाई के लिए भेजता है।

(2) कलैंडर वर्ष 2016 के दौरान यह अधिकरण मात्र 69 मामलों का ही अंतिम निर्णय कर सका था और विभिन्न आवेदनों पर लगभग 91 अंतरिम आदेश पारित किए जा सके थे। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सितम्बर, 2016 से ही माननीय अध्यक्ष महोदय का पद रिक्त है जो शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है। यह अधिकरण एक राष्ट्रीय अधिकरण है, जहां देशभर के वकील, जिनमें वरिष्ठे अधिवक्ता भी शामिल हैं, पेश होते हैं। कर्मचारियों और निधि की विकट कमी के बावजूद यह अधिकरण अपने दो नियमित क्रियाशील पीठों के साथ सबसे व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहा है। उपर्युक्तध अवधि के दौरान रजिस्ट्री में 31 नए मामले प्राप्त हुए हैं और एक मामले को उच्च न्यायालय द्वारा वापस भेजा गया है। दिसंबर, 2016 के अंत में लंबित मामलों की कुल संख्या 889 है। नए दाखिल और अंतिम रूप से निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण इसके साथ संलग्न है। यह भी उल्लेखनीय है कि टैक्स्मैन और मनुपत्र जैसे विधि के जर्नलों में महत्वपूर्ण आदेश निर्णय प्रकाशित किए जा रहे हैं। वर्तमान कैलेंडर वर्ष में अधिकरण का लक्ष्य बड़ी संख्या में मामलों का गुणदोष के आधार पर अंतिम रूप से निर्णय करने का है। यह अधिकरण अपनी एक वेबसाइट बनाने पर भी कार्य कर रहा है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और संभवतः यह वेबसाइट आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगी। पुस्तरकालय के प्रस्ताव, कर्मचारियों की पुनर्व्यवस्था, वित्तीय शक्तियां प्रदान करने आदि का काम जारी है।

(3) अधिकरण की संरचनाः

अधिकरण की संरचना इस प्रकार हैः—

	अधिकारी का नाम	दूरभाष सं०
1.	माननीय अध्यक्ष (रिक्त)	011—23316359
2.	डॉ० एच. के. मुदगिल, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष	011—23738154
3.	श्रीमती शारदा जैन, माननीय सदस्य	011—23711710
4.	श्री जगन्नाथ, सहायक विधि सलाहकार/ पंजीकार, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रथम अपील प्राधिकारी	011—23714281
5.	श्री राकेश कुमार, निजी सचिव, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी	011—23738154

(4) वर्ष 2016 के दौरान, लंबित मामलों, अपीलों के निपटान तथा नई दाखिल अपीलों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है, जो रजिस्ट्री में उपलब्ध रिकार्ड/सूचना पर आधारित है :—

क	ख	ग	घ	ड.	च	छ
वर्ष 2015 के अंत में लंबित मामलों की कुल संख्या	वर्ष 2016 के दौरान दाखिल किए गए मामलों की कुल संख्या	वर्ष 2016 के दौरान उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित किए गए मामलों की संख्या	अपीलों की कुल संख्या (क+ख+ग)	वर्ष 2016 के दौरान अंतिम रुप से निपटाई गई अपीलों की कुल संख्या	विविध आवेदनों पर दिए गए अंतरिम आदेशों की संख्या	वर्ष 2016 के अंत में लंबित अपीलों की कुल संख्या (घ—ड.)
926	**31**	**01**	**958**	**69**	**91**	**958—69 =889**

24. सतर्कता संबंधी गतिविधिया

विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है। वर्तमान में सतर्कता एकक के प्रमुख श्री आर. के. श्रीवास्तव, उप विधि सलाहकार हैं। इन दोनों विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इन दोनों विभागों के सतर्कता

ढांचे का केंद्र बिन्दु होते हैं और उन्हें निम्निलिखित कार्य सौंपे गए हैं :–

- कदाचार/प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा शासकीय कार्यकरण में सत्यतनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्च्त करने के लिए रोकथाम के उपाय करना,
- भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई करना,
- शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के उचित उपाय शुरू करना,
- उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना,
- केन्द्रीय जांच ब्यूररो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पिणियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना,
- विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा,
- जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करना और
- दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और परिमाण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना।

(2) कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्चल प्राथमिकता देना जारी रखा गया। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया गया है। दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 से 5 नवंबर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। दिनांक 31.10.2016 को 11 बजे(पूर्वाह्न) शपथ–ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधि सचिव ने शास्त्री भवन में दोनों विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता अवधि में "सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में जन भागीदारी" पर मुख्य ध्यान दिया गया।

25. लिंग आधारित मुद्दे

इस विभाग द्वारा दोनों विभागों अर्थात विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए गठित शिकायत समिति, जिसका पुनर्गठन दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के आदेश सं. 129 के तहत किया गया था, को वर्ष 2016–17 में भी जारी रखा गया है। उक्त समिति

का कार्य प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हों, का समयबद्ध निपटान सुनिश्चिंत करना है। इस समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों और इसके द्वारा उन पर की गई कार्रवाई की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी होती है, जिसे विधि कार्य विभाग के कर्मचारियों के संबंध में सचिव, विधि कार्य विभाग को और विधायी विभाग के कर्मचारियों के संबंध में सचिव, विधायी विभाग को प्रस्तुवत किया जाना होता है। उक्त समिति को एक तीसरे पक्ष, या तो किसी गैर–सरकारी संगठन अथवा किसी अन्य निकाय, जिसे इस विषय की जानकारी अथवा अनुभव हो, को सदस्य के रूप में शामिल करने का भी अधिकार प्राप्त है।

26. दिनांक 1.1.2017 की स्थिति के अनुसार, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्यि पिछड़ा वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध–VII** में दिया गया है।

27. विधि और न्याय मंत्रालय में महिला कर्मचारियों की संख्या का विवरण **उपाबंध–VIII** में दिया गया है।

28. 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस)' के अधीन उठाए गए कदम

(1) शासकीय प्रक्रिया का सरलीकरणः– प्रशा. IV अनुभाग केंद्रीय सचिवालय सेवा की तीन सेवाओं अर्थात केंद्रीय सचिवालय सेवा(सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारण है। प्रशासनिक मामलों का संचालन करने में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

(2) डिजिटल इंडिया – डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(क) लिम्ब्स (विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली)

लिम्ब्स न्यायालयी मामलों की व्यापक, विनियामक और सक्रिय निगरानी के लिए एक आसान वेब आधारित उपकरण है।

लिम्ब्स एक वेब–आधारित प्लेटफार्म है, जिसमें भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं वाले सभी प्रयोक्ताओं के लिए और सभी प्रशासनिक स्तरों के लिए एक कॉमन एक्सेस पोर्टल है अर्थात इसमें फाइल प्रस्तुत करने वाले सहायक से लेकर प्रबंधन के शिखर तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है। लिम्ब्स में न्यायालय में चल रहे मुकदमों के विवरण जानने के लिए एक प्रयोक्ता अनुकूल डाटा–एंट्री स्क्रीन दी गई है। इसमें मुकदमों की प्रगति के बारे में प्रविष्टि की जा सकती है। विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्टों से इन मुकदमों को मॉनीटर करने में मदद मिलती है। ई–डाक्यूमेंट वॉल्ट में प्रयोक्ता महत्वपूर्ण फैसलों की प्रविष्टि कर सकते हैं। एस.एम.एस. एलर्ट के जरिये प्रयोक्ताओं को महत्वपूर्ण मामलों की सूचना दी जाती है।

लिम्स्त एप्लीककेशन में एक वृहद डाटा रहेगा, जिसमें विभिन्न पणधारी शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारी इस डाटा के आधार पर निर्णय ले सकेंगे, इसमें सुनवाई के डाटा का पहले से पता चल सकेगा और प्राधिकारी अपने जवाब पहले से तैयार कर सकेंगे।

(ख) एनडीएसएपी (राष्ट्रीय डाटा सहभागिता और अभिगम्यता नीति)

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के पास उपलब्ध बांटने योग्य डाटा और सूचना को मानव द्वारा पढ़ने योग्य तथा मशीन द्वारा पढ़ने योग्य रूप में एक नेटवर्क के माध्यम से सक्रिय तौर पर और समय–समय पर अद्यतन करने योग्य तरीके से भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों और नियमों के ढांचे के भीतर देशभर में उपलब्ध करवाना है, ताकि यह अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके और सार्वजनिक डाटा और सूचना का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

एनडीएसएपी के लाभः–

(क) अधिकतम उपयोग

(ख) दोहराव से बचाव

(ग) अधिकतम समेकन

(घ) स्वातमित्व की जानकारी

(ङ) बेहतर निर्णय लेना

(ग) ई–ऑफिस

ई–ऑफिस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

(क) सरकारी कार्रवाइयों की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार करना।

(ख) प्रतिवर्तन समय को कम करना और नागरिक–चार्टर की मांगों को पूरा करना।

(ग) प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना।

(घ) प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम करना।

(ङ) पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करना।

(च) इस प्रणाली से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वसचालित होगी।

(घ) निर्णय लेने के स्तरों को कम करना– कुछ मामलों में जैसे कि अवकाश की मंजूरी आदि के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

(ङ) पेंशन मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया पेंशन मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु की जा रही है।

29. संविधान दिवस

भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर

दिनांक 26 नवंबर 2016 को 'संविधान दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर भारत के संविधान की 'उद्देशिका' का वाचन भी किया गया।

30. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान माननीय विधि और न्याद मंत्री तथा विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और विधि अधिकारियों द्वारा किए गए विदेश दौरों का विवरण :

क्र. सं.	नाम और पदनाम	देश	दौरे का प्रायोजन और अवधि
1.	श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा, तत्कालीन माननीय विधि और न्याय मंत्री	रूस (सेंट पीटर्सबर्ग)	दिनांक 17 से 21 मई, 2016 तक (छठे सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने के लिए)
2.	श्री पी.पी. चौधरी, माननीय राज्य मंत्री (विधि और न्याय)	नीदरलैंड (हेग)	दिनांक 25–26 अक्टूबर, 2016 (हेग में मुकदमों के मामलों के संबंध में)
3.	श्री सुरेश चन्द्र विधि सचिव	संयुक्त राज्य अमेरिका (न्यूयार्क)	दिनांक 11 से 15 जुलाई, 2016 तक (संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईट आरएएल) के 49वें सत्र में भाग लेने के लिए)
		नीदरलैंड (हेग)	दिनांक 25–26 अक्टूबर, 2016 (हेग में मुकदमों के मामलों के संबंध में)
4.	श्री मुकुल रोहतगी, भारत के महान्यायवादी	दक्षिण कोरिया और जापान	दिनांक 16 से 23 मई, 2016 तक (यूएनसीआईटीआरएएल के 50वीं वर्षगांठ समारोह और बौद्धिक संपत्ति अधिकार और भारतीय न्यायिक प्रणाली पर संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए)
5.	श्री के.एम. नटराज, भारत के अपर महासालिसिटर	रूस (सेंट पीटर्सबर्ग)	दिनांक 17 से 21 मई, 2016 तक (छठे सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने हेतु)
6.	श्री विजय मोहन जैन, तत्कावलीन विधि और न्याय मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी	रूस (सेंट पीटर्सबर्ग)	दिनांक 17 से 21 मई, 2016 तक (छठे सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने हेतु)
7.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, उप विधि सलाहकार	ब्राजील (ब्रासीलिया)	दिनांक 3 से 7 अक्टूबर, 2016 तक (भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) की बैठक में भाग लेने के लिए)
8.	डॉ. आर.जे.आर. काशीभाटला, उप विधि सलाहकार	न्यूजीलैंड (ऑकलैंड)	दिनांक 12 से 18 जून, 2016 तक (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी वार्ता के 13वें दौर में निवेश संबंधी कार्य समूह की बैठक में भाग लेने हेतु)
		वियतनाम (हो ची मिन्ह शहर)	दिनांक 14–19 अगस्ते, 2016 तक (निवेश संबंधी कार्य समूह की 14वें दौर की बैठक में भाग लेने हेतु)
		इंडोनेशिया (टेंगरेंग, बेंटन)	दिनांक 5 से 10 दिसंबर, 2016 तक (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार वार्ता समिति (आरसीईपी टीएनसी 16) की 16वीं बैठक और इससे संबंधित बैठक में भाग लेने हेतु)

क्र. सं.	नाम और पदनाम	देश	दौरे का प्रायोजन और अवधि
9.	श्री रमेश चन्द्र, उप विधि सलाहकार	संयुक्त राज्य अमेरिका (न्यूयार्क)	दिनांक 3 से 15 जुलाई, 2016 तक (संयुक्ते राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यांपार विधि (यूएनसीआईटीआरएएल), न्यूययार्क के 49वें सत्र में भाग लेने लिए)
10.	श्री राजवीर सिंह वर्मा, उप विधि सलाहकार	रूस (सेंट पीटर्सबर्ग)	दिनांक 17 से 21 मई, 2016 तक (छठे सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने के लिए)
		ईरान (तेहरान)	दिनांक 5 से 7 सितंबर, 2016 तक (तेहरान में द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) हेतु भारत और ईरान के बीच वार्ता के सूत्रपात में भाग लेने हेतु)
11.	डॉ. डी.वी. राव, उप विधि सलाहकार	चीन (तियानजिन)	दिनांक 16 से 21 अक्टूबर, 2016 तक (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्याकपार वार्ता समिति (आरसीईपी टीएनसी 15) की 15वीं बैठक और संबंधित बैठक में भाग लेने हेतु)
12.	श्री आर. गणेश वॉल्टे्यर, उप विधि सलाहकार	दक्षिण कोरिया (इंचोन)	दिनांक 16 से 18 मई, 2016 तक (इंचोन (दक्षिण कोरिया) में यूएनसीआईटी–आरएएल– एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय केंद्र द्वारा आयोजित व्यापार विधि फोरम सम्मेतलन में भाग लेने हेतु)
13.	श्री राघवेन्द्र सिंह श्रीनेत, सहायक विधि सलाहकार	आस्ट्रिया (वियना)	दिनांक 12 से 23 सितंबर, 2016 तक (वियना (आस्ट्रिया) में यूएनसीआईटीआरएएल कार्यसमूह–II (विवाद निपटान) के पैंसठवें सत्र में भाग लेने हेतु)
14.	श्रीमती आरती चोपड़ा, सहायक विधि सलाहकार	ऑस्ट्रेलिया (पर्थ)	दिनांक 23 से 29 अप्रैल, 2016 तक (ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में क्षेत्रीय व्यांपक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के अधीन निवेश संबंधी कार्यसमूह (डब्लूजीआई) की 12वीं बैठक में भाग लेने हेतु)

31. लंबित लेखा परीक्षा पैरा की स्थिति :– शून्य

उपाबंध – I

(कृपया अध्याय – I पैरा 2 देखें)

विधि कार्य विभाग का संगठन–चार्ट

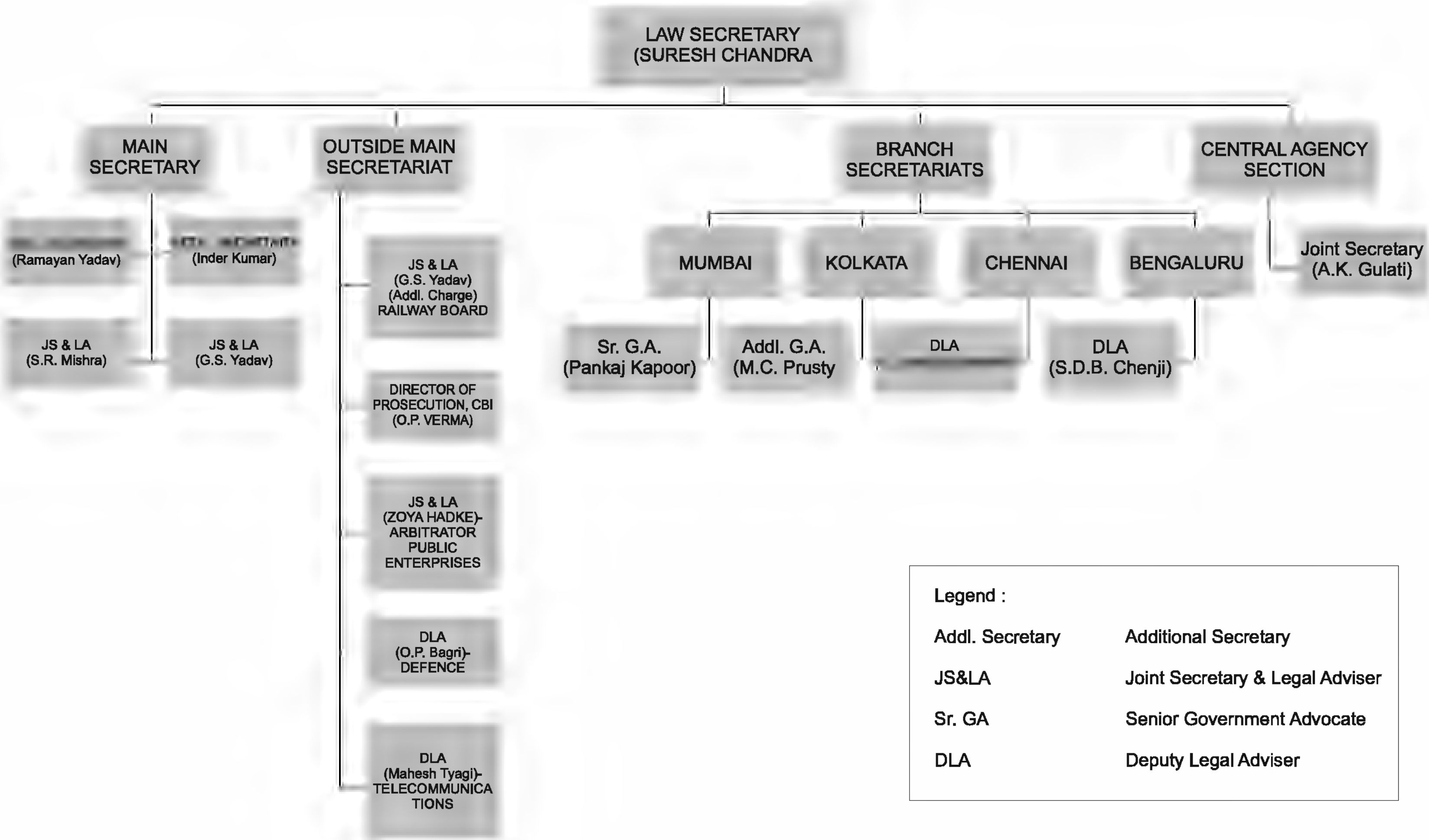

Legend :

Addl. Secretary	Additional Secretary
JS&LA	Joint Secretary & Legal Adviser
Sr. GA	Senior Government Advocate
DLA	Deputy Legal Adviser

उपाबंध – II

(कृपया अध्याय – I पैरा 12 (ग) (xi) देखें)

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 31.12.2016 के अनुसार प्रशिक्षिण अधिकारी/कर्मचारियों का ब्यौरा

	1	2	3
	कुल अधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारी	हिन्दी जानने वाले तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
विधि कार्य विभाग	385	385	0
	4	5	6
विधि कार्य विभाग	कुल टंकक (कोर्ट क्लर्क/अवर श्रेणी लिपिक	हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना है।
विधि कार्य विभाग	76	46	30
	7	8	9
विधि कार्य विभाग	आशुलिपिकों की संख्या	हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
	112	78	34

उपाबंध – III

(कृपया अध्याय – I पैरा 12 (ग) (xi) देखें)

दिनांक 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान हिन्दी शिक्षण योजना हिन्दी के प्रगामी का ब्यौरा

	1	2	3	4	5	6
	हिंदी में प्राप्त पत्र	पत्र जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	पत्र जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए	भेजे गए मूल पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्र	अंग्रेजी में भेजे गए पत्र
विधि कार्य विभाग	6942	किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया।	6301	31270	19530	11740
	7	8	9	10	11	12
	तारों की कुल संख्या	हिंदी में जारी किए गए	अंग्रेजी में जारी किए गए	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	रबड़ की मुहरें	नाम – पट्टिकाएं

	13	14	15	16		17		18		19	
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	देवनागरी/विभाषी कम्प्यूटरों की संख्या	अंग्रेजी कम्प्यूटर की संख्या	कर्मचारिवृन्द की कुल संख्या		हिन्दी में प्रवीण कर्मचारिवृन्द की संख्या		रबड़ की मुहरें		नाम – पट्टिकाएं	
				राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	द्विभाषिक	अंग्रेजी में	द्विभाषिक	अंग्रेजी में
विधि कार्य विभाग	300	300*	——	171	214	72	155	सभी	——	सभी	——

*सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने की सुविधा है।

उपाबंध – IV
(कृपया अध्याय – I पैरा 13 देखें)

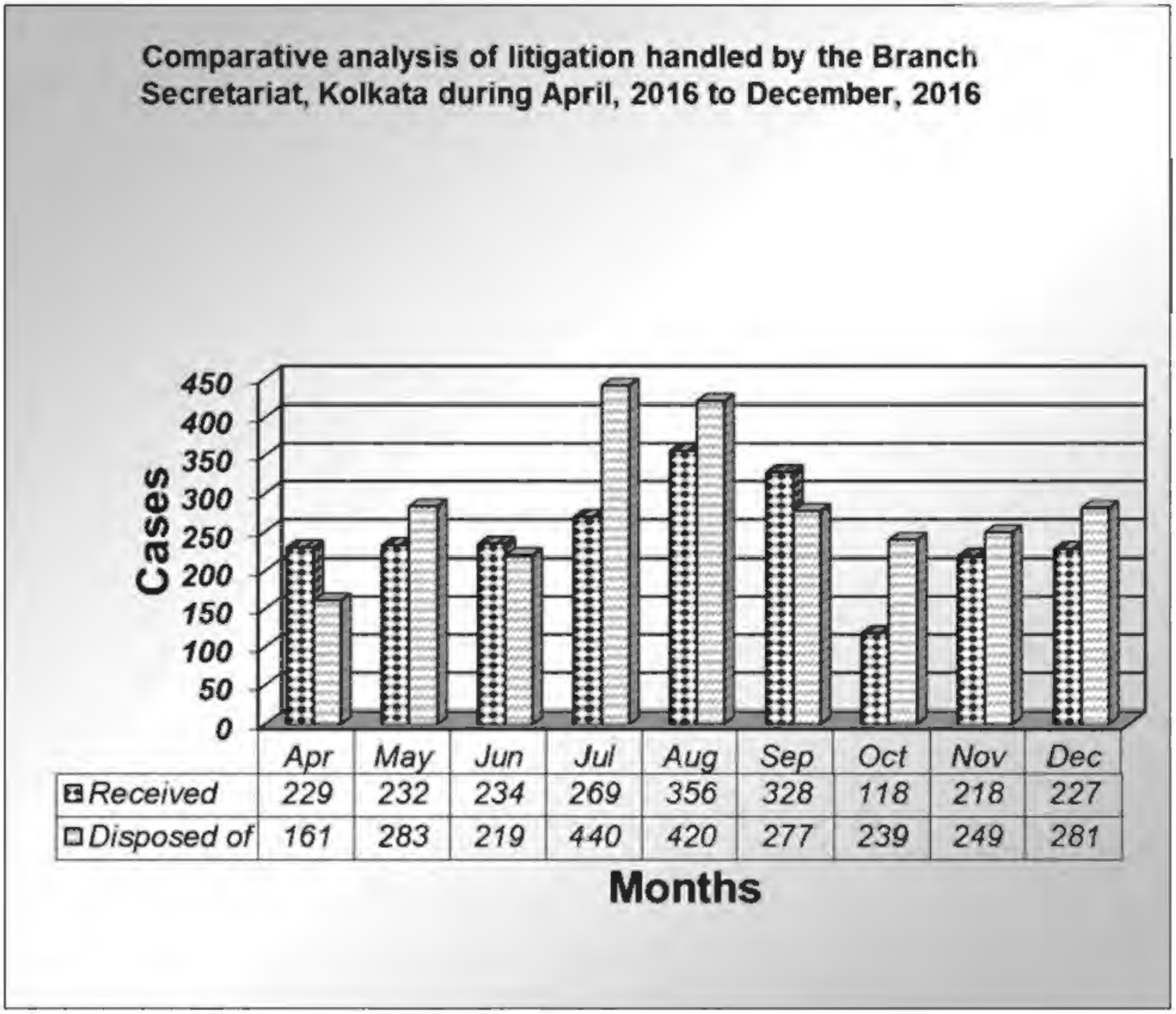

उपाबंध – V

(कृपया अध्याय – I पैरा 13 (xi) देखें)

Data regarding disbursement of Professional Fee to Panel Counsel by the Branch Secretariat, Kolkata during April, 2016 to December, 2016

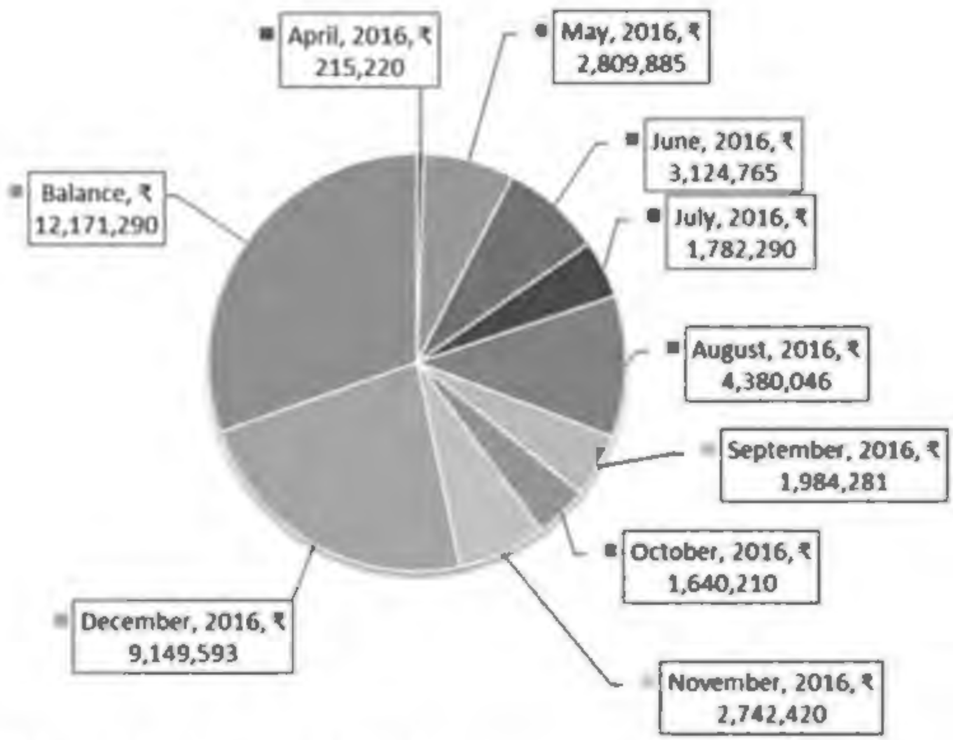

Budgetary amount during the year 2016-2017 : Rs. 4,00,00,000/-
Total Amount Paid upto December, 2016 : Rs. 2,78,28,710/-

उपाबंध - VI

(कृपया अध्याय - I पैरा 22 (xvii) देखें)

दिनांक 01.01.2017 को आई.टी.ए.टी. में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग सहित कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.जा.ज.	अ.व.पि.	भू.सै.	शा.वि.
अध्यक्ष	1	1	-	-	-	-	-
उपाध्यक्ष	2	2	-	-	-	-	-
लेखा सदस्य	52	29	4	3	15	-	1
न्यायिक सदस्य	46	26	7	2	11	-	-
रजिस्ट्रार	1	1	-	-	-	-	-
उप रजिस्ट्रार	-	-	-	-	-	-	-
सहायक रजिस्ट्रार	21	11	4	1	5	-	-
हिंदी अधिकारी	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**123**	**70**	**15**	**6**	**31**	**0**	**1**

समूह ख	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.जा.ज.	अ.व.पि.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.जा.ज.	अ.व.पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.व.पि.	सा.
						-	-	-	-	-	-	-	-
वरिष्ठ निजी सचिव	88	55	11	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-
निजी सचिव	17	7	1	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-
अधीक्षक	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय अधीक्षक	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिन्दी अनुवादक	6	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रधान लिपिक	37	26	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
वरिष्ठ लेखाकार	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सहायक	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**163**	**103**	**23**	**5**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

समूह ग	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.जा.ज.	अ.व.पि.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.जा.ज.	अ.व.पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.व.पि.	सा.
उच्च श्रेणी लिपिक	90	43	9	3	29	-	-	3	-	-	1	-	2
स्टेनो ग्रेड 'डी'	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवर श्रेणी लिपिक	124	59	25	11	26	-	-	1	-	-	-	2	-
स्टाफ कार चालक	34	3	9	3	4	1	1	8	5	-	-	-	-
कुल	**249**	**106**	**43**	**17**	**59**	**1**	**1**	**12**	**5**	**0**	**1**	**2**	**2**

	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.जा.ज.	अ.व.पि.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.जा.ज.	अ.व.पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.व.पि.	सा.
मल्टीटास्किंग स्टाफ-	201	61	64	16	31	1	3	8	10	3	0	3	1
कुल	**201**	**61**	**64**	**16**	**31**	**1**	**3**	**8**	**10**	**3**	**0**	**3**	**1**

उपाबंध - VII

(कृपया अध्याय - I पैरा 26 देखें)

दिनांक 1 जनवरी, 2017 को सरकारी सेवकों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	भूतपूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	97	18	18.55	6	6.18	12	12.37	-	-	3	3.09
समूह 'ख'	250	38	15.20	5	2.00	22	8.80	03	1.20	06	2.40
समूह 'ग'	135	13	9.62	2	1.48	16	11.85	-	-	02	1.48
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	164	51	31.09	9	5.48	24	14.63	01	0.60	02	1.21
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	08	08	100	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	654	128	19.57	22	3.36	74	11.31	04	0.61	13	1.98

* उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग, विधि आयोग और केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के उन वर्तमान पदों की सूचना भी शामिल है, जिनका संवर्ग नियंत्रण इस विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

*उपर्युक्त विवरण में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के पदों के बारे में सूचना शामिल नहीं है ।

(कृपया अध्याय - I पैरा 26 देखें)

वर्ष 2016 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरे गए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

अनुसूचित जाति

पदों का समूह	रिक्त पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 10 + 11)
	अधिसूचित*	भरे गए	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख'	4	10	-	-	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*सीएसएस और सीएसएसएस के संवर्गों के विभिन्न पदों की रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिकलित की जाती है। इस विभाग द्वारा सीएससीएस संवर्ग के केवल समूह 'ग' के पदों का परिकलन किया जाता है, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 19 + 20)
	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	--	-	-	-	-	-
समूह ख'	04	01	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*** भाग II –प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i)निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह "क" (ii) समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	05	06	-	-	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'क'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ख'	5	5	-	-	-	-	-	-	-
'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ". (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

भाग-III प्रोन्नति द्वारा (चयन द्वारा)भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह "क" (i)निम्नतम पंक्ति से भिन्न (ii) समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह "ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
"क"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उपाबंध - VIII

(कृपया अध्याय - I पैरा 27 देखें)

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित)		आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	97	15	123	8
समूह ख	250	93	163	25
समूह ग	135	04	249	89
समूह घ	172	15	201	13
कुल	**654**	**127**	**736**	**135**

अध्याय–II

विधायी विभाग

जहां तक भारत सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों कृत्य सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा–उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैः–

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों का प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना ;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर–सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर–सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है, उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना ;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना ;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना ;

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है ;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना ;

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है ;

(x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(xi) संसद, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान–मंडलों, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन ;

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान–मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजन ;

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार ;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन;

(xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित विषय;

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले ;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयो पर विधान ;

(xviii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवादों का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना।

(xx) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन'

(2) विधायी विभाग के नियन्त्रणाधीन कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।

(क) **विधायी विभाग का राजभाषा खंड** मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिदिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।

(ख) **विधि साहित्य प्रकाशन** प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रर्दशनियां भी लगाता है।

2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अफर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं। प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट **उपाबंध–IX** पर है।

3. विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है।

(2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है।

(3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से, विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:–

(क) सांविधानिक संशोधन ;

(ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां ;

(ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान ;

(घ) निरर्थक विधियों का निरसन; और

(ङ) प्रकीर्ण विधियां।

4. 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान, इस विभाग ने संसद के सदनों में पुरःस्थापन के लिए विधेयकों के प्रारूपण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से मंत्रिमंडल के लिए विधायी प्रस्तावों वाले 112 टिप्पणों की परीक्षा की। इस अवधि के दौरान कुल 42 विधेयक पुरःस्थापन के लिए संसद के सदनों को अग्रेषित किए गए। इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नलिखित अनुसार है : –

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम
1.	निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2016
2.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016
3.	वित्त विधेयक, 2016
4.	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2016
5.	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण), 2016
6.	विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 2016
7.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2016
8.	विनियोग (रेलवे) विधेयक, 2016
9.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016
10.	विनियोग विधेयक, 2016
11.	सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016
12.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016
13.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016
14.	विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2016
15.	विनियोग (रेल) सं. 2 विधेयक, 2016
16.	उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016
17.	प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016
18.	तकनीकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
19.	भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016
20.	दंत–चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016
21.	राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसाधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
22.	उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016
23.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016
24.	लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
25.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016
26.	विनियोग (सं.3) विधेयक, 2016
27.	कर्मचारी प्रतिकार (संशोधन) विधेयक, 2016
28.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
29.	मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016
30.	प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016
31.	कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2016
32.	कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016
33.	सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016
34.	नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016
35.	कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016
36.	राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

37.	विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2016
38.	विनियोग (सं. 5) विधेयक, 2016
39.	संविधान (अनुसूचित जातियां और जनजातियां) विधेयक, 2016
40.	वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016
41.	मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016
42.	महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016

5. 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान पुरःस्थापित किए गए और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से एक संविधान संशोधन अधिनियम सहित 52 विधेयक अधिनियमों अधिनियमित अधिनियमित किए गए हैं जोकि निम्नानुसार है :

अधिनियम संख्या	**संक्षिप्त नाम**
1.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का 1)
2.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2)
3.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 3)
4.	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रयाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 (2016 का 4)
5.	परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 5)
6.	बोनस संदाय अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 6)
7.	विनियोग (सं. 4) अधिनियम, 2015 (2016 का 7)
8.	विनियोग (सं. 5) अधिनियम, 2015 (2016 का 8)
9.	चीनी उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 9)
10.	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 10)
11.	भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)
12.	विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 12)
13.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 13)
14.	विनियोग (रेलवे) लेखानुदान अधिनियम, 2016 (2016 का 14)
15.	विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 2016 (2016 का 15)
16.	भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16)
17.	राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 का 17)
18.	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18)
19.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 19)
20.	विनियोग अधिनियम, 2016 (2016 का 20)
21.	सिख गुरूद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 21)

22.	विनियोग अधिनियम (निरसन), 2016 (2016 का 22)
23.	निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 23)
24.	संविधान (अनूसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 24)
25.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 25)
26.	विनियोग (रेलवे) सं. 2 अधिनियम, 2016 (2016 का 26)
27.	उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 2016 (2016 का 27)
28.	वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28)
29.	विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 2016 का 28)
30.	यान–हरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 30)
31.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31)
32.	डॉ राजेन्द्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (2016 का 32)
33.	उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 33)
34.	भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 34)
35.	बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 35)
36.	प्रादेशिक बायोटेक्नोलॉजी केंद्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36)
37.	लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 37)
38.	प्रतिकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38)
39.	भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 39)
40.	दंत–चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 40)
41.	तकनीकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 41)
42.	राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 42)
43.	बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 2016 (2016 का 43)
44.	प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 44)
45.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, (2016 का 46)
46.	विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2016 (2016 का 46)
47.	कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 47)
48.	कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 48)
49.	निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)
50.	विनियोग (सं. 4) अधिनियम, 2016 (2016 का 50)
51.	विनियोग (सं. 5) अधिनियम, 2016 (2016 का 51)

6. संविधान संशोधन अधिनियम

1.	संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 (माल और सेवा कर)

7. अध्यादेश

विधायी विभाग ने दस अध्यादेशों का प्रारूपण तैयार किया जो 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान प्रख्यापित किए गए थे, अर्थात् :—

संख्या	संक्षिप्त शीर्षक
1.	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (2016 का 1)
2.	उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016 (2016 का 2)
3.	शत्रु संपति (संशोधन और विधिमान्यकरण) द्वितीय अध्यादेश, 2016 (2016 का 3)
4.	भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का 4)
5.	दंतचिकित्सक अध्यादेश, 2016 (2016 का 5)
6.	शत्रु संपति (संशोधन और विधिमान्यकरण) तृतीय अध्यादेश, 2016 (2016 का 6)
7.	शत्रु संपति (संशोधन और विधिमान्यकरण) चौथा अध्यादेश, 2016 (2016 का 7)
8.	शत्रु संपति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 (2016 का 8)
9.	मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का 9)
10.	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अध्यादेश, 2016 (2016 का 10)

8. विनियम

संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन एक विनियम जारी किया गया।

	संक्षिप्त नाम
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संरचना विनियम, 2016 (2016 का 1)

9. संवैधानिक आदेश: संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन एक संवैधानिक आदेश जारी किया गया।

	संक्षिप्त नाम
1.	संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 2016

10. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 3996 कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई है।

11. अप्रचलित विधियों का निरसन

(i) विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016 (2016 का 22) को 756 विनियोग अधिनियमों के निरसन हेतु अधिनियमित किया गया।

(ii) निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 23) को 294 अधिनियमों के निरसन हेतु अधिनियमित किया गया।

मंत्रिमण्डल ने भी निरसन हेतु चिन्हित शेष 422 अधिनियमों में से 105 अप्रचलित अधिनियमों के निरसन के लिए अनुमति दी है।

12. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत का संविधान, निर्वाचन विधियों एवं तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

(2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी सांविधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुति 16 अक्टूबर, 1989 को की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त – 01 जनवरी, 1990 तक रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 व्यर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। उनकी हैसियत व वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है।

(4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में आंतरिक दल लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(5) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है तथा इसे निर्वाचन आयोग के लिए भारत सरकार की स्वीकृतियां जारी करने का कार्य सौंपा गया है।

(6) इसके अतिरिक्त वर्ष 1950 में निर्वाचन व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ

परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। और, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय क्रमशः केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ–साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भारत सरकार के भाग का पुर्नभुगतान संबंधित राज्य सरकारों को कर दिया जाता है।

13. निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी विभाग, संसद, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन कराने और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है:–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(iii) राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002

(v) आंध्र प्रदेश विधान परिसद अधिनियम, 2005

(vi) तमिलनाडु विधान परिसद अधिनियम, 2010

(2) हमारे देश का निर्वाचक तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फस्ट पास्ट दी पोस्ट) वाला भी कहा जाता है ने सड़सठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने सड़सठ वर्षों की इस यात्रा को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होनें इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून–पसीने से संवारा है। निःसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्तव्यस्ता एवं हलचल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निवार्चन प्रक्रिया, युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय राज्यतंत्र, गठबंधन राजनीति के दौर से गुजर रहा है, जिससे विधायी निकायों की प्रत्येक सीट अत्यधिक मूल्यवान हो गई है। ऐसे परिवेश में आरोप–प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कुछ बेईमान और आपराधिक तत्वों के कारण निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

(3) निरंतर बदलते परिवेश में, अनेक बार निर्वाचन विधि में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार–विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय–समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

(4) मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में दिनांक 16 सितंबर, 2016 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था। संशोधन का उद्देश्य मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के साथ संलग्न फार्म सं. 6, 6ए, 7, 8, 8ए, 18 तथा 19 और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के साथ संलग्न फार्म सं. 2ए, 2बी, 2सी, 2डी, 2ई, 2एफ, 2जी तथा 2एच को सरल बनाने तथा प्रयोक्ता अनुकूल बनाना है। निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पोस्टल बैलेट के संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए 21 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में आगे भी संशोधन किया गया था।

(5) पूर्व की विभिन्न समितियों की रिपोर्टो, निर्वाचन आयोग तथा अन्य हितधारकों के तर्को को ध्यान में रखते हुए और विधि में अविलम्ब परिवर्तन करने के लिए, प्राथमिक रूप से तीन माह की अवधि के भीतर, व्यापक उपाय सुझाने हेतु 16 जनवरी, 2013 को माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने निर्वाचन संबंधी सुधारों का मामला विचार करने हेतु पूर्ण रूप से विधि आयोग को सौंप दिया। इन सभी बातों पर विचार किए जाने के पश्चात् भारत के विधि आयोग ने 2015 में 'निर्वाचन सुधारों' पर अपनी 255वीं रिपोर्ट पेश की। विधायी विभाग ने 'निर्वाचन सुधारों' पर 244वीं तथा 255वीं रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया।

टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट कुछ सुझावों के साथ प्रस्तुत की है। वर्तमान में, विधि आयोग की 244वीं तथा 255वीं रिपोर्ट उसे लागू करने के लिए विचाारधीन है।

14. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.)

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.ऋम.), बैलेट बॉक्स का प्रतिस्थापन निर्वाचन प्रक्रिया का मुख्य आधार है। पहली बार वर्ष 1977 में निर्वाचन आयोग द्वारा कल्पना की गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) को इसे डिजाइन तथा विकसित करने का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1979 एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया, जिसका प्रदर्शन निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर

(बीईएल), एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, को, ईवीएम की शुरूआत पर आम सहमति बनने के पश्चात ईसीआईएल के साथ संयुक्त रूप से ईवीएम के निर्माण के लिए चुना गया।

(2) ईवीएम का पहली बार प्रयोग केरल में मई, 1982 के उप चुनावों में हुआ था, हालांकि, इसके प्रयोग संबंधी कोई विधि विशेष न होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने यह चुनाव खारिज कर दिए थे। तत्पश्चात्, वर्ष 1989 में संसद ने चुनावों में ईवीएम के प्रयोग के लिए प्रावधान बनाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किए थे। इसकी शुरूआत से संबंधित आम सहमति 1998 में ही बनी तथा तीन राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रयोग हुआ। वर्ष 1999 में इसका प्रयोग बढ़ाकर 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इसके पश्चात, फरवरी, 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनावों में 45 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों किया गया। मई, 2001 में राज्य विधानसभा चुनावों में तमिलनाडू, केरल, पांडिचेरी तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ईवीएम का प्रयोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। तब से, सभी राज्य विधानसभा के लिए आयोग ने ईवीएम का प्रयोग किया है। वर्ष 2004 में, लोक सभा के आम चुनावों में देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम (दस लाख से अधिक) का प्रयोग किया गया।

(3) ईवीएम में दो इकाईयां होती हैं– कंट्रोल यूनिट (सी यू) तथा बैलट यूनिट (बी यू) जिसमें एक केबल (5 मी. लंबी) होती है जो दोनों को आपस में जोड़ती है। एक बैलट यूनिट में लगभग 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। ईवीएम के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं। इसे समय–समय पर विकसित किया गया है तथा अब यह और अच्छी स्थिति में आ गई है। पूर्व 2006 तथा उत्तर 2006 की की ईवीएम के मामले में 4 (चार) बैलट यूनिटों को एक साथ जो) कर अधिकतम 64 उम्मीदवारों (नोटा सहित) के नाम दर्ज किए जा सकते थे, जिसके लिए एक कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जा सकता था। उत्तर 2006 की उन्नत ईवीएम के मामले में 24 (चौबीस) बैलट यूनिटों को एक साथ जो) कर 384 उम्मीदवारों (नोटा सहित) के नाम दर्ज किए जा सकते हैं, जिसके लिए एक कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जा सकता है। यह 7.5 वोल्ट की पावर पैक बैटरी पर चलती है। उत्तर 2006 की उन्नत ईवीएम के मामले में, एक कंट्रोल यूनिट के साथ 4 से अधिक बैलट यूनिट जोड़ने की स्थिति में पावर पैक 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं तथा 21वीं बैलट यूनिट में लगाया जाता है। दृष्टिहीन मतदाताओं के मार्गदर्शन हेतु उम्मीदवारों के मतदान बटन के साथ बैलट यूनिट की दायीं ओर ब्रेल संकेतक में 1 से लेकर 16 तक के अंक उभरे होते हैं। तदोपरांत, मतदान के अनुभव को नई उंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनिंदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम में मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) लागू किया है।

(4) चुनावों में ईवीएम के डिजाइन तथा प्रयोग को वैश्विक लोकतंत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है। इससे प्रणाली में अधिक पारदार्शिता, तेजी तथा ग्राहयता आयेगी। इससे ईवीएम के प्रयोग में

प्रवीण निर्वाचन अधिकारियों का व्यापक दल तैयार करने में भी सहायता मिली है। इसके विकास क्रम में आयोग ने निर्देशों की श्रृंखला, अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न तथा तकनीकी दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान, अनेक न्यायिक निर्णयों से भी ईवीएम को हमारी निर्वाचन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने में सहायता मिली है।

15. ईवीएम का विस्तार तथा निपटान–तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन

ईसीआई–ईवीएम का अनुमोदन 1990 में निर्वाचन सुधारों फर गोस्वामी समिति की पहल पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ उपसमिति द्वारा किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता प्रो.एस.सम्पत, तत्कालीन अध्यक्ष आर.ए.सी., रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अन्य सदस्यों, प्रो. पी.वी.इंदीरसेन, जोकि तब दिल्ली आई.आई.टी. में थे तथा डॉ सी.राव कसारबाडा, तत्कालीन निदेशक, इलक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, त्रिवेंद्रम के साथ की थी। इसके बाद से आयोग ईवीएम से संबंधित सभी तकनीकी मामलों फर तकनीकी विशेषज्ञों के दल जिसमें आई. आई.टी., दिल्ली के प्रो. पी.वी.इंदीरसेन (पिछली समिति के सदस्य), प्रो.डी.टी.शहानी तथा प्रो.ए.के. अग्रवाल शामिल हैं, से विमर्श करता है। नवंबर, 2010 में, आयोग ने दो अन्य विशेषज्ञ जिनके नाम इलेक्ट्रिक इंजीनियारिंग, मुम्बई आई.आई.टी के प्रो.डी.के.शर्मा तथा कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, कानपुर आई.आई.टी. के प्रो.रजत मूना (अब प्रमुख निदेशक, सी–डेक) को शामिल करके अपनी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया है। वर्ष 2013 में प्रो. इंदीरसेन के निधन के पश्चात, समिति की अध्यक्षता प्रो. डी.टी. शहानी द्वारा की जा रही है।

(2) ईवीएम के उन्नयन तथा निपटान संबंधी सभी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) से परामर्श किया जाता है। तत्पश्चात, इस मामले में कोई भी निर्णय लिया जाता है। वर्तमान समय में आयोग में प्रयोग हेतु ईवीएम के तीन प्रकार उपलब्ध हैं– पूर्व 2006, उत्तर 2006। उन्नत उत्तर 2006 (उत्तर 2013) ईवीएम का प्रयोग लोक सभा, 2014 के आम चुनाव में किया गया था।

(3) वर्ष 1989–90 में बनाए गए ईवीएम इसके निर्माता की सलाह के अनुसार नष्ट किए जा रहे हैं, ईवीएम का जीवनकाल 15 वर्ष का होता है तथा 15 वर्ष से पुरानी ईवीएम का प्रयोग करना जोखिमपूर्ण है और वर्ष 2000–2005 में बनाए गए ईवीएम के निपटान के लिए बनाई गई एक चरणबद्ध योजना के संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को सूचित किया गया है।

(4) अभी तक ईवीएम का जो प्रापण किया गया है, उसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	बैलेट यूनिट की कुल सं.	कंट्रोल यूनिट की कुल सं.	कुल धनराशि प्रदत्त / स्वीकृत (रुपयों में)	कुल धनराशि प्रदत्त / स्वीकृत (करोड रुपयों में)
1.	2000–2001	142631	142631	1499880443	149.99
2.	2001–2002	135481	135481	1422900000	142.29
3.	2002–2003	190592	190592	2006100000	200.61
4.	2003–2004	336045	336045	3530000000	353.00
5.	2004–2005	125681	125681	1315400000	131.54
6.	2006–2007	250000	250000	2893742332	289.38
7.	2008–2009	180000	180000	1900000000	190.00
8.	2009–2010	127000	100000	1150000000	115.00
9.	2013–14	382876	251650	2159435745	215.94
	योग	**1870306**	**1712080**	**17877458520**	**1787.75**

(5) तीन वित्तीय वर्षों में, ईवीएम के प्रापण के लिए हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है जोकि निम्नानुसार हैः–

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	बैलेट यूनिट	कंट्रोल यूनिट
1.	2016–17	5,50,000	5,45,000
2.	2017–18	4,10,000	3,14,000
3.	2018–19	4,35,306	71,716
	कुल	**13,95,306**	**9,30,716**

16. मतदान फोटो पहचान–पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ई पी आई सी)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो फहचान–पत्रों का उपयोग धीरे–धीरे और निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है। निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था। निर्वाचक नामावली, रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का आधार है। निर्वाचक नामावलियों को सम्मिलित प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, निर्वाचक नामावली में साम्मिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। अतः मतदाता पोटो पहचान–पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने के लिए कोई समय–सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और अधिक संख्या

में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचकों को, जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्रदान किए जाएं। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान–पत्र जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक है, नियमित रूप से उसकी प्रगति की मॉनिटारिंग करता है।

(2) निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, मतदाता फोटो पहचान–पत्र योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। मतदाता फोटो पहचान–पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई नियत समय सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं –

(i) सभी मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं।

(ii) मतदाता डाटाबेस में मतदाताओं की फोटो उपलब्ध न होने की स्थिति में समय–समय पर विशेष अभियान चला कर फोटो एकत्र की/ली जाती हैं।

(iii) सभी मतदाताओं की फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की गई है ।

(iv) बिना रूकावट नामांकन करने तथा सभी नए रजिस्टर्ड मतदाताओं को ईपीआईसी जारी करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है।

(3) इस संबंध में देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने की प्रगति दर्शाने वाला विवरण आयोग में उपलब्ध अद्यतित डाटा (2016) के अनुसार निम्नानुसार है।

क्रम सं0	राज्य का नाम	ईपीआईसी%
रा 01	आन्ध्र प्रदेश	100.00
रा 02	अरूणाचल प्रदेश	99.55
रा 03	असम	93.85
रा 04	बिहार	100.00
रा 05	गोवा	99.55
रा 06	गुजरात	99.99
रा 07	हरियाणा	100.00
रा 08	हिमाचल प्रदेश	100.00

रा 09	जम्मू और कश्मीर	89.49
रा 10	कर्नाटक	99.43
रा 11	केरल	100.00
रा 12	मध्य प्रदेश	100.00
रा 13	महाराष्ट्र	95.18
रा 14	मणिपुर	100.00
रा 15	मेघालय	100.00
रा 16	मिजोरम	100.00
रा 17	नागालैण्ड	98.06
रा 18	उड़ीसा	97.96
रा 19	पंजाब	98.57
रा 20	राजस्थान	99.60
रा 21	सिक्किम	100.00
रा 22	तमिलनाडु	100.00
रा 23	त्रिपुरा	100.00
रा 24	उत्तर प्रदेश	99.70
रा 25	पश्चिम बंगाल	100.00
रा 26	छत्तीसगढ़	97.57
रा 27	झारखण्ड	99.92
रा 28	उत्तराखण्ड	100.00
रा 29	तेलंगाना	100.00
सं 01	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	98.97
सं 02	चण्डीगढ़	99.98
सं 03	दादरा एवं नागर हवेली	100.00
सं 04	दमन एवं दीव	97.91
सं 05	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	100.00
सं 06	लक्षदीप	100.00
सं 07	पुडुचेरी	99.99
	समस्त भारत	**99.04**

17. मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी):

4 अक्तूबर, 2010 को हुई सभी राजनीतिक दलों की बैठक में दलों ने ईवीएम से संतुष्टि जाहिर की परंतु कुछ दलों ने आयोग से मतदान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सत्यापनीयता के लिए मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की शुरूआत करने पर विचार करने का अनुरोध

किया। आयोग ने इस संबंध में जांच करने तथा संस्तुति देने के लिए ईवीएम संबंधी तकनीकी विषेशज्ञ समिति से मामले का उल्लेख किया। विषेषज्ञ समिति ने इस विशय पर ईवीएम के निर्माताओं, बीईएल और ईसीआईएल के साथ कई बैठकें कीं तथा उसके पश्चात उन्होंने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी प्रणाली के डिज़ाइन संबंधी आवश्कताओं का पता लगाने के लिए राजनीतिक दलों और अन्य सामाजिक सदस्यों से मुलाकात की। निर्वाचन आयोग ने 26 दिसंबर, 2016 के पत्र द्वारा सूचित किया कि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात, निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी के निर्माण के लिए बीईएल और ईसीआईएल के अतिरिक्त दो अन्य के.सा.क्षे.उ., आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर तथा सी.ई.एल., गाजियाबाद का चुनाव किया है।

(2) भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2013 को संशोधित निर्वाचनों का संचालन नियमावली, 1961 को अधिसूचित किया जिसमें आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपीएटी के प्रयोग का अधिकार दिया गया। आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम नागालैण्ड के 51–नोकसेन (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–चुनावों में किया। तत्पश्चात, वीवीपीएटी का प्रयोग विधानसभा के सभी चुनावों में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों तथा लोक सभा, 2014 के आम चुनावों में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया।

(3) हाल ही में, आयोग ने 67,000 वीवीपीएटी की आपूर्ति के लिए निर्माताओं, मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलौर तथा मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद को ऑडर दिया है।

18. वीवीपीएटी के तथ्य

वीवीपीएटी एक स्वतंत्र यंत्र है जो कि इलेक्ट्रॅनिक वोटिंग मशीन के साथ लगा होता है जिससे मतदाता जांच सकता है कि मत उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। जब मत डाला जाएगा, प्रिंटर द्वारा उम्मीदवार की क्रम संख्या, उम्मीदवार के नाम तथा उम्मीदवार के चुनाव चिहृन को दर्शाते हुए एक स्लिप मुद्रित होगी तथा 7 सेकंड के लिए पारदर्शी विंडो में दिखाई देगी। इसके पश्चात यह प्रिंटिड स्लिप अपने आप कट जाएगी तथा वीवीपीएटी के ड्रॉप बाक्स में गिर जाएगी।

(2) वीवीपीएटी में एक प्रिंटर तथा एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) होता है। वीवीपीएटी 15 वोल्ट के एक पावर पैक (बैटरी) पर चलता है। कंट्रोल यूनिट और वीएसडीयू प्रिसाइडिंग ऑफिसर/पोलिंग आफिसर के पास होती है तथा बैलट यूनिट और प्रिंटर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखे जाते हैं।

(3) वीवीपीएटी अभी तक निम्नलिखित चुनावों में प्रयुक्त हुई हैं।

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
2013 में नागालैंड विधानसभा क्षेत्र, उपचुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
1	नागालैंड	51–नोकसेन (एसटी) एसी (उपचुनाव)	21	4/9/2013	बीईएल और ईसीआईएल
2013 में मिजोरम विधानसभा क्षेत्र, उपचुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
2	मिजोरम	1. 10–आइजोल नार्थ–I (एसटी)		25/11/2013	ईसीआईएल
		2. 11–आइजोल नार्थ–II (एसटी)			
		3. 12–आइजोल नार्थ–III (एसटी)			
		4. 13–आइजोल इर्स्ट–I			
		5. 14–आइजोल इर्स्ट–II (एसटी)			
		6. 15–आइजोल वेस्ट–II (एसटी)			
		7. 16–आइजोल वेस्ट–II (एसटी)			
		8. 17–आइजोल वेस्ट–III (एसटी)			
		9. 18–आइजोल साउथ–I (एसटी)			
		10. 19–आइजोल साउथ–II (एसटी)			
क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र, 2013 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	51–नोकसेन (एसटी) एसी (उपचुनाव)		4/12/2013	बीईएल
लोकसभा, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
4	मिजोरम	1–मिजोरम पीसी के 385 पोलिंग स्टेशन	385	11/4/2014	बीईएल
5	बिहार	30–पटना साहिब पीसी	1746	17/4/2014	बीईएल

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
6	कर्नाटक	26–बंगलौर पीसी	1926	17/4/2014	बीईएल
7	छत्तीसगढ़	8–रायपुर पीसी	2204	24/4/2014	ईसीआईएल
8	तमिलनाडु	4–चेन्नई सेंट्रल पीसी	1153	24/4/2014	बीईएल
9	गुजरात	6–गांधीनगर पीसी	1770	30/4/2014	बीईएल
10	उत्तर प्रदेश	35–लखनऊ पीसी	1728	30/4/2014	ईसीआईएल
11	पश्चिम बंगाल	22–जादवपुर पीसी	1959	12/5/2014	ईसीआईएल
महाराष्ट्र विधानसभी क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान सितंबर–अक्तूबर, 2014 में निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
12	महाराष्ट्र	38– अमरावती एसी	245	15/10/2014	ईसीआईएल
		42– अचलापुर एसी	290		
		47– वर्धा एसी	332		
		61– भंडारा (एससी)	429		
		71– चंद्रपुर (एससी)	336		
		78– यवतमाल	387		
		107– औरंगाबाद सेंट्रल	258		
		108– औरंगाबाद वेस्ट (एससी)	274		
		109– औरंगाबाद ईस्ट	250		
		123– नासिक ईस्ट	313		
		124– नासिक सेंट्रल	279		
		125– नासिक वेस्ट	290		
		225– अहमद नगर सिटी	259		
हरियाणा विधानसभा क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
13	हरियाणा	13–थानेदार एसी	161	15/10/2014	बीईएल
		21–करनाल एसी	170		
		25–पानीपत सिटी एसी	168		
		31–सोनीपत एसी	144		
		62–रोहतक एसी	145		
		77–गुड़गांव एसी	171		

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
झारखण्ड विधानसभा क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
14	झारखण्ड	36– बोकारो एसी	566	14/12/2014	बीईएल
		40– धनबाद एसी	424	14/12/2014	
		48– जमशेदपुर ईस्ट एसी	262	2/12/2014	
		49– जमशेदपुर वेस्ट एसी	290	2/12/2014	
		63– रांची एसी	364	9/12/2014	
		64– हटिया एसी	434	9/12/2014	
		65– कारके (एससी) एसी	388	9/12/2014	
जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
15	जम्मू एवं कश्मीर	71– गांधी नगर	172	20/12/2014	बीईएल
		72– जम्मू ईस्ट	82		
		73– जम्मू वेस्ट	171		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, 2015 के आम चुनावों के दौरान जनवरी–फरवरी में निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
16	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	38– दिल्ली कैंट	150	7/2/2015	बीईएल
		40– नई दिल्ली	220		
2015 के बिहार विधानसभा क्षेत्र, आम चुनावों के दौरान अक्तूबर–नवंबर, 2015 में निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
17	बिहार	183– कुम्हरार	355		ईसीआईएल
		182– बांकीपुर	330		
		181– दीघा	383		
		230– गया शहर	227		
		94– मुजफ्फरपुर	275		
		83– दरभंगा	258		
		194– आरा	261		
		172– बिहारशरीफ	331		
		118– छपरा	274		
		105– सिवान	263		

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
		156– भागलपुर	301		
		63– कटिहार	228		
		62– पूर्णिया	258		
		165–मुंगेर	284		
		75– सहरसा	312		
		208– सासाराम	315		
		146– बेगुसराय	264		
		223– औरंगाबाद	273		
		200– बक्सर	256		
		54– किशनगंज	238		
		216– जहानाबाद	286		
		237– नवादा	303		
		28– सीतामढ़ी	244		
		133– समस्तीपुर	227		
		48– फारबिसगंज	279		
		241– जमूल	259		
		36– मधुबनी	281		
		149– खगरिया	210		
		101– गोपालगंज	285		
		43– सुपौल	240		
		73– मधेपुरा	272		
		161– बांका	238		
		205– भभुआ	257		
		19– मोतीहारी	256		
		132– हाजीपुर	277		
		8– बेतिया	213		
पश्चिम बंगाल विधानसभा क्षेत्र, 2015 के उपचुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
18	पश्चिम बंगाल	4–कूचबिहार दक्षिण	253	मार्च–मई 2016	ईसीआईएल
		12–अलीपुरद्वार	273		
		17–जलपाइगुड़ी (एससी)	280		
		26–सिलीगुड़ी	238		
		35–रायगंज	194		
		39–बालूरघाट	188		
		64–मुर्शिदाबाद	272		
		कृष्णानगर	268		
		119–बारासात	283		

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
		150–जादवपुर	340		
		161–बालीगंज	291		
		162–चौरंगी	222		
		171–हावड़ा मध्य	308		
		189–चंदन नगर	258		
		203–तमलुक	287		
		236–मिदनापुर	296		
		242–पुरूलिया	266		
		252–बंकुड़ा	303		
		260–बर्धमान दक्षिण	294		
		154–बेहेला पश्चिम	341		
		285–सूरी	287		
केरल विधानसभा क्षेत्र, 2016 के मार्च–मई में हुए आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
19	केरल	133–बट्टीयारकावु	141	मार्च–मई	ईसीआईएल
		135–नेमम	148		
		124–कोल्लम	154		
		104–एलप्पुजा	153		
		97–कोट्टयम	158		
		82–एरनाकुलम	122		
		83–तृकाक्करा	147		
		67–तृस्सूर	149		
		56–पालक्काड़	140		
		40–मलाप्पुरम	154		
		27–कोझिकाड़	142		
		11–कुन्नूर (टाउन एरिया)	42		
तामिलनाडु विधानसभा क्षेत्र, 2016 के मार्च–मई में हुए आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
20	तामिलनाडू	21–अन्ना नगर	255	मार्च–मई	बीईएल
		43–वेल्लोर	244		
		53–कृष्णागिरी	294		
		89–सालेम (उत्तर)	284		
		99–इरोड़ (पश्चिम)	285		
		114–तिरूपुर (उत्तर)	327		
		118–कोयंबटूर (उत्तर)	285		

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
		132–डिंडीगुल	268		
		140–तिरुचिरापल्ली पश्चिम	271		
		155–कडलूर	228		
		37–कांचीपुरम	316		
		74–विल्लूपुरम	281		
		189–मदुरई (पूर्व)	302		
		214–तूतुकुडि	271		
		224–तिरुनिवेली	305		
		229–कन्याकुमारी	300		
पुडुचेरी विधानसभा क्षेत्र, 2016 के मार्च–मई में हुए आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
21	पुडुचेरी	15–ओप्पलम	24	मार्च–मई	बीईएल
		16–ओरलमपेट	23		
		27–कराइकल दक्षिण	27		
असम विधानसभा क्षेत्र, 2016 के मार्च–मई में हुए आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
22	असम	9–सिलचर	232	मार्च–मई 2016	बीईएल
		23–डुब्री	192		
		32–बोंगाइगांव	222		
		37–गोआलपारा पूर्व	222		
		51–जलुकबाड़ी	212		
		52–डिसपुर	375		
		53–गुवाहाटी पूर्व	240		
		54–गुवाहाटी पश्चिम	285		
		73–तेजपुर	200		
		98–जोरहाट	191		
तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र, 2016 के उपचुनाव के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
23	तेलंगाना	113–पलाइर	243	मार्च–मई 2016	बीईएल

19. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग, विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2016 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 235 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 17 नए मामले प्राप्त हुए थे जिनके संबंध में पैरावार

टिप्पणियां, प्रति शपथ–पत्र और समुचित अनुदेश, संबंधित सरकारी काउंसेल को सम्प्रेयित किए गए थे। वर्ष के दौरान संदर्भाधीन फाईल किए गए 17 नए मामलों में से 1 और पहले से लम्बित 6 मामलों का इस अवधि के दौरान निपटारा कर दिया गया है । इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 245 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मानिटारिंग की जा रही है।

20. संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2016–17 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटान किया है :

क्र.सं.	कारबार की मद	विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	358
2.	राज्य सभा प्रश्न	121
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	8
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	6
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	4
6.	लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	–
7.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	1
8.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	2
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	28
10.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	8
11.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	10

21. परामर्श समिति

विधि और न्याय मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति को दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को 11 सदस्यों के साथ माननीय विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था। वर्ष 2016 के दौरान, इस मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति की एक बैठक 5 अप्रैल, 2016 को हुई।

22. समवर्ती क्षेत्र में विधान

भारत सरकार (कार्य–आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की (समवर्ती सूची) – सूची 3 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित व्यायों की बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं:–

(क) विवाह और विवाह–विच्छेदय शिशु और अप्राप्तवय; विलय निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;

(ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण);

(ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;

(घ) अनुयोज्य दोष;

(ङ) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;

(च) साक्ष्य और शपथ;

(छ) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थम शामिल है;

(ज) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान।

23. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

विधायी विभाग, इस समय स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वार्णित अन्य विषयों पर, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, भारत के विधि आयोग की 41 रिपोर्टों को मानीटर एवं जांच कर रहा है। आयोग की संस्तुतियों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

24. लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति

लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति, जिसका गठन प्रत्येक लोक सभा (द्वितीय लोक सभा से) के कार्यकाल के दौरान होता है, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद, सांविधिक और गैर सांविधिक की प्रकृति, स्वरूप और संयोजन के संबंध में निरंतर समीक्षा का दायित्व का निर्वहन करती है।

(2) 14वीं लोक सभा के दौरान लाभ के पद की संवैधानिक और विधिक स्थिति का परीक्षण करने के साथ साथ संविधान के अनुच्छेदों 102 (1) (क) और 191(1)(क) के प्रयोजन से ''लाभ का पद'' अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में व्यापक परिभाषा सुझाने हेतु संसद के सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा यथेष्ट विचार–विमर्श करने और हितधारकों एवं राज्य सरकारों से साक्ष्य जुटाने के बाद ''लाभ का पद'' अभिव्यक्ति की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए संविधान में संशोधन की

संस्तुति की गई है। तद्नुसार "लाभ का पद की संवैधानिक तथा विधिक स्थिति का परीक्षण करने के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई", विषय पर मंत्रिमंडल के लिए एक ड्राफ्ट नोट तथा साथ ही ''लाभ का पद'' अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए भारत का संविधान में संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक इस विभाग में तैयार किया गया है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उनके मत/टिप्पणी हेतु परिचालित किया गया है। कुछ मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से टिप्पणी अभी प्रतीक्षित हैं।

25. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति

व्यापार में सरलता के लिए संविदा के प्रवर्तन से संबंधित विधि को अधिक प्रभावी और व्यापार के अनुकूल बनाने हेतु, विधायी विभाग द्वारा विनिार्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों की जांच करने तथा उसमें संशोधन हेतु सलाह देने के लिए 28 जनवरी, 2016 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिस पर इस विभाग में विचार किया जा रहा है।

(2) वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में, व्यापार में सरलता से जुड़े महत्व तथा व्यापार में सरलता, संविदा के प्रवर्तन, विवादों के निपटान आदि की सुगमता के लिए प्रचुर विधिक एवं नियामक सुधार किए जा रहे हैं। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

26. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामलो

विधायी विभाग, स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, विभाजन अधिनियम 1893, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, परिसीमा अधिनियम 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के दौरान नौ नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

27. राज्य विधायी प्रस्ताव

राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उपरोक्त विषयों से संबंधित ऐसे विधायी प्रस्ताव जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, उनकी भी इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है। 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित अड़सठ संदर्भों का परीक्षण किया गया था।

28. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधि प्रारूपण में ऐसे कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। मौजूदा उपलब्ध व्यक्तियों में विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता है। देश में प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के आरंभ से यह संस्थान विधायी प्रारूपण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है। आई.एल.डी.आर. को क्यू.एम.एस. के संचालन के मूल्यांकन के आधार पर आईएसओ 9001:2008 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, सचिव, विधायी विभाग, आई.एल.डी.आर. की पाठ्यक्रम निदेशक हैं जो संस्थान के नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। वर्ष 2016—17 में आई.एल.डी.आर. द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

(i) केंद्रीय / राज्य सरकारों / संघ राज्य प्रशासनों के मध्यम स्तर के विधि अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में तीन महीने की अवधि का बुनियादी पाठ्यक्रम;

(II) केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों / संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम।

(2) रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान आई.एल.डी.आर. ने एक बुनियादी पाठयक्रम, एक मूल्यांकन कार्यक्रम तथा एक पुनश्चर्या पाठयक्रम का आयोजन किया। विधायी प्रारूपण में अठ्ठाइसवें बुनियादी पाठयक्रम का आयोजन 11 जुलाई, 2016 से 10 अक्तूबर, 2016 के दौरान किया गया था। विधायी प्रारूपण में उन्नीसवें मूल्यांकन पाठयक्रम का आयोजन 20 जनवरी, 2016 से 3 फरवरी, 2016 तक किया गया।

(3) आई.एल.डी.आर., कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम संचालित करता है ताकि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रूचि पैदा हो सके तथा वह विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी एकत्रित कर सके। अब तक 284 प्रशिक्षु बुनियादी पाठयक्रम में तथा 263 प्रशिक्षु मूल्यांकन पाठयक्रम में सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी कर चुके हैं। 100 से अधिक छात्रों को स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत अवसर दिया जा चुका है।

29. ई–गवर्नेंस की पहलें

(i) **ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्कः** डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के भाग के रूप में विधायी विभाग के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) के माध्यम से ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सी एम एस) को अपनाने का निर्णय लिया है ताकि विभाग की वेबसाइट को और अधिक नागरिक अनुकूल बनाया जा सके। यह कार्य अंतिम चरण में है तथा इसे शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अपनाने का उद्देश्य यह है कि सरकारी विभागों की वेबसाइट में सुधार किया जा सके ताकि स्थिर पड़ी वेबसाइट को एक सक्रिय पोर्टल में परिवार्तित किया जा सके तथा इसमें मोबाइल फ्रेंडलीनेस, टेक्स्ट स्पीच सशक्तिकरण तथा विजीटर एनेलेटिक डेशबोर्ड जैसी कतिपय विशेष सुविधाएं स्वतः उपलब्ध करवाई जा सकें। एन.आई.सी. की सीएमएफ टीम इस कार्य को पूरा करने की अंतिम अवस्था में है तथा ओपन सोर्स सी.एम.एफ. वेबसाइट को शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

(ii) **ई–ऑफिस का कार्यान्वयनः** सुशासन के भाग के रूप में तथा सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण भाग के नाते ई–ऑफिस के कार्यान्वयन पर विभाग सक्रियता के विचार कर रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि विधायी विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी)/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान (एन.आई.सी. एस.आई.) द्वारा उपलब्ध ई–ऑफिस प्रीमियम का कार्यान्वयन किया जाए। ई–ऑफिस प्रीमियम एक मानक उत्पाद है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है तथा यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों में दोहराये जाने में सक्षम है। इस परियोजना को एन.आई.सी. एस.आई. की सहायता से लागू किया जाएगा। ई–ऑफिस लागू करने के लिए एन.आई.सी. एस.आई. ने विधायी विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा अब इसके संबंध में वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत विभाग में चरणबद्ध तरीके से परियोजना शुरू करने के लिए एन.आई.सी. तथा एन.आई.सी.एस.आई. के समन्वय से एन.आई.सी.एस.आई. के प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

(iii) **इंटरनेट प्रोटोकॉल का 1PV4 से1PV6 में परिवर्तनः** विभाग में लगे कम्प्यूटर सिस्टम के इंटरनेट प्रोटोकॉल के 1PV4 से 1PV6 में परिवर्तन हेतु एन आई सी कक्ष के समन्वय से विधायी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एन आई सी कक्ष ने मामले की जांच

कर यह बताया है कि नॉन–मैनेजेबल हब्स को मैनेजेबल स्विच द्वारा प्रतिस्थापित कर इस विभाग के लैन के सभी नेटवर्क राउटरों को 1PV6 कम्पैटिबल बना दिया गया है। नेटवर्क प्रशासन, एन आई सी मुख्यालय, से तैयारी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत 1PV6 परिवर्तन के संबंध में एन आई सी कक्ष प्रायोगिक टेस्ट नेटवर्क आरंभ करेगा।

(iv) **विधायी विभाग में किसी भी संभव साइबर अटैक को नाकाम करने के लिए साइबर सुरक्षा निर्देश:** विभाग की वेबसाइट को किसी भी संभव साइबर अटैक से बचाने तथा सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साइबर सुरक्षा निर्देशों को सख्त अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है ताकि विधायी विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गैर राज्य संस्थाओं द्वारा डाटा चोरी, हैकिंग तथा इसी प्रकार के अन्य साइबर अटैकों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

30. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, विधायी विभाग ने सूचना का अधिकार संबंधी प्रकोष्ठ का गठन 12 अगस्त, 2005 से किया हुआ है, जिसमें एक अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्तमान में डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय, अपर सचिवय श्री एस.के. चिटकारा, उप सचिव तथा सुश्री विद्यावती, अवर सचिव, अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने, विभाग की शासकीय वेबसाइट पर सूचना का अधिकार शीर्षक के अधीन पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकाल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई–मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का उपयोग करने में जनता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई–मेल संपर्क पता aa.rti.legis@nic.in है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio.rti.legis@nic.in है ।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर इसे आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय–वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के

प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय–सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। वर्ष 2016–17 (1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016) के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए सात सौ सत्तर (770) आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। 1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर सभी इकहत्तर (71) प्रथम अपीलों का उनके गुण–दोषों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। आवेदनों के आगम के रूझान को देखते हुए लगता है कि 2016–2017 के शेष तीन महीनों के दौरान 300 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। आरटीआई आवेदन का निपटान करते हुए दिसंबर, 2016 तक आवेदन शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में इस विभाग ने 4270/– रू. अर्जित किए हैं।

31. शुद्धि अनुभाग

(1) केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख–रखाव

शुद्धि अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख–रखाव करता है। बजट सत्र, मॉनसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र 2016 के दौरान पारित और प्रवृत्त किए गए संशोधनकारी अधिनियमों द्वारा किए गए संशोधनों को इंडिया कोड के जिल्दों में समाविष्ट कर दिया गया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2016 में 13 राज्यों अर्थात, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना तथा दिल्ली से राज्यों के अधिनियम इस विभाग को प्राप्त हो गए हैं। इस विभाग का शुद्धि अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख–रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये बहुमूल्य संदर्भ पुस्तकें होती हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2015 तक के संशोधन अधिनियमों सहित केंद्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अपडेट कर दिया गया है तथा केंद्रीय अधिनियमों की सूची (वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार) को भी निकनेट तथा इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इंडिया कोड की वेबसाइट का पता है http://indiacode.nic.in

(2) वर्ष 2016 के दौरान शुद्धि अनुभाग ने संसद के उनसठ अधिनियमों की गजट प्रतियां (अध्यादेश, विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम सहित) तथा एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम आधिकारिक वेबसाइट www.egazette.nic.in से डाउनलोड कीं। उपर्युक्त में से, 13 मुख्य अधिनियम, 24 संशोधित अधिनियम तथा 10 अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए हैं:–

क. वर्ष के दौरान प्राप्त मुख्य अधिनियम (विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम के अतिरिक्त)

1. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का 1)
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2)
3. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015
4. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)
5. भू–संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016
6. राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 का 17)
7. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18)
8. यान–हरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 30)
9. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31)
10. डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (2016 का 32)
11. क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36)
12. प्रतिकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38)
13. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)

ख. वर्ष के दौरान एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अतिरिक्त निम्नलिखित संशोधन अधिनियम प्राप्त हुए।

1. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2015 का 3)
2. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 5)
3. बोनस संदाय अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 6)

4. चीनी उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 9)
5. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 10)
6. विमानवहन अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 12)
7. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 13)
8. सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 21)
9. निरसन और संशोधन अधिनियम 2016 (2016 का 23)
10. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 24)
11. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन, 2016 अधिनियम, 2016 (2016 का 25)
12. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का 27)
13. भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम 2016 (2016 का 34)
14. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 35)
15. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 37)
16. भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 39)
17. दंत–चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 40)
18. तकनीकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 41)
19. राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 42)
20. बेनामी संव्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 43)
21. प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2016 (2016 का 44)
22. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 45)
23. कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 47)
24. कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 48)

ग. इस वर्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश हैं–

1. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (2016 का 1)
2. उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016 (2016 का 2)

3. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) द्वितीय अध्यादेश, 2016 (2016 का 3)
4. भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का 4)
5. दंतचिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का 5)
6. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) तृतीय अध्यादेश, 2016 (2016 का 6)
7. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) चौथ अध्यादेश, 2016 (2016 का 7)
8. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 (2016 का 8)
9. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, अध्यादेश, 2016 (2016 का 9)
10. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अध्यादेश, 2016

(3) संसद के अधिनियमों के आधार पर प्रधान अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में संशोधन दर्ज कर दिए गए हैं। वर्ष 2016 के दौरान, जिन अधिनियमों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू कर दिया गया है उनके प्रवर्तन होने की तारीख और उनकी अधिसूचना संख्या संबंधित अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में यथास्थान दर्ज कर दी गई हैं।

32. राजपत्र अधिसूचाएं

अक्तूबर 2016 तक शुद्धि अनुभाग में वर्ष 2015 तक की भारत का गजट अधिसूचनाएं प्राप्त की गई हैं। शहरी विकास मंत्रालय, (पीएसपी प्रभाग) के दिनांक 25 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2015–16 की सभी गजट अधिसूचना तथा संसद के अधिनियम आधिकारिक वेबसाइट www.egazette.nic.in पर अपलोड करके ई–प्रकाशित किए जाएंगे। इनकी राजपत्र गजट प्रतियों को डाउनलोड कर संबंधित फोल्डरों में क्रमबद्ध कर लिया गया हैं।

33. राज्य अधिनियम

वर्ष 2016 के दौरान कुल 295 राज्य अधिनियम और 66 अध्यादेश विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए। सभी अधिनियमों और अध्यादेशों को संबंधित रजिस्टरों और फोल्डरों में दर्ज कर लिया गया है।

34. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग के मुद्रण अनुभाग (मुद्रण–। और मुद्रण–।।) विधायन की प्रविया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण का कार्य करने से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय–वस्तु और उपाबंध, जहां–जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना

शामिल है। विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल प्रक्रमों पर जांच की जाती है और अनुमोदन के पश्चात् विधायी–। अनुभाग को भेज दिए जाते हैं जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को ''लोक सभाध्राज्य सभा में पुरःस्थाफित किए जाने के लिए'' प्रक्रम हेतु मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प–सूचना पर पुरःस्थाफित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है। तत्पश्चात, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं जैसे यथा पुरःस्थापित किए जाने वाले प्रक्रम, लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित प्रक्रम, दोनों सदनों से यथा पारित प्रक्रम, अनुमति प्रति प्रक्रम, हस्ताक्षर प्रति प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए–4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है। ए–4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है।

(2) इसके अतिरिक्त, विभाग की आवश्यकता के अनुसार भारत का संविधान और निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत संहिता, संसद के अधिनियमों, केन्द्रीय अधिनियमों के अद्यतन द्विभाषी संस्करण, आदि जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच भी इस विभाग के मुद्रण अनुभागों द्वारा की जाती है।

(3) 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण–। तथा मुद्रण–।। अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये :–

(क) कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों, जैसे वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31), प्रतिकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 31) तथा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम 2016 (2016 का 43) का प्रक्रमण और अधिनियमन।

(ख) 100 विधेयकों, 10 अध्यादेशों, 2 संवैधानिक आदेशो, 2 विनियमों तथा 1 गजट की पांडुलिफियों, प्रूफों और संवीक्षा प्रतियों का संपादन किया गया और जांच की गई ;

(ग) भारत का संविधान की कम्प्यूटर प्रिंट आउट प्रतियों 480x2=960 पेजों की जांच की।

(घ) संसद के 31 अधिनियमों का संपादन तथा जांच की गई।

(ङ) केंद्रीय अधिनियमों के 17 डिग्लॉट संशोधित संस्करणों के प्रूफों तथा प्रिंट प्रतियों की जांच की गई।

(च) वर्ष 1993, 2011 तथा 2012 के लिए संसद के अधिनियमों की कम्प्यूटर प्रिंट आउट प्रतियों की जांच की गई।

(छ) वर्ष 2015 से 2016 के लिए लगभग 9000 पेजों के इंडिया कोड अद्यतित अधिनियमों के प्रिंट आउट पेजों की जांच की गई।

35. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ.)

केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ विधायन सम्बान्धित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(2) किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन जिसमें संवैधानिक नियम और ओदश, अधिसूचना आदि शामिल होते हैं, विधायी विभाग से विधिक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित होता है। अधीनस्थ विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख–रखाव करें।

(3) अधीनस्थ विधायन पर राज्य सभा समिति ने अपनी 135वीं रिपोर्ट में स्पस्ट रूप से यह संस्तुति की थी कि मंत्रालय, अपनी ई – गवर्नैन्स पहल के हिस्से के रूप में, सभी अधीनस्थ विधायन अधीमानतः द्विभाषी रूप में अपनी बेबसाइट पर रखें। समिति ने यह भी संस्तुति की थी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी मंत्रालयों के प्रयोग हेतु एक इन्टरनेट अन्तराष्ट्रीय सहित एक मानक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करेगा जो सम्बन्धित मंत्रालय के प्रशासनाधीन प्रधान अधिनियमों से संबद्ध अधीनस्थ विधायन का तलाशने योग्य डेटाबेस उपलब्ध करवाएगा।

(4) विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) भारत के गजट में प्रकाशित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए साधारण कानूनी नियमों एवं आदेशों से संबंधित वर्णानुक्रम रजिस्टर तैयार करता है तथा उन्हें आधिकारिक कार्य हेतु पुस्तक के रूप में संग्रहित करता है। दिसंबर, 2015 तक के भाग– I I, खण्ड–3, उपखण्ड (i) तथा (ii) के अधीन दोनों साधारण तथा असाधारण अधिसूचनाओं के बारे में विभिन्न अधिसूचनाओं की वर्णानुक्रम रजिस्टर में प्रविष्टि की जा चुकी है।

(5) विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए वर्ष 2015 तक के अधीनस्थ विधायनों से संबंधित भाग–II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) के अधीन प्राप्त अधिसूचनाओं, जोकि साधारण और असाधारण से संबंधित हैं, की गजट प्रतियां छांट ली गई हैं और पुस्तक रूप में तैयार कर ली गई हैं।

(6) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए वर्ष 2015 तक की अवधि के साधारण और असाधारण से संबंधित भाग–II, खण्ड 4 के अधीन प्राप्त गजट अधिसूचनाओं की प्रतियां छांटी ली गई हैं और पुस्तक रूप में तैयार करने हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

(7) वर्ष 2016 के दौरान, साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग द्वारा मई, 2015 तक की अधिसूचनाएं प्राप्त की गईं हैं। शहरी विकास मंत्रालय, (पीएसपी प्रभाग) के दिनांक 25 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2015–16 की सभी गजट अधिसूचना, वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट www.egazette.nic.in पर अपलोड करके ई–प्रकाशित की जाएंगी।

36. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग और विभिन्न स्वशासी निकायों–आई सी ए डी आर, आई सी पी एस, बी सी आई, आई टी ए टी, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक संघ इत्यादि सहित विधि और न्याय मंत्रालय के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट–पूर्व विचार–विमर्श, लेखा अनुदान और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह अनुभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट को तैयार करने और मुद्रित करवाने के लिए भी उतरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू अन्तर्वलित है और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित है, से संबंधित कार्य भी करता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य का समन्वय भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(2) उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 2015 के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल वाले) के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य करना भी इसी अनुभाग का उत्तरदायित्व है। यह अनुभाग निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत निधियों को निर्गत करता हैः

(क) **निर्वाचन कार्यालय** : यह निर्वाचन स्टाफ के वेतन सहित दिन प्रतिदिन के स्थापना संबंधी व्यय से संबंधित है। इस व्यय को भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमण्डल वाले) के बीच 50 रू 50 के अनुपात में वहन किया जाता है।

(ख) **निर्वाचक नामावली को तैयार करना और उसका मुद्रण** : यह, भारत निर्वाचन आयोग के निदेशन पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (विधानमण्डल वाले) द्वारा किए गए निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण फर उपगत व्यय को छोड़कर निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण से संबंधित है।

(ग) **लोकसभा के निर्वाचनों के आयोजन हेतु प्रभार** : चुनाव जब स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं तो सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है किन्तु जब यह राज्य विधान मण्डल चुनावों के साथ आयोजित किए जाते हैं तो खर्च को दोनों के द्वारा समान अनुपात में वहन किया जाता है।

(घ) **संसद (राज्य सभा) के निर्वाचनों के आयोजन हेतु प्रभारः** सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ड.) **मतदाताओं को फोटो फहचान–पत्र जारी करना** – यह व्यय भारत सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मण्डल वाले) सरकारों के बीच 50 रू 50 के अनुपात में वहन किया जाता है और यह एक आवर्ती व्यय है।

(च) **इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई वी एम) पर व्यय और राष्ट्रपतीय तथा उप–राष्ट्रपतीय निर्वाचनों पर व्यय** : सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

37. प्रकाशन अनुभाग

यह अनुभाग समय–समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत का संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, कानूनी परिभाषाओं की अनुक्रमणिका आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों के उपांतरित संस्करण निकालता रहता है।

(2) भारत का संविधान (अंग्रेज़ी और हिंदी पाठ) को नवीनतम संशोधनों सहित संविधान का डिग्लॉट रूप में पांचवां पॉकेट संस्करण निकालने के लिए संकलित कर लिया गया है।

(3) लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किए जाने हेतु भारत का संविधान के प्रूफों की जांच तथा पुनरीक्षण किया गया है।

(4) 15 अधिनियमों जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय दंड संहिता, 1860 शामिल हैं, के अंग्रेज़ी पाठ की हस्तलिपि, जिसमें नवीन संशोधन भी यथावत सम्मलित हैं, को तैयार की लिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु राजभाषा खण्ड को भेज दी गई है तथा कुछ केंद्रीय अधिनियमों का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है।

38. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित, भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(2) राजभाषा नीति के सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन

(i) विधायी विभाग ने 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :– राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार, वर्तमान में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र को क्रमशः 90% 75% तथा 64% प्रतिशत से अधिक पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के भी उत्तर हिंदी में ही भेजे जा रहे हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें व अन्य रिपोर्टें, संविदाएं, नोटिस और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

(ii) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप–नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को सरकारी कार्य हिंदी में करने हेत अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप–नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भेजी जाती हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिाश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वाार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्फणी और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

(4) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खण्ड) तथा राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की हुई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में एक बार आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें **क्रमशः 18 मार्च, 2016 (पहली), 20 जून, 2016 (दूसरी), 29 सितंबर, 2016 (तीसरी) और 22 दिसंबर, 2016 (चौथी)** को आयोजित की गई थीं। यह समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार–विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(5) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त, 1967 को गठन किया गया था । यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में, संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामनिर्देशिती माननीय संसद सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के नामनिर्देशिती, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और विधि एवं न्याय मंत्रालय और राजभाषा विभाग के नामनिर्देशित गैर गैर सदस्यों के रूप में होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा

विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वार्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में साम्मिलित होते हैं।

16वीं लोक सभा के गठन के बाद समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है तथा इसकी पहली बैठक उदयपुर, राजस्थान में दिनांक 7 जुलाई, 2015 को आयोजित की गई थी।

(6) हिंदी प्रशिक्षण

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठयक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के यह पाठयक्रम, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठयक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(7) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

इस विभाग में **14 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2016** तक ''हिंदी पखवाड़े'' का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए पृथक रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के लिए क्रमशः 2500/–रुपए, 2000/– रुपए, 1500/– रुपए और 500/– रुपए के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार थे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु कुल 64,000/– रुपए की राशि स्वीकृति की गई है।

(8) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्देशित तीन प्रोत्साहन योजनाएं विभाग में लागू की जाती हैं। इस वर्ष केवल हिंदी में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से दस कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इन योजनाओं के अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है।

(9) संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुवीक्षण करने व सुझाव देने के दृष्टिकोण से किया गया था। जहां तक विधायी विभाग का सम्बन्ध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

39. राजभाषा खंड

(1) कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :–

(i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनता प्रकाशन ;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी ;

(iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की अपनी–अपनी राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था ;

(v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी अनुवाद ;

(vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी अनुवाद ;

(vii) राष्ट्रपतीय नियम के अधीन राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी अनुवाद ;

(viii) संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी अनुवाद जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं ;

(ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण ;

(x) विधिक शैली और हिन्दी के मानक खंडों के मॉडल और उनके प्रकाशन की एकरूफता के मूल्यांकन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वयन समिति से संबंधित कार्य ;

(xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य ;

(xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य ;

(xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार ;

(xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण ; तथा

(xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन।

(2) विधि शब्दावली

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग की शुरूआत होने से अब तक विधि शब्दावली के छह संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। विधि शब्दावली का नवीनतम 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें 7 भागों में 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

(3) भारत का संविधान

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 15 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं। प्रथम संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर, 2015 को भारत का संविधान का विशिष्ट संस्करण प्रकाशित किया गया।

(4) भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) को कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिगलॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ट किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता की जिल्द XXXII और XXXIII की हस्तलिपि मुद्रण हेतु भेज दी गई हैं।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 38 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2391 हो गई है।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसे अधिनियमों की कुल संख्या अब 401 हो गई है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 87 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के साथ संसद के सदनों को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 7 अध्यादेशों, 6 मंत्रिमंडल टिप्पणों तथा 40 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.)

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए आधार अधिकथित करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिएं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 8477 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के लिए तैयार की गई थीं।

(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के 2788 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया है, सात विनियमों के प्राधिकृत पाठ का प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)(ख) के अध किया गया है।

(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख–रखाव

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इंडिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिगलॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की पूवोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद् द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियों को डिग्लॉट रूप में तैयार कर लिया गया है तथा राजभाषा खण्ड द्वारा 8 डिग्लॉट संस्करण प्रकाशित की गई हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

(क) 15 अद्यतित केंद्रीय अधिनियमों (डिग्लॉट, संस्करण) की अंग्रेज़ी प्रतियां विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी; तथा

(ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने–अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजीं। इस वर्ष केन्द्रीय अधिनियमों की वर्णक्रम और काल क्रम (डिग्लॉट) में विवरणिका और भारत का संविधान (डिग्लॉट) तैयार किए गए और प्रकाशित किए गए।

(ग) प्रकाशन संबंधी कार्य मुख्य रूप से इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि, और परिषद निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्प–सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद के सदनों की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के पुनरीक्षित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के उपांतरित द्विभाषी (डिगलॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्वर्ती द्विभाषी (डिगलॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 38 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 7 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया। इसके अतिरिक्त, विधि शब्दावली (सातवां संस्करण) तथा भारत का संविधान (हिंदी) (रॉयल 8v0 साइज़) का भी प्रकाशन किया गया।

(12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(ii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 2655 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना

राजभाषा खंड, भारत का संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उनका अनुवाद कराने के कार्य को भी निरंतर कर रहा है। जहां तक प्रादेशिक भाषा का संबंध है यह कार्य विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (प्रादेशिक भाषा) द्वारा 21 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 10 केंद्रीय अधिनियमों (गुजराती–5, तेलुगू–5 और उर्दू–4) को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन इन प्रादेशिक भाषाओं में तथा 38 केंद्रीय अधिनियमों को हिंदी में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया है, ये हैं,. असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, सिंधी, नेपाल तथा कोंकणीं।

(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिक्ति, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेजा दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषा राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

इस मंत्रालय की ग्यारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2009–रा.भा.खण्ड (वि.वि.) द्वारा तीन वर्षों के लिए अथवा इस लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए किया गया है जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य तथा लगभग ग्यारह शासकीय सदस्य और आमंत्रित सदस्य हैं। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :–

(i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी रूप तैयार करना ;

(ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकास ;

(iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना ;

(iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन ;

(v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी व्याय से आनुयांगिक और सम्बान्धित व्याय ;

(vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं। न्यायमूर्ति श्री एच.आर. मल्होत्रा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित समिति ने वर्ष 2015–2016 के लिए 14 स्वैच्छिक संगठनों को दस लाख रूपये की राशि वित्तीय सहायता अनुमोदित की है।

(17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खंड यू आर एल http:\\lawmin.nic.in/olwing है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। भर्ती नियमों/अधिसूचनाओं आदि की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराने हेतु राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वेबसाइट को, अधिनियमों की एक सूची तथा नियमों और विनियमों की सूची रखकर और समृद्ध बनाया गया है। विधिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा साथ ही विधि के छात्रों के लाभ के लिए 1980 से 2014 तक के अद्यतित केंद्रीय अधिनियम पीडीएफ फार्म में वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोक) अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। राजभाषा खंड के समूह 'क' अधिकारियों के नामों, पतों और संपर्क नम्बरों की एक सूची भी नेट पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना को भी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में इंटरनेट पर रखा गया है।

40. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में, संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंफा जाए। तत्पश्चात् हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया था। इस खंड को बाद में ''विधि साहित्य प्रकाशन'' नाम दिया गया था।

(2) आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी उल्लेखनीय निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य के रूप में चिन्हित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया था और इसे ''उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका'' नाम दिया गया था। उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन, जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया था और इसे ''उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका'' नाम दिया गया था। वर्ष 1987 में, ''उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका'' को दो निर्णय पत्रिकाओं, अर्थात् ''उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका'' और ''उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका'' में विभाजित कर दिया गया था। बाद में, उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधायी विभाग में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारिवृन्द की कमी होने के कारण, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय होते हैं। उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में भी सिविल और दांडिक मामलों के केवल महत्वपूर्ण और चयनित निर्णय होते हैं।

(3) उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं के अतिरिक्त, विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है :–

(क) शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में तथा निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में पाठय पुस्तकों का प्रकाशन;

(ख) हिन्दी में विधिक उच्च साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन ;

(ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना ;

(घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के एक दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड, विधि और न्याय मंत्रालय के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय, और

(ङ) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टयता हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(4) इसके अतिरिक्त, विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(5) विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय–समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर–हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों आदि में संगोाष्ठियां आयोजित की जाती हैं। विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य भी करता है।

(6) ''विधि साहित्य समाचार'' नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। एक ''प्रकाशन सूची'' भी, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन के पास विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी होती है, ग्राहकों को समय–समय पर उपलब्ध करवाई जाती है।

(7) **निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन :** रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संपादन/अनुवाद के स्तर फर ''उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका'' अक्तूबर–दिसंबर, 2016 तक अद्यतन कर दी गई है और ''उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका'' जनवरी–मार्च, 2016 तक अद्यतन कर दी गई है तथा ''उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका'' अप्रैल–जून, 2016 तक अद्यतन कर दी गई है।

वर्ष 2014 के लिए पत्रिकाओं के नियमित ग्राहकों की स्थिति :

पत्रिका का नाम	ग्राहकों की संख्या
उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका	95
उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका	90
उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका	88

(8) **पुरस्कार प्रदान करना:** हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन तथा हिन्दी में लिखी गई और प्रकाशित ऐसी पुस्तकों पर, जिनका उपयोग विधि की पाठय पुस्तकों के रूप में या निर्देश पुस्तकों के रूप में किया जाता है, पुरस्कार देने की स्कीम के अंतर्गत, विधि की मूल पांच शाखाओं में प्रतिवर्ष 5,00,000/– रु. (पांच लाख रुपए) के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस स्कीम में, प्रथम पुरस्कार 50,000/– रुपए (पचास हजार रुपए), द्वितीय पुरस्कार 30,000/– रुपए (तीस हजार रुपए) तथा तृतीय पुरस्कार 20,000/– रुपए (बीस हजार रुपए) दिए जाते हैं। वर्ष 2016 2016 को इस योजना के अंतर्गत हिंदी में विधि की 14 पुस्तकों पर रू 3,,40,000/– के पुरस्कार प्रदान किए गए।

(9) **पुस्तकों का प्रकाशन :** विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा अब तक हिन्दी में 34 मानक विधि पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है।

(10) **संगोठियां, प्रदर्शनियां और पुस्तकों आदि का विक्रय :** वर्ष 2016 में सम्मेलनों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के पश्चात, विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली, अहमदाबाद जिला न्यायालय, बसकांता (पालनपुर), देहरादून, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। इन प्रदर्शनियों में अधिवक्ताओं ने काफी रूचि दिखाई तथा विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों की अत्याधिक सराहना की। 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन का 41,32,940/– रुपए (इकतालिस लाख बत्तीस हजार नौ सौ चालीस रुपए) का सकल विक्रय हुआ।

41. अधिकारियों / प्रतिनिधिमण्डल के विदेश दौरे : विधायी विभाग

विधायी विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों ने निम्न विवरणनुसार के अनुसार विदेशी दौरे किए:–

क्र सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	देश	अवधि	उद्देश्य
1	डॉ जी. नारायण राजू	सचिव	न्यूयॉर्क, यू.एस.ए	27 जून, 2016 से 1 जूलाई, 2016	यूनाईटिड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड लॉ (यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल) के 49वें सत्र में भाग लेने के लिए
2	सुश्री वीना कोठावले	अपन विधायी परामर्शी	वियना, ऑस्ट्रिया	12 सितंबर, 2016 से 23 सितंबर, 2016	यूनाईटिड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड लॉ (यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल) के 65वें सत्र में भाग लेने के लिए
3	श्रीमती सुनीता आनंद	उप विधायी परामर्शी	कोलंबो, श्रीलंका	4 तथा 5 अक्तूबर, 2016	इंटरलेशनल ह्यूमेनिटेरियन लॉ (आई,एच,एल.) पर द्वितीय क्षेत्रीय विधायी प्रारूपण कार्यशाला में भाग लेने के लिए
4	श्री वाई. एस. राव	उप विधायी परामर्शी	कोलंबो, श्रीलंका	4 तथा 5 अक्तूबर, 2016	इंटरलेशनल ह्यूमेनिटेरियन लॉ (आई.एच.एल.) पर द्वितीय क्षेत्रीय विधायी प्रारूपण कार्यशाला में भाग लेने के लिए

42. सेवा पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त जनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्तजनों/पदों के संबंध में आरक्षण संबंधी सरकार के अनुदेशों/आदेशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए निदेशक स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

(2) विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्तजनों तथा महिला कर्मचारियों की संख्या (10.01.2017 के अनुसार) दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है **(उपाबंध–X तथा XI)**

43. विधि और न्याय मंत्रालय के वर्ष 2016–17 के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट

विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे अपर सचिव (वित्त सलाहकार) और मुख्यर लेखा नियंत्रक की सहायता से अपना कार्य करते हैं।

(2) सा.वि. नियम, 2005 के नियम 64 के अनुसार, किसी मंत्रालय/विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्यल लेखा प्राधिकारी होते हैं, वेः–

(i) अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीखय प्रबंधन के लिए उत्तारदायी होंगे।

(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह निर्धारित की गई है।

(iii) निष्पादन के मानकों का अनुपालन करते हुए मंत्रालय के लिए बताए गए परियोजना–लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उत्तररदायी होंगे।

(iv) लोक–लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे।

(v) उनके मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि मंत्रालय के घोषित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं।

(vi) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा–निर्देशों या निदेशों के अनुसार अपने मंत्रालय के व्यमय–संबंधी और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालय के वित्तींय संव्य वहारों का पूर्ण और उचित रिकार्ड रखा जाए तथा इसके लिए ऐसी प्रणालियां व प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिनसे हर समय आंतरिक नियंत्रण बना रहे।

(viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्य–पालन के लिए और साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करे और उसे निष्पक्ष, न्यायोचित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और लागत–प्रभावी तरीके से लागू करे।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालयः

(क) सरकार को शोध्य सभी धन एकत्रित करे।

(ख) अप्राधिकृत, अनियमित और व्यर्थ के व्यय से बचे।

(3) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.2 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्न लिखित के लिए उत्तरदायी होगाः–

(क) समस्त भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से करने की व्यवस्था करना, केवल उन कुछ विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर जिनके लिए आहरण और संवितरण अधिकारी भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं।

(ख) मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन और समेकन करना और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुंत करना, अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदानों की मांगों के लिए वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखा–परीक्षा करवाकर और मुख्य लेखा प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर उसे महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत करना।

(ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा के रिकार्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्ययवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेन–देन के रिकार्ड के निरीक्षण की व्यवस्था करना।

(4) महालेखा–नियंत्रक, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दो प्रधान लेखा अधिकारियों, चार वेतन और लेखा अधिकारियों और अन्य, कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

(5) विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय में 32 सीडीडीओ और 19 एनसीडीडीओ सहित 51 डीडीओ हैं। गैर–चौक वाले आहरण और संवितरण अधिकारी बिलों को भुगतान की 'प्री–चौक' प्रणाली के अंतर्गत वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। सीडीडीओ और एनसीडीडीओ का वेतन और लेखा कार्यालय–वार विवरण नीचे दिया गया हैः–

क्र.सं.	वेतन और लेखा कार्यालय	आहरण और संवितरण अधिकारी	
		सीडीडीओ	एनसीडीडीओ
1.	वेतन और लेखा कार्यालय (ईओ)	4	3
2.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.का.)	28	11
3.	वेतन और लेखा कार्यालय (एससीआई)	0	1
4.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.वि.)	0	4

(6) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, नई दिल्ली स्थित प्रधान लेखा कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैः–

(क) मंत्रालय/विभाग के लेखों को महालेखानियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई रीति से समेकित करना;

(ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखे के लिए केन्द्रीय लेन–देन के विवरण और सामग्री को महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत करना;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदानों की अदायगी करना, और जहां भी इस कार्यालय का आहरण लेखा हो, उसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान करना;

(घ) प्रबंध लेखा प्रणाली, यदि कोई हो, के उद्दश्य को ध्यान में रखते हुए और वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए नियम–पुस्तिकाएं (मैनुअल) तैयार करना, महालेखा–नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाए रखना और लेखा संबंधी मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण रखना;

(ङ) मंत्रालय/विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुदान–कार्यक्रमों के अधीन व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखा–परीक्षा रजिस्टरों का रखरखाव करना।

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय के कर्तव्यों को निभाता है और स्थानीय वेतन और लेखा कार्यालयों सहित विभाग को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा संबंधी सलाह भी देता है।

(7) सिविल लेखा नियम–पुस्तिका (मैनुअल) में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भुगतान करते हैं और कुछ मामलों में भुगतान निधियां आहरित करने के लिए प्राधिकृत किए गए विभागीय आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यह भुगतान प्रत्यायित बैंक के उन कार्यालयों/शाखाओं के चेक के जरिये किया जाएगा जिन्हें उस मंत्रालय/विभाग की प्राप्तियों और भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया हो। इन भुगतानों का अलग सूचियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालयों में दिए जाने के लिए लेखा–जोखा दिया जाना होगा। चेक से भुगतान के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक की केवल उसी विशेष शाखा/शाखाओं, जिसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लेखा में रखा गया है, से ही आहरण करेगा। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों का लेखा–जोखा अंत में वेतन और लेखा कार्यालय की बहियों में भी रखा जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की एक मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:–

- एनसीडीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋणों और सहायता अनुदानों सहित सभी बिलों की पहले जांच करना और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सही और समय पर भुगतान।
- प्राप्तियों की समय पर वसूली।
- चौक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों को त्रैमासिक 'लेटर ऑफ क्रेडिट' जारी करना और उनके वाउचर/बिलों की पड़ताल–जांच करना।
- चौक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों के लेखा को शामिल करते हुए प्राप्तियों और व्यय के मासिक लेखों का संकलन।
- सम्मिलित डीडीओ को छोड़कर जी.पी.एफ. लेखों का रखरखाव और सेवानिवृत्ति–लाभों को प्राधिकृत करना।
- सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।

- बैंकिंग प्रणाली द्वारा ई–भुगतान के जरिये मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
- समय पर सही, व्यापक, संगत और उपयोगी वित्तीय सूचना देना।

(8) किसी नए वेतन और लेखा कार्यालय का सृजन (अथवा पुनर्गठन) करने के लिए अथवा मंत्रालय/विभाग की लेखा की विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरित करने वाले आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची में नाम जोड़ने के लिए महालेखा–नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(9) विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन के समग्र उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :–

- मंत्रालय के मासिक लेखा को समेकित करना और उसे महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनयोग लेखा।
- केन्द्रीय लेन–देन का विवरण।
- 'लेखा एक नजर में' तैयार करना।
- महालेखा–नियंत्रक, वित्त मंत्रालय और प्रधान लेखा–परीक्षा निदेशक को प्रस्तुत किए जाने के लिए संघीय वित्त लेखा।
- राज्य सरकार/अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
- मंत्रालय और वेतन व लेखा अधिकारियों को तकनीकी सलाह देना, यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक आदि अन्य संगठनों से परामर्श करना।
- प्राप्ति–बजट तैयार करना।
- पेंशन बजट तैयार करना।
- पीएओध्चेक आहरण कर्ता डीडीओ एवं वैयक्तिक जमा खाता धारकों के लिए और उनकी ओर से चेक बुक प्राप्त करना और प्रदान करना।

- महालेखा–नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और प्रत्यायित बैंक के साथ समग्र समन्वय व नियंत्रण रखना।
- विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिकृत बैंक के माध्यम से किए गए समस्त भुगतान और प्राप्तियों का समाधान व सत्यापन करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक में विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के खाते रखना और नकद शेष का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशनध्भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा उनके अनुदानग्राही संस्थानों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।
- सभी संबंधित प्राधिकारियों को लेखा संबंधी सूचना उपलब्ध कराना।
- विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के बजट का समन्वय का कार्य।
- नई पेंशन योजना और 2006 से पूर्व के और 1990 से पूर्व के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पेंशन संशोधन संबंधी मामलों की मानीटरिंग करना।
- लेखा और ई–भुगतान का कम्प्यूटरीकरण ।
- लेखा संगठन के कार्य का समन्वय और प्रशासन ।
- केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना ।
- वित्त मंत्रालय के मार्ग–निर्देशों के अनुसार, नान टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना ।

(10) प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मंत्रालय को लेखा सूचना और डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदान के विभिन्न उप–शीर्षकों के अधीन मासिक और किए जा रहे व्यय के आंकड़े बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के बरक्स व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ–साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है ताकि अनुदानों पर नियंत्रण रहे और व्यय की बेहतर मानीटरिंग हो ।

(1) लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से लिए जाने वाले अग्रिम और मोटर कार अग्रिम व गृह निर्माण अग्रिम जैसे दीर्घकालीन अग्रिमों का भी लेखा रखता है।

(12) मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा के ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों की पेंशन की हकदारियों का सत्यापन करता है और उन्हें प्राधिकृत करता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी अवकाश के बराबर नकद राशि तथा केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अधीन भुगतान आदि डीडीओ कार्यालय से बिल/आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर मुख्य लेखा–नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

(13) **आंतरिक लेखा–परीक्षा खंड** – आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखा की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों–विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा एक संगठन के संचालन को बेहतर बनाने और सुधार करने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ जांच और परामर्श की गतिविधि है। इसका मूल उद्देश्यो जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की कारगरता का मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण पेश करके संगठन की सहायता करना है। यह वस्तुनिष्ठ जांच और सलाह प्रदान करने का एक प्रभावी उपकरण भी है, जिससे शासन की गुणवत्ता बढ़ती है, परिवर्तन को बल मिलता है, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता मिलती है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार होता है। यह प्रक्रियागत त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए बहुमूल्य सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार प्रबंधन के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। एक इकाई की लेखा परीक्षा की आवर्तिता उसकी प्रकृति और काम और धन की मात्रा से विनियमित होती है।

मंत्रालय के अधीन स्वावयत्त निकायों और अन्य अनुदानग्राही संस्था ओं तथा विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर, विधि और न्यातय मंत्रालय के विभिन्न विभागों और भारत के उच्चातम न्यायालय के अधीन 51 आडिट–यूनिटें/आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। वित्तीय वर्ष, 2015–16 में विधि और न्याय मंत्रालय की केवल पांच (5) यूनिटों की ही लेखा–परीक्षा की गई है। और अधिक यूनिटों/डीडीओ की लेखा–परीक्षा इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि इस मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा खंड के

लिए कोई स्वींकृत पद/स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। लेखा–परीक्षा का कार्य विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों और प्रधान लेखा कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

(14) **बैंकिंग व्यवस्था** – विधि और न्यादय मंत्रालय और भारत के उच्चतम न्यायालय के वेतन और लेखा कार्यालयों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, यूको बैंक और देना बैंक प्रत्यायित बैंक हैं। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए प्रत्यायित बैंक की नामांकित शाखाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। संबंधित सीडीडीओ/पीएओ द्वारा प्राप्तियों की रसीद भी प्रत्यायित बैंकों को दी जाती है। प्रत्यायित बैंक में कोई परिवर्तन करने के लिए महालेखा–नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

15. नई पहल

(i) **ई–भुगतान प्रणाली** – विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चितम न्यायालय के सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में दिनांक 1.4.2012 से द्वितीय चरण के अधीन ई–भुगतान प्रणाली सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है।

चूंकि आयकर अधिनियम, 2000 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, एक इलेक्ट्रानिक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रानिक रिकार्ड या डिजिटल हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों को मान्यता दी गई है, अतः महालेखा–नियंत्रक ने डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिक सलाह के माध्यम से इलेक्ट्रानिक भुगतान (ई–पेमेंट) के लिए 'काम्पैरक्ट' में एक सुविधा विकसित की है। यह चेक के माध्याम से भुगतान की मौजूदा प्रणाली का स्थान लेगी और केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों में चल रहे 'काम्पैक्ट एप्लिकेशन' के प्रयोग को आगे बढ़ाएगी।

ई–भुगतान प्रणाली एक पूरी तरह से सुरक्षित वेब आधारित इलेक्ट्रानिक भुगतान सेवा की प्रणाली है, जो सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता लाती है। इस प्रणाली के तहत सरकार से देय राशि का भुगतान करने के लिए एक सुरक्षित संचार चौनल अर्थात गवर्नमेंट ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के माध्यषम से 'काम्पैंक्टग' से जारी एक डिजिटल हस्तााक्षरित ई–सलाह के माध्ययम से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए जाते हैं। इसको लागू करने के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से आवश्यक कार्यात्मक और सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त किया गया है। इस प्रणाली को आगामी वर्ष में केंद्रीय सरकार के सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है।

(ii) गवर्नमेंट ई–पेमेंट गेटवे (जीईपीजी):

गवर्नमेंट ई–पेमेंट गेट वे (जीईपीजी) एक ऐसा पोर्टल है, जिसमें लेन–देन के ऑनलाइन भुगतान के लिए वेतन और लेखा कार्यालयों से सफलतापूर्वक भुगतान किया जा सकता है। यह पोर्टल महालेखा–नियंत्रक के कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) प्रमाण–पत्र प्रदान किया है। जीईपीजी बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) और पीएओ के कॉम्पैक्ट एप्लिकेशन के बीच एक मध्यवर्ती साधन के रूप में काम करता है और मैनुअल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ई–पेमेंट एडवाइस और ई–स्क्राल सूचना को स्वचालित बनाता है।

ई–पेमेंट और जीईपीजी प्रणाली की मुख्य बातें

लेन–देन के उच्च सुरक्षा मानक और प्रणाली लॉग

➢ पीएओ एप्लिकेशंस में प्रभावी ई–पेमेंट के लिए निम्नलिखित सुरक्षा अपेक्षाएं मौजूद हैं :

- 128 बिट पीकेआई एन्क्रिप्शन।
- सूचना की सत्यता रू हैश एल्गोरिथम (एसएचएआई) रू सुरक्षा मानक इस प्रकार बनाए गए हैं कि पीएओ द्वारा इंटरनेट पर बैंक को भेजे जा रहे डाटा की गोपनीयता, डाटा की प्रमाणिकता और डाटा की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके।
- नान–रिप्यूडिएशन – की जनरेशनध्डिजिटल हस्ताक्षर, 128 बिट पीकेआई बुनियादी संरचना (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुशंसित) पर आधारित

➢ डिजिटल हस्ताक्षरित ई–पेमेंट के प्राधिकरण के साथ प्रत्येक ई–पेमेंट प्राधिकरण की मदवार ट्रेकिंग और स्वचालित समाधान।

(iii) डिजिटल हस्ताक्षरों का पंजीकरण : वेतन और लेखा अधिकारी एनआईसी प्रमाणन प्राधिकारी से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है। एनआईसी प्रमाणन प्राधिकारी से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षरों को यूएसबी टोकन जिसे 'आई–की' कहते हैं, में रखा जाता है। वेतन और लेखा अधिकारी इन डिजिटल हस्ताक्षरों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा कार्यालय के माध्यम से जीईपीजी पोर्टल पर पंजीकृत करता है। संबंधित बैंक पीएओ के डिजिटल हस्ताक्षरों को जीईपीजी पोर्टल से डाउनलोड करते हैं। संबंधित बैंकों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षरों को भी जीईपीजी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है ताकि बैंकों द्वारा पीएओ को मुहैया कराए गए ई–पेमेंट स्क्राल को अधिप्रमाणित किया जा सके ।

विनियोग लेखा, 2015–16 की मुख्य विशेषताएं

(रू0 करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिक (+) बचत (–)
अनुदान सं. 64 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं	108.66	109.33	96.19	–13.14
2014–न्याय प्रशासन	411.56	352.80	346.40	–6.40
2015–निर्वाचन	2142.40	1888.80	1858.66	–30.03
2020–आय और व्यय पर करों का संग्रहण	146.08	72.28	65.30	–6.98
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.85	19.85	17.48	–2.37
2552–उत्तर–पूर्व क्षेत्र	80.66	15.00	–	–15.00
3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	448.69	504.99	503.09	–1.90
3602–संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	63.00	63.00	63.00	–
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	102.75	15.02	6.82	–8.20
वर्ष के दौरान वापस जमा की गई राशि				–482.71
योग	**3523.65**	**3040.96**	**2956.94**	**–566.73**
विनियोग सं. 65 भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन (प्रभारित)	155.00	171.02	171.02	–

(स्रोतः विनियोग लेखा 2015–16)

उपाबंध – IX

(कृपया अध्याय – II पैरा 2 देखें)

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट
(01.01.2017 की स्थिति के अनुसार)

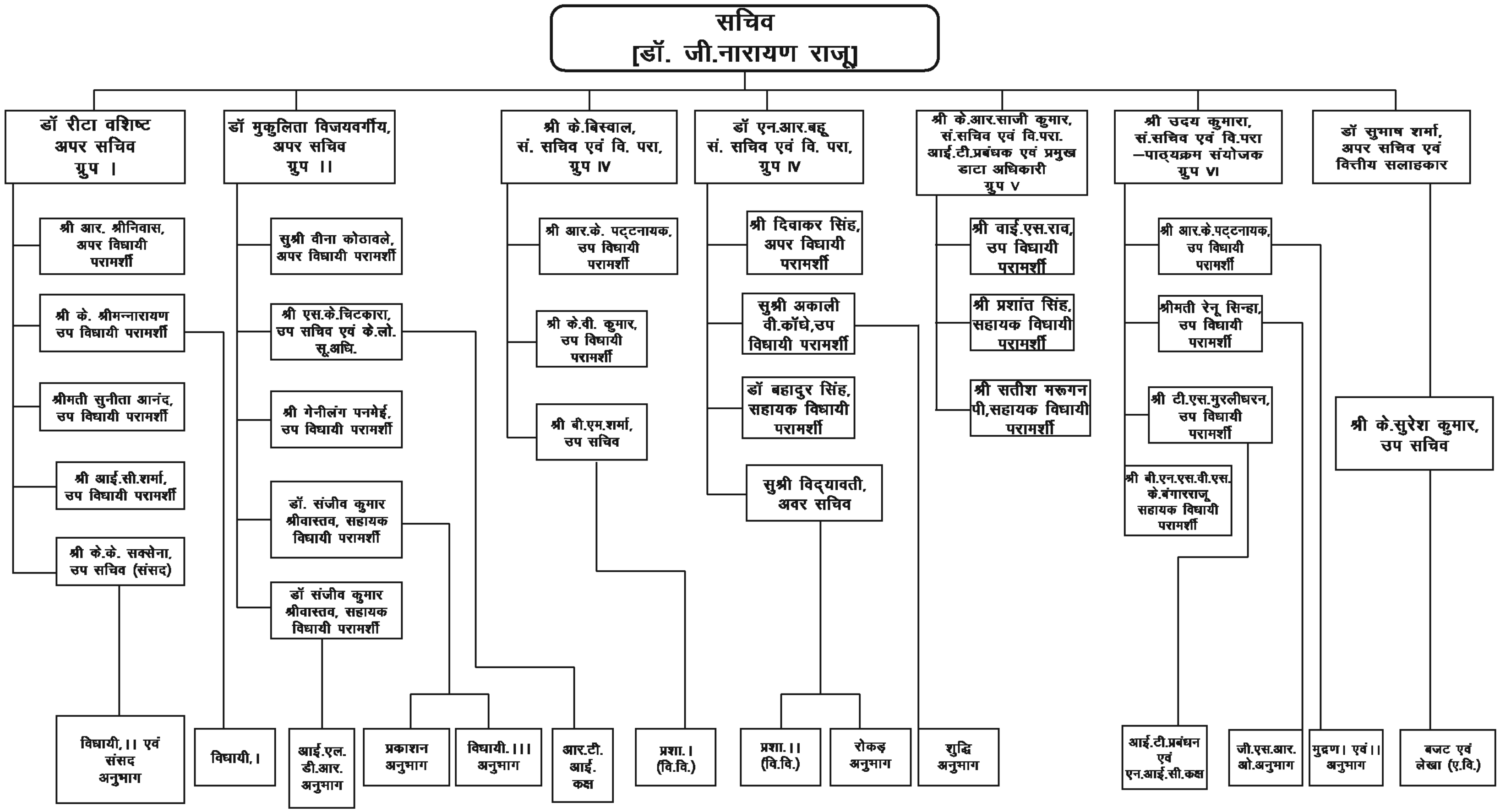

उपाबंध - X

(कृपया अध्याय - II पैरा 42 (2) देखें)

1 जनवरी, 2017 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त जनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी (पैरा 18 देखें)

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	%	अनु. जनजाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	निःशक्त जन	%
ए	70	8	11.4	4	5.7	10	14.2	—	—	2	2.8
बी	110	20	18.1	2	1.8	12	10.9	—	—	3	2.7
सी	114	36	31.5	9	7.8	15	13.1	—	—	—	—
कुल	**294**	**64**	**21.7**	**15**	**4.6**	**37**	**12.5**	—	—	5	**1.7**

उपाबंध - XI

(कृपया अध्याय - II पैरा 42 (2) देखें)

1 जनवरी, 2017 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व :

श्रेणी	**कर्मचारियों की कुल संख्या**	**महिला कर्मचारियों की कुल संख्या**	**प्रतिशत**
श्रेणी 'ए'	70	15	21.4
श्रेणी 'बी'	110	34	30.9
श्रेणी 'सी'	114	12	10.5
कुल	**294**	61	**20.7**

अध्याय–III

न्याय विभाग

1. संगठन एवं कार्य

न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय का एक भाग है। सचिव (न्याय) इसके अध्यक्ष है। संगठन के संरचनात्मक ढांचे में 4 संयुक्त सचिव, 6 निदेशक/उप सचिव और 7 अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग का स्वीकृत कार्मिक संख्याबल 78 है जिसमें से 19 पद रिक्त हैं। इस विभाग में पदासीन वर्तमान 59 अधिकारियों में से 7 महिला अधिकारी/कर्मचारी (01 महिला परामर्शदाता सहित) कार्यरत है। कार्यरत कर्मचारियों की इस कमी को सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में न्याय विभाग में 14 परामर्शदाता कार्य कर रहे हैं। न्याय विभाग के कार्य में भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग और पद से हटाया जाना तथा उनके सेवा संबंधी मामले शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अधीनस्थ न्यायालयों की आधारभूत संरचना विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ–साथ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी कार्यान्वित करता है। न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध–XII** पर है।

दृष्टिकोण:

न्याय प्रशासन को सुकर बनाना जिससे कि सभी के लिए न्याय तक पहुंच सरल हो सके और समय पर न्याय प्रदायगी सुनिश्चित हो सके।

मिशन:

उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सेवाओं, न्यायालयों और प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, बेहतर न्याय प्रदायगी की दिशा में न्यायिक सुधारों हेतु नीतियों सहित न्यायालयों और न्यायाधीशों की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।

उद्देश्य:

(i) उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या प्रदान करना।

(ii) न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों को सुकर बनाना।

(iii) न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करना।

(iv) न्यायालयों की आईसीटी–समर्थता और कनैक्टिविटी को सुकर बनाना ।

(v) विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की स्थापना को सुकर बनाना ।

(vi) वित्त आयोग (एफ सी) अनुदान के उपयोग को सुकर बनाना।

(vii) उपेक्षित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को सुकर बनाना ।

भारत सरकार (कार्य आवंटन नियमावली–1961, समय–समय पर यथा–संशोधित) के अनुसार, न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नांकित शामिल हैंः–

(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे मैं अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।

(ii) राज्यों के उच्चि न्या यालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनके वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे मैं अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।

(iv) उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोडकर) (किंतु इन न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क

(v) उच्च न्यायालयों और न्याययिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर इन न्यायालयों का गठन और आयोजन।

(vi) संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और आयोजन तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क।

(vii) संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी।

(viii) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन।

(ix) जिला न्यााायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें।

(x) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तांरित करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र को बाहर रखना।

(xi) गरीबों को विधिक सहायता

(xii) न्याय का प्रशासन

(xiii) न्याय प्रदायगी तक पहुंच और विधिक सुधार।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति

क. भारत का उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का संख्याबल (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) 31 है।

31.12.2016 की स्थिति के अनुसार पदासीन न्यायाधीशों की संख्या 24 हैऔर न्यायाधीशों के सात पद भरे जाने के लिए रिक्त हैं। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर की 04 जनवरी, 2017 से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति के लिए अधिसूचना 19–12–2016 को जारी की गई।

ख. भारत के उच्च न्यायालय

31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1079 है और पदासीन न्यायाधीशों की कुल संख्या 650 है और न्यायाधीशों के 429 पद भरे जाने के लिए शेष हैं। दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, अधिवर्षिता, पद त्याग इत्यादि की वजह से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 74 पद रिक्त हो गए। उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या भी 1044 से बढकर 1079 हो गई है। उपर्युक्त अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 126 नई नियुक्तियां की गई हैं और 131 अपर न्यायाधीशों को स्थाई किया गया है जो गत 26 वर्षों में की गई नियुक्तियों की सर्वाधिक संख्या है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों के 22 अपर न्यायाधीशों के कार्यकाल को भी बढ़ाया गया है।

ग. मौजूदा प्रक्रिया–ज्ञापन को अनुसमर्थित करना।

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16–12–2015 के अपने आदेश द्वारा "कॉलेजियम प्रणाली" के बारे में सुधार संबंधी अपना आदेश सुनाया और इस आदेश के तहत अन्य बातों के साथ–साथ निर्णय किया गया कि "भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से पारदर्शिता, सचिवालय, पात्रता मानदंड और शिकायत तंत्र जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रक्रिया– ज्ञापन को अंतिम रूप दे सकती है। यह भी निर्धारित किया गया कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चार वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के आधार पर निर्णय लेंगे।

भारत सरकार ने समुचित विचार–विमर्श करने के पश्चात मसौदा प्रक्रिया–ज्ञापन में परिवर्तनों का प्रस्ताव किया जिन्हें दिनांक 22–03–2016 के पत्र द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को प्रेषित किया गया। सरकार का प्रयास है कि वर्तमान प्रक्रिया–ज्ञापन को उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्थापित मानकों के भीतर नियुक्ति–प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के साथ–साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए अनुसमर्थित किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का प्रत्युत्तर दिनांक 25–05–2016 और 01–07–2016 को प्राप्त हुआ। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने संशोधित प्रक्रिया–ज्ञापन में दिए गए कुछ सुझावों पर सहमति जताई है जबकि इसने कुछ अन्य प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने सरकार के अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के अनेक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए

हैं। सरकार की राय को 03–08–2016 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संप्रेषित किया गया। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

इस दौरान, भारत सरकार की पहल पर न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का मामला उच्चतम न्यायालय के साथ उठाया गया और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विद्यमान प्रक्रिया–ज्ञापन के अनुसार की जा रही है।

3. उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय अधिनियमों में संशोधन

(1) समय के व्यतीत होने के साथ, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1958 के कुछ परंतुक समयातीत हो गए थे और दोनों अधिनियमों में न्यायाधीशों के छुट्टी भत्तों के निर्धारण से संबन्धित कुछ परंतुकों को सरल बनाए जाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31–03–2016 के अपने निर्णय में निदेश दिया था कि पेंशन संबंधी लाभ के लिए विधिज्ञ परिषद से प्रोन्नत न्यायाधीशों के लिए अर्हक सेवा के रूप में अधिवक्ता की दस वर्षों की प्रेक्टिस को भी जोड़ा जाए। उपर्युक्त प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन की मंशा से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) विधेयक, 2015 नामक विधेयक अनुमोदित किया गया। उपर्युक्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में विचार करके इसे पारित किया गया। विधेयक को भारत राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त होने पर दिनांक 05–04–2016 को अधिसूचित कर दिया गया है।

(2) भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन आदि में वृद्धि करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियमों में संशोधन करने संबंधी मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप दिया गया है और माननीय विधि और न्याय मंत्री ने इसे अनुमोदित कर दिया है। अंतिम मंत्रिमंडल नोट मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जा रहा है।

(3) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

भारत के मुख्य न्यायमूर्तिध्न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की समीक्षा अलग से की जाती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्तिध्न्यायाधीशों की समिति ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में संशोधन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में संशोधन करने के लिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1954 में कुछ परिवर्तन किए जाने प्रस्तावित हैं। मंत्रिमंडल हेतु मसौदा नोट तैयार कर लिया गया है और पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, व्यय विभाग, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग से टिप्पणियांध्विचार मांगे गए हैं, जिनकी अभी प्रतीक्षा है।

4. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत 1993 में (17.08.1993 से प्रभावी) स्थापित एक स्वायत्त शासी संस्था है। इस सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका को विकसित करना और न्याय के प्रशासन, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण को सुदृढ़ करना है। यह स्वतंत्र निकाय, न्याय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैम्पस भोपाल, मध्य प्रदेश में है। यह देश के न्यायाधीशोंध्न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्यध्संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों व्याख्यानों का आयोजन तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख निकाय है।

(2) भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभाऔर साथ ही साथ शासी परिषद के अध्यक्ष तथा कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की अकादमी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के मामले एक शासी परिषद द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित–पोषित है। निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कर्मचारियों में एक निदेशक के अलावा अपर निदेशक (अनुसंधान) का एक पद, प्रोफेसर के 3 पद, सहायक के 6 पद, अनुसंधान फैलो के 6 पद और विधि सहायक के 6 पद शामिल हैं। न्यायिक अकादमी के प्रशासनिक अधिकारियों और स्टाफ में निदेशक के अलावा, रजिस्ट्रार, अतिरिक्त राजिस्ट्रार, मुख्य लेखा अधिकारी, अनुरक्षण अभियंता और दूसरे प्रबंधकीय और प्रकार्यात्मक पद शामिल हैं।

(3) वित्त वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए "सामान्य सहायता अनुदान" (गैर–योजनागत) के अंतर्गत 1074.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है

जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 1000.00 लाख रूपए कर दिया गया है। इसमें से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को तीन किश्तों में 900.00 लाख रुपए की निर्गत की जा चुकी है। इसके अलावा, 1000.00 लाख रुपए का प्रावधान वित्त वर्ष 2016–17 के लिए "पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान" के लिए रखा गया था। जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 400.00 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें से राष्ट्रीय न्यायिक अकादके कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा 20 आवासीय फ्लैटों का निर्माण करने के लिए 88.30 लाख रुपए की धनराशि निर्गत की गई है। जबकि 88.30 लाख रुपए की दूसरी किस्त निर्गत करने की प्रक्रिया जारी है।

5. कुटुंब न्यायालय

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 मेँ उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और परिवार के मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के तहत राज्य सरकारोँ के लिए यह अनिवार्य है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर या कस्बे मेँ हर क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करे। यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझेतो राज्योँ के अन्य क्षेत्रों में भी, कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैँ।

(2) कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए मुख्य उद्देश्य और कारण निम्नांकित हैं:

(i) इस तरह के विशेष न्यायालय बनाना जो विशेष रूप से परिवार के मामलोँ को देखेंगे ताकि उनके पास ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो। इस प्रकार ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए दो मुख्य कारक विशेषज्ञता और मामलों का शीघ्र निपटान हैं;

(ii) परिवार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना करना;

(iii) सस्ता उपचार प्रदान करनाय और

(iv) कार्यवाही के संचालन में लचीलापन और एक अनौपचारिक वातावरण।

(3) कुटुंब न्यायालयस्थापित करने के लिए वर्ष 2002–03 में केंद्रीय वित्त सहायता की योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार केंद्र सरकार कुटुंब न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण करने के लिए योजनागत सहायता के रूप में एक–बारगी अनुदान के रूप में 10 लाख रूपए और योजनेत्तर के अंतर्गत आवर्ती लागत के रूप में 5 लाख रूपए की वार्षिक सीमा के अध्यधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत मुहैया कराया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2012–13 से इस

प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को 11.50 करोड रूपए का अनुदान निर्मुक्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केंद्र प्रायोजित योजना में कुटुंब न्यायालय और रिहायशी परिसर के भवन के निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था हेतु संघटक को शामिल कर लिया गया है।

(4) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, देश में वर्तमान में 438 कुटुंब न्यायालय कार्य कर रहे हैं कुछ राज्यों ने सूचित किया है। कि और कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(5) मार्च, 2015 में, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केंद्र प्रायोजित योजना के साथ कुटुंब न्यायालय योजना (प्लान) को समाविष्ट करने का निर्णय लिया गया। कुटुंब न्यायालय (गैर–योजना) योजना जिसके तहत जैसा कि अनुरोध किया गया था, राज्यौं को कुल 2296.46 रुपए की राशि दी गई को 2016–17 मैं बंद कर दिया गया है क्यौंकि यह संबंधित राज्य की जिम्मेदारी है ।

6. ई–कोर्ट समेकित मिशन मोड परियोजना– कम्प्यूटरीकरण

ई–कोर्ट समेकित मिशन मोड परियोजना देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सम्पूर्ण कंप्यूटरीकरण के माध्यम से तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आईसीटी बुनियादी सुविधा को प्रोन्नत करके वादियों, अधिवक्ताओं और न्यायपालिका को अभिनिर्धारित सेवाएँ प्रदान करना है।

(2) ई–कोर्ट एमएमपी (चरण–I):

वर्ष 2007 में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 441.80 करोड़ रूपए की लागत से दो साल की अवधि में 13,348 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दी। वर्ष 2010 में, लागत और समय की अधिक खपत को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 935 करोड रुपए के संशोधित बजट और बढ़ी हुई गुंजाइश के साथ मार्च, 2014 तक 14,249 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयौं के कंप्यूटरीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया (बाद में इसे मार्च, 2015 तक बढ़ा दिया गया)। इसे चरण–I का नाम दिया गया।

31 मार्च, 2015 तक निर्धारित समय–सीमा के भीतर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी और परिवर्तन प्रबंधन की अवस्थापना से संबंधित लगभग 95: कार्य पूरा कर लिया गया है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं	मॉड्यूल	31–12–2015 की स्थिति के अनुसार स्थिति	कार्यपूर्ति का %
1	वित्त पोषित स्थल	14249	100.00
2	स्थल की तैयारी	14249	100.00
3	हार्डवेयर अवस्थापना	13436	94.29
4	लैन अवस्थापना	13683	96.02
5	सॉफ्टवेयर डेप्लोयमेंट	13672	95.95

उपर्युक्त के साथ–साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आईसीटी बुनियादी सुविधाओं को भी प्रोन्नत किया गया है। मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार परियोजना के अन्य कार्यकलापों की प्रगति नीचे दी गई है:

I. **न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप:** 14,309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए हैं।

II. **सॉफ्टवेयर:** सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में तैनात करने के लिए एक संघटित राष्ट्रीय कोर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर – मामला सूचना प्रणाली (आईसीएस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। पुराने मामलों के बारे में डाटा एंट्री आरंभ की गई है और 7 करोड़ मामलों के बारे में डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है।

II. **न्यायिक सेवा केंद्र:** सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं जो वादियोंध्वकीलों द्वारा याचिकाएँ और आवेदन दायर करने और जारी मामलों के बारे में सूचना तथा आदेशों और निर्णयों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करते हैं।

III. **परिवर्तन प्रबंधन और प्रशिक्षण:** परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में 14,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियँ को यूबीयूएनटीयू–लिनक्स ओएस के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया है और न्यायालयँ के 4000 से अधिक कर्मचारियँ को मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षित किया गया है।

V. **प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग:** ई–समिति ने प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग प्रक्रिया आरंभ की हैय सभी उच्च न्यायालयों में मौजूदा नियमों, कार्यविधियों, प्रक्रियाओं और रूपों का अध्ययन करने और इनके सरलीकरण के लिए सुझाव देने हेतु प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग समितियां स्थापित की गई हैं।

VI. **न्यायालयों और जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधाः** प्रायोगिक के अनुभव के आधार पर भारत के उच्चतम की ई–कमेटीके परामर्श से निर्णय लिया गया कि देश भर में 500 न्यायालय परिसरों और उनकी तदनुरूपी जेलोंमें वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की जाए।

VII. **सेवा प्रदायगी और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी):** राष्ट्रीय ई–कोर्ट पोर्टल (http://www-ecourts-gov-in) का संचालन आरंभ हो गया है और इसे सार्वजनिक एक्सेस के लिए खोल दिया गया है। यह पोर्टल वादियों को मामला पंजीकरण, कारण सूची, मामले की स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णयों का विवरण जैसी ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है। इस समय वादी 7 करोड़ से अधिक लंबित और निर्णीत मामलों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित 3 करोड़ से अधिक आदेशों ध निर्णयों के बारे में मामले की स्थिति संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एनजेडीजी डाटा न्यायपालिका को न्यायिक निगरानी और प्रबंधन करने तथा सरकार को नीतिगत प्रयोजनों के लिए डाटा प्राप्त करने में सहायक होगा।

(3) ई–कोर्ट एमएमपी (चरण–II)

सभी न्यायालयों के यूनिवर्सल कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आईसीटी को और आगे बढ़ाने की परिकल्पना करते हुए परियोजना के दूसरे चरण को जुलाई, 2015 में 1670 करोड़ रुपए की लागत से और 4 वर्षों की अवधि के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस परियोजना के संस्वीकृति अगस्त, 2015 में जारी की गई। यह परियोजना भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर कार्य करेगी।

इस परियोजना का उद्देश्य 7 भिन्न–भिन्न मंचों के माध्यम से वादियों को 30 भिन्न–भिन्न सेवाओं की प्रदायगी करना है।

परियोजना के चरण–प्प में निम्नांकित नई पहल प्रस्तावित हैः

I. **चरण–I की तुलना में न्यायालयों में कंप्यूटर बुनियादी सुविधा में वृद्धि करनाः** इस बात पर विचार करते हुए कि न्यायालय पंजिका के सभी महत्वपूर्ण अनुभाग दैनिक प्रक्रियाओं और सेवा प्रदायगी के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग करते हैं प्रत्येक न्यायालय में चार से बढ़ाकर आठ कंप्यूटर अवस्थापित किए जा रहे हैं।

II. **नोटिस और सम्मन भेजने की प्रणाली को सुदृढ़ करनाः** न्यायालय परिसरों में प्रोसेस सर्वर के लिए प्रमाणीकरण डिवाइस का प्रावधान करके सुदृढ़ किया जा रहा है।

III. **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समितियों को हार्डवेयर प्रदान करना:** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समितियोंके कार्यालयों के लिएलोक अदालतों के आयोजन, लोक अदालतों में मामलों का सूचीयन, कारण सूची, कार्यवाहियों, आदेशों आदि के लिए न्यायालय प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करना अपेक्षित है।

IV. **राज्य विधिक अकादमियों में कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए हार्डवेयर:** न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों केलिए आईसीटी प्रशिक्षण के प्रयासों की निरंतरता बनाए रखने हेतु हार्डवेयर की व्यवस्था करना।

V. **प्रत्येक न्यायालय परिसर में सूचना क्योस्क स्थापित करना:** वादियों को न्यायालय के कर्मचारियों के पास जाए बिना मामले की स्थिति और दैनिक आदेश पत्रों जैसी सेवाएँ प्रदान करना।

VI. **पर्याप्त बुनियादी सुविधा सहित केंद्रीय मिसिलबंदी केन्द्रों का विकास करना:** प्रस्ताव है कि चरण–I में मिसिलबंदी काउंटर के रूप में प्राथमिक रूप से अभिकल्पित न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) को सेवाओं के संघटक सेट के लिए उपयोग में लाया जाएगा इसमें क्योस्क की अवस्थापना और वादियों के लिए प्रतीक्षालय बनाना शामिल है केंद्रीय मिसिलबंदी केंद्र (सीएफसी) को जेएससी और सीएफसी कहा जाएगा।

VII. **न्यायालय पुस्तकालयों का कंप्यूटरीकरण:** न्यायालय के पुस्तकालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। समेकित पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली उच्चतम न्यायालय में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है।

VIII. **पॉवर बैक–अप के लिए सौर ऊर्जा:** पर्यावरण हितैषी और आसानी से उपलब्ध सौर ऊर्जा का उपयोग वैकल्पिक स्रोत के रूप में करने के लिए प्रस्ताव है कि कुल न्यायालय परिसरों का 5: आरंभ में कवर किया जाए।

IX. **क्लाउड कम्प्यूटिंग के प्रयोग के माध्यम से सेवा प्रदायगी:** अलग–अलग न्यायालय परिसरों में सर्वर की आवश्यकता से बचने और न्यायालयों के स्वचालन की कुशलता और मापनीयता में सुधार करना। इससे अलग अलग न्यायालय परिसरों में तकनीकी जनशक्ति की तैनातगी करने की आवश्यकता में कमी आएगी।

X. **डाटा के सामयिक तथा नियमित प्रोन्नयन हेतु तंत्र :** सभी न्यायालयों द्वारा एनजेडीजी के डाटा को अद्यतन करने में गति लाने के लिए तथा कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करना।

XI. **मेनुयल रजिस्टरों को समाप्त करना** : मेनुयल रजिस्टरों को समाप्त करके दैनिक कार्यकलापों के लिए आईसीटी के प्रयोग को बढ़ावा देना और न्यायालय के रजिस्टरों को केवल ई–फॉर्म में ही अनुरक्षित करना।

XII. **एसएमएस और मोबाइल एप के माध्यम से मोबाइल आधारित सेवा प्रदायगी** : नवीनतम मामला संबंधी सूचना के लिए विभिन्न मोबाइल मंचों पर मोबाइल फोन एप्लिकेशन तैयार करना और वादियों तथा वकीलों के लिए एसएमएस आधारित पुश और पुल सुविधा को सुकर बनाने के लिए एसएमएस गेट वे आधारित मूलभूत संरचना तैयार करना।

XIII. **न्यायालय रिकॉर्ड कक्ष प्रबंधन स्वचालन** : सुनवाई के समय न्यायालय में स्वतः न्यायालय विशेष से संबन्धित डिजिटलीकृत दस्तावेज / केस रिकॉर्ड सृजित हो जाएंगे।

(4) चरण–II की उपलब्धियां

- **निर्गत निधियाँ:** न्याय विभाग ने चरण–II के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के लिए 430,05 करोड़ रुपए और एनआईसीको 38,71 करोड़ रुपए जारी किए गए। उच्च न्यायालयों ने कंप्यूटर हार्डवेयर की अभिप्राप्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और एनआईसी ने क्लाउड कम्प्यूटिंग के लिए उपस्कर की अभिप्राप्ति शुरू कर दी है।

- **न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण:** परियोजना के अंतर्गत, उन न्यायालयों के लिए आईसीटी बुनियादी सुविधाएं अपग्रेड की जा रहीं हैं जिन्हें चरण–I में कम्प्यूटरीकृत किया गया है और वे न्यायालय जिन्हें चरण–I में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें अब कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। अधिकांश न्यायालयों ने अपने न्यायाधिकार के अंतर्गत न्यायालयों के लिए बुनियादी सुविधाओं की अधिप्राप्ति की कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

- **सॉफ्टवेयर का दर्जा बढ़ाना:** मामला सूचना सॉफ्टवेयर (एनसी–2.0) के नए अधिक प्रयुक्ता हितैषी संस्कारण का विकास किया है और सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालय इससे जोड़े जा रहे हैं। सीआईएस 2.0 में आदेश पत्र की वास्तविक समय उपलब्धता का फीचर विद्यमान है। ई–कोर्टों को क्लाउड सक्षम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को पूर्णतः सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर वर्जन(सीआईएस 2.0) को मामला अद्यतनों, डाटा प्रविष्टि शुद्धता और डाटा पर किए जाने वाले विश्लेषण के लिए अन्य सभी नियमित अद्यतनों, के अलावा सेवा प्रदायगी के सभी मंचों जिन्हें चरण–II में अभिकल्पित किया गया है, को सक्षमता के वृहद पैमाने के साथ अपग्रेड किया गया है।

- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) विकसित किया गया है। 2013 में चुने हुए राज्यों में एक प्रायोगिक कार्यक्रम आरंभ किया गया। चरण–II के अंतर्गत सभी न्यायाधिकारों के लिए इसे उपलब्ध करा दिया गया और सितंबर, 2015 में सार्वजनिक कर दिया गया है। इस समय वादी 7 करोड़ से अधिक लंबित और निर्णीत मामलों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित 3 करोड़ से अधिक आदेशोंधनिर्णयों के बारे में मामले की स्थिति संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वादियों और वकीलों को न्यायालय परिसर में न्यायिक सेवा केंद्र के माध्यम से मामले को दायर करने,आदेशों और निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां, मामले की स्थिति आदि जैसी सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

- आरंभ से लेकर तब तक ई ताल के माध्यम से 67 करोड़ से अधिक संव्यवहार अभिलेखित किए गए जो दर्शाता है कि वादी और वकील इस सुविधा का बार–बार प्रयोग कर रहे हैं।

- जनवरी–जून, 2016 के दौरान प्रणाली के माध्यम से स्व–सृजित 63 लाख एसएमएस वादियों और वकीलों को भेजे गए हैं।

- **प्रक्रिया री–इंजिनियरिंग:** न्यायालय प्रक्रियाओं और नियमों को तर्क–संगत बनाने के उद्देश्य से सभी उच्च न्यायालयों द्वारा प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग को अपनाया गया है। इस में निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का मूलभूत पुनराभिकल्पन शामिल है। जून, 2016 में सभी महानिबंधकों और विधि सचिवों की कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें उच्च न्यायालयों ने अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को अभिनिर्धारित किया। उच्च न्यायालयों ने दो महत्वपूर्ण प्रक्रियागत परिवर्तनों और दो सामान्य परिवर्तनों के बारे में मौजूदा नियमों में अपेक्षित संशोधनों के बारे में रिपोर्टें दी हैं। ये रिपोर्टें उच्च न्यायालयों से प्राप्त हो गई हैं। न्याय विभाग ने इन रिपोर्टों का सूचियन पूरा कर लिया है और ई समिति साझा न्यूनतम दिशा–निदेशों को तैयार करने पर कार्य कर रही है।

(5) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जो नागरिक केन्द्रित सेवाओं पर जोर देता है, की तर्ज पर, यह परियोजना नागरिकों को मांग पर आधारित शासन और सेवाएँ प्रदान करके और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक हेतु प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी सुविधाओं पर केन्द्रित होगी।

चालू वित्त वर्ष (2016—17) की अंतिम तिमाही में हाथ लिए जाने वाले कार्यकलाप निम्नांकित हैं:—

क्र. सं.	संघटक	विवरण
1	वैन कनेक्टिविटी	एनआईसी द्वारा तैयार न्यायालयों की बैंडविड्थ आवश्यकता के आधार पर, न्यायालयों के लिए कनेक्टिविटी की प्रावधान किया जाना है।
2	प्रक्रिया सर्वर के लिए प्रमाणन उपकरण	नोटिस और सम्मन जारी करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रमाणन उपकरणों का प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है। ई समिति उपकरणों के लिए विशेषताओं में सुधार कर रही है।
3	सौर ऊर्जा	सौर ऊर्जा का उपयोग वैकल्पिक स्रोत के रूप में किए जाने के लिए प्रस्ताव है की आरंभ में कुल न्यायालय परिसरों का 5: कवर किया जाए जिसमें से चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रति न्यायालय परिसर पर 51 लाख रुपए की अनुमोदित लागत पर 51 न्यायालय परिसरों को शामिल किया जाना है।
4	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	न्यायालय और कारागारों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान ई—कोर्ट एमएमपी के चरण—प्प के अधीन किया जाना है।
5	प्रचार	12 जुलाई, 2016 को आयोजित ई—समिति की बैठक में यह ज्ञात हुआ कि वादियों में ई—कोर्ट परियोजना के बारे में बहुत कम जानकारी है। जानकारी बढ़ाने के लिए इस परियोजना का प्रचार किए जाने का प्रस्ताव है। डीएवीपी से संपर्क किया गया है।
6	सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट सेंटर, पुणे	सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सतत कार्यकलाप है। एनआईसी, पुणे में सोफ्त्नेयर डेवलपमेंट टीम सॉफ्टवेयर को विकसित करने और दर्जा बढ़ाने पर कार्य कर रही है।
7	परिवर्तन प्रबंधन, आईआईएम प्रशिक्षण	परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के सभी केंद्रीय परियोजना समन्वयकों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए न्याय विभाग ने इन सत्रों के लिए आयायन और शीर्ष संस्थानों से संपर्क किया है।

7. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन

न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन अगस्त, 2011 में प्रणाली में देरी और बकाया को कम करने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने के द्वारा उपयोग में वृद्धि के दोहरे उद्देश्य के साथ निष्पादन और क्षमताओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था। मिशन, अधीनस्थ न्यायपालिका में बकाया और लंबन के चरणबद्ध परिसमापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाए हुए है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ न्यायालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण सहित बेहतर बुनियादी ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्या बल को बढाना, अत्यधिक मुकदमेबाजी के लिए प्रवण क्षेत्रों में, नीति और विधायी उपाय करना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर जोर शामिल है। मिशन ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक कार्य नैतिक क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं।

(2) न्यायालयों में लंबित बढ़ी संख्या में से निपटने के लिए न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की कमी सामान्य रुप से विलंब का मुख्य कारण माना जाता है। न्यायाधीशों की कमी से दो पक्षीय कार्य नीति के माध्यम से निपटा जा रहा है। पहली, न्यायपालिका में विद्यमान बढ़ी संख्या में रिक्त पदों को भरना और दूसरी न्यायाधीशों की संस्वीकृत संख्या को बढ़ाना है। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि संवैधानिक ढांचे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का उत्तरदायित्व है। सभी पणधारकों द्वारा किए गए सतत प्रयासों के कारण विगत कुछ वर्षों में अधीनस्थ न्यायपालिका के संस्वीकृत संख्याबल में लगातार वृद्धि हुई है। यह 2012 के अंत में 17,715 से बढ़कर जून, 2016 में 21,320 हो गई है। उच्च न्यायालयों के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने उच्च न्यायालयों की संस्वीकृत संख्याबल को 25ः तक बढ़ाने के लिए अप्रैल, 2013 आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की संयुक्त सिफारिश को अप्रैल, 2014 में सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की अनेक राज्यों ने इस प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों का संस्वीकृत संख्याबल मार्च, 2014 में 906 न्यायाधीशों से बढ़कर दिसंबर, 2016 में 1079 न्यायाधीश हो गया। सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के संस्वीकृत संख्याबल को ध्यान में रखते हुए देश में न्यायाधीश–जनसंख्या अनुपात अब 10 लाख जनसंख्या पर 18 न्यायाधीश हैं।

(3) तथापि, देखा गया है कि संस्वीकृत संख्याबल में सतत वृद्धि के बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। 30 जून, 2016 की स्थिति के अनुसार,न्यायिक अधिकारियों के 4937 पद रिक्त थे जो संस्वीकृत संख्याबल का लगभग 23ः है। 22 और 23 अप्रैल, 2016 आयोजित मुख्य

न्यायाधीशों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ–साथ निश्चय किया गया कि मुख्य न्यायाधीश राज्य सरकारों के समन्वयन से अपने राज्यों की आवश्यकताओ के अनुरूप और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में जिला न्यायपालिका के संवर्ग संख्याबल में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे।

(4) अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।तथापि राज्य सरकारों के संसाधनों को बढाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना 1993–94 से चलाई जा रही है। इस योजना के आरंभ से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को 5479 करोड़ रुपए की धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसमें से 2034 करोड़ रुपए की राशि 2014–15 से प्रदान की गई है। इस योजना में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों ध् न्यायिक अधिकारियों के लिए रिहायशी मकान और न्यायालय भवनों का निर्माण शामिल है। अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधा का विकास राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन का प्रमुख प्रभाव क्षेत्र है। तदनुसार वर्ष 2011–12 से संशोधित योजना के अंतर्गत योजना के वित्तीय पेटर्न में 50:50 से संशोधित करके 75:25 (उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मामले में 90:10) कर दिया गया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों को निधियोंके बढ़े हुए हस्तांतरण से वर्ष 2015–16 से योजना के लिए फंड बटवारे का पैटर्न अब 75:25 से संशोधित करके 60:40 (केंद्र रू राज्य) और (8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निधियों के बटवारे की कोई आवश्यकता नहीं है। 2011–12 से मिशन मोड में योजना के कार्यान्वयन से योजना के अंतर्गत गत पाँच वर्षों में संशोधित वित्त पोषण पेटर्न के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 4233 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह 1245 करोड़ रुपए की राशि जो केंद्र सरकार द्वारा योजना के आरंभिक चरण में 1993–94 से 2010–11 तक प्रदान की गई थी, से बहुत अधिक है।

(5) 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालयों से संकलित सूचना के अनुसार देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 2447 न्यायालय हॉल ध् न्यायालय कक्ष उपलब्ध थे। दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों द्वारा सूचित किए गए न्यायाधीशों / न्यायिक अधिकारियों के 16070 कार्यरत संख्याबल से इन आंकड़ों की तुलना करते हुए न्यायिक जनशक्ति की वर्तमान संख्या के लिए पर्याप्त न्यायालय हॉल / न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं। अब ध्यान इस बात केन्द्रित है कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों / न्यायाधीशों के संस्वीकृत संख्याबल के लिए न्यायालय हॉल / न्यायालय कक्ष की उपलब्धता बराबर हो जाए। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकरियों के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता

के बारे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 14420 आवासीय इकाइयां उपलब्ध थी और 1868 आवासीय इकाइयां निर्णाणाधीन थीं।

(6) नई दिल्ली में अप्रैल, 2015 में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों में कमी करने और बकाया को कम करने पर का मामला एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरा जिस पर उच्च न्यायालय स्तर पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता थी। 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में सकल्प किया गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक बकाया समिति गठित करेगा जो बिलंब के जिम्मेदार कारकों का अध्ययन करेगी और पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के बकाया को समाप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। अप्रैल, 2016 में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में संकल्प किया गया कि महिलाओं, उपेक्षित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और भिन्न रूप से सक्षम वायक्तियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएँ ताकि (क) इन श्रेणियों से संबंधित मामलों को मौजूदा न्यायालय प्रणाली के भीतर निपटाने को प्राथमिकता दी जाए और (ख) प्रयास किया जाए कि अधीनस्थ न्यायालयों के संवर्ग संख्याबल का मूल्यांकन किया जाए और ऐसे मामलों से निपटने के लिए, जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त न्यायालय बनाए जाएँ। अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती प्रवृति को रोकने के लिए विभिन्न पदधारकों द्वारा प्रयास किए गए हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में समग्र लंबन 2010 में 2.77 करोड़ से घटकर 2015 में 2.70 करोड़ हो गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का लंबन 2012 के अंत में 66692 से घटकर वर्ष 2015 के अंत में 59272 हो गया है। उच्च न्यायालयों में मुकदमों का लंबन वर्ष 2010 के अंत में 42.49 लाख से घटकर 31—12—2015 को 38.70 लाख मामले रह गया है।

(7) न्यायिक सुधारों संबंधी कार्य अनुसंधान और अध्ययन के लिए योजना स्कीम को अन्य बातों के साथ—साथ न्यायिक सुधारों के बारे में कार्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक आईआईटी, आईआईएम, राज्य न्यायिक अकादमियों, राष्ट्रीय विधि विद्यालयों, विश्व विद्यालयों आदि जैसे प्रख्यात संस्थानों की कार्य अनुसंधान की 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(8) मिशन द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में प्रगति की समीक्षा के लिए विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में 16 फरवरी, 2016 राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधि सुधार मिशन की सलाहकार परिषद की 9वीं बैठक आयोजित की गई। सलाहकार परिषद ने अन्य बातों के साथ साथ न्यायालयों की विशेषज्ञता, न्यायिक उत्तरदायित्व और वाद पूर्व विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मिशन द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में प्रगति की

समीक्षा के लिए विधि और न्याय और इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में 18 अक्टूबर, 2016 राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधि सुधार मिशन की सलाहकार परिषद की 10वीं बैठक आयोजित की गई। सलाहकार परिषद ने अन्य बातों के साथ साथ आपराधिक न्याय प्रणाली, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए जनशक्ति की आयोजना, न्यायालय प्रक्रियाओं को सुचारु बनाना, नीति निर्माण के लिए न्यायिक डाटा बेस आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

8. उपेक्षितों के लिए न्याय तक पहुँच (यूएनडीपी)

परियोजना अवधिः जनवरी, 2013—दिसंबर, 2017

परियोजना राज्यः बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

पृष्ठभूमिः

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 'उपेक्षितों के लिए न्याय तक पहुँच' परियोजना का संचालन कर रहा है। परियोजना, विधिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में न्याय तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने संबंधीकार्यनीतियों का विकास करके गरीबों के लिए न्याय तक पहुँच सबल करने पर केन्द्रित है।

इस परियोजना के अंतर्गत सहायता उपेक्षितों विशेष रूप से गरीबों, महिलाओं, अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए न्याय तक पहुँच सुदृण करने पर केन्द्रित है। यह परियोजना एक ओर गरीबों और वंचितों की कारगत ढंग से सेवा करने के लिए मुख्य न्याय सेवा प्रदाताओं की संस्थागत क्षमताओं में सुधार करने पर केन्द्रित है। दूसरी ओर यह गरीब और उपेक्षित पुरुषों और महिलाओं को न्यायिक सेवाओं की मांग करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने हेतु प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है।

परियोजना का प्रथम चरण 2009 और 2012 के बीच आरंभ किया गया। इस चरण के दौरान परियोजना में 20 लाख लोगों तक पहुंचा गया, 7000 अर्ध विधिक स्वयंसेवियों और युवा वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, सरलीकृत सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण सामाग्री तैयार की गई। चालू चरण,चरण—II मई 2013 से दिसंबर, 2017 के बीच पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। विभाग 8 पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में इसी प्रकार की परियोजना पाँच वर्षों अर्थात 2012—2017 तक की अवधि के लिए कार्यान्वित कर रहा है।

परियोजना फोकसः

(i) उपेक्षित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए न्याय तक पहुँच सुदृढ़ करना।

(ii) गरीबों और वंचितों को प्रभावी सेवा प्रदान करने में समर्थ बनाने हेतु प्रमुख न्यायिक सेवा प्रदाताओं की संस्थागत क्षमताओं में सुधार करना।

(iii) गरीबों और वंचित पुरुषों और महिलाओं को न्यायिक सेवाओं की मांग करने और उन्हें प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाना।

परियोजना कार्यकलापः

विधिक साक्षरता को मुख्यधारा का अंग बनाना रूउपेक्षित वर्गों में विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए नोडल मंत्रालयों और फ्लैगशिप कार्यक्रमों का समावेशन।

(1) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), उत्तर प्रदेश– बाराबंकी जिले में विधिक साक्षरता अभियानः

- पुस्तिका, इश्तेहार, लघु फिल्म, गली नाटक इत्यादि के रूप में विधिक साक्षरता सामग्री तैयार करना।
- विधिक साक्षारता अभियान के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत। बाराबंकी जिले में अभियान की शुरुआत।
- विधिक साक्षरता अभियान के कार्यकलापों को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है।
- परियोजना के तहत 500 ग्राम स्तर के संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और यह अभियान 779 ग्राम पंचायतों तक पहुँचा।

(2) **एनएलएमए का साक्षर भारत** – न्याय विभाग और एनएलएमए ने साक्षर भारत कार्यक्रम के जरिए विधिक साक्षरता को मुख्यधारा में लाने के लिए समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- एसआरसी लखनऊ और जयपुररू उत्तर प्रदेश के 62 जिले और राजस्थान के 32 जिलों के 200 संसाधन व्यक्तियों (आरपी) और 600 प्रेरकों को दो प्रशिक्षण दिया जाना है।
- एसआरसी लखनऊ ने 160 आरपी और 309 प्रेरक का दो प्रशिक्षण पूरा किया।
- एसआरसी जयपुररू 130 आरपी का एक प्रशिक्षण पूरा किया।
- दिनांक 26 जून, 2016 को जयपुर में विधिक साक्षरता पर एक दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।

(3) सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) ई–गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड

- झारखंड के 3 जिलों में 50 ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया। सामान्य सेवा केन्द्रों में विधिक साक्षरता सामग्री को विकसित कर मुख्य धारा में लाया गया।

- राजस्थान के 11 जिलों के 500 सामान्य सेवा केन्द्रों के 500 ग्राम स्तर के उद्यमियों को भी प्रशिक्षित किया गया।

सिविल सोसायटी संगठनों की पहल

(1) वन वर्ल्ड फाउंडेशन

- छत्तीसगढ़ और झारखंड में जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों में 50 आवाज आधारित विधिक सूचना क्योस्क (वीएलईके) स्थापित किए।

- विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारों और पात्रताओं, पात्रता मानदंडों और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में विधिक सूचना के लिए विधिक संसाधन सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए संथाली, छतीसगढ़ी, हिन्दी और अंग्रेजी नामक चार भाषाओं में विधिक संसाधन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए क्योस्क स्थापित किए।

- अप्रैल 2015 तक 100000 लोगों ने किआस्क पर उपलब्ध विधिक सूचनाएं प्राप्त की।

- क्योसकों का अधिग्रहण नालसा और राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों ने कर लिया।

- क्योस्क का रखरखाव अक्टूबर, 2016 तक परियोजना निधि से पूरा किया जा रहा है।

(2) अंतोदयः कालाहांडी, ओडिशा के 3 ब्लॉकों में वन भूमि पर उपेक्षित समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना

- पहल का मुख्य उद्देश्य विशेषतः लोगों के जैव–विविधता रजिस्टर तैयार करके और समुदाय की विधिक जागरूकता को बढ़ाकर उपेक्षित समुदायों में अपने वन भूमि और संसाधनों संबंधी अधिकारों की पहचान करने और इन अधिकारों तक उनकी पहुँच बनाने में सहायता करना है।

- 120 समुदाय अधिकार स्वयंसेवियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

- लक्ष्य क्षेत्र जिला कालाहांडी, ओडिशा के 3 ब्लॉक

(3) भारत ज्ञान–विज्ञान समिति

- मध्य प्रदेश के सेहोर जिले के पाँच ब्लॉकों की 55 पंचायतों में विधिक जागरूकता अभियान, विधिक ज्ञान के माध्यम से महिला सशक्तीकरण और स्थायी सहायता समूहों का गठन।

(4) एड इंडियाः पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों की 190 पंचायतों में "झारखंड में उपेक्षितों के लिए समावेशी और पुनर्वितरक न्याय हेतु मार्ग" (मार्च 2014 – मार्च 2016)

- उद्देश्य यह है कि उपेक्षितों की न्याय तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए विकेंद्रीकृत और समावेशी न्याय और कल्याण पात्रता प्रदायगी प्रणाली और सेवाएं सुदृढ़ हो।
- 10 सामान्य सेवा केन्द्रों का उपयोग न्याय सरलीकरण केंद्र के रूप में किया जा रहा है।
- न्याय तक पहुँच को बढ़ाने के लिए जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों के साथ सहभागिता को मजबूत बनाना।
- सामुदायिक रेडियो द्वारा विधिक जागरूकता।
- लक्ष्य क्षेत्र : पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों की 190 पंचायतें।

विधि स्कूल आधारित विधिक सहायता क्लीनिक

(1) टीआईएसएस विधिक सेवाएँ क्लीनिक (मार्च, 2014–मार्च, (2017)

- टीआईएसएस कैंपस, मुंबई में विश्वविद्यालय आधारित एक विधिक सहायता केंद्र की स्थापना की गई और टीआईएसएस के पास गंदी बस्ती में समुदाय आधारित क्लीनिक की स्थापना की गई,जिसे एम वार्ड कहते है ।
- पिछले 6 महीनों में निम्नलिखित प्रगति हुई हैः
  - ❍ क्लीनिक ने संपत्ति, भूमि मामले, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण, जमानत,विचारण और आपराधिक शिकायतों से संबन्धित कुल 70 मामलों का निपटान किया।
  - ❍ विधिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम– 39 आंगनवाणी सेविकाओंको प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक सेविका लगभग 200 घरों तक पहुँचती है। परिणामतः, समुदाय में एलएससी का दायरा बढ़ गया है।

- टीआईएसएस एलएससी और समुदाय एलएससी अप्रत्यक्ष रूप से एम वार्ड के 15,400 परिवारों तक पहुँच रहे हैं।
- जुलाई में मुंबई के विधि कॉलेजों में क्लीनिकल विधिक शिक्षा पर 2016 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

परियोजना अवधि मार्च, 2017 तक है।

(2) एनएलयूओ विधिक सेवा क्लीनिक (मार्च, 2014 – 2017)

- पुरी, कुर्दा और कटक में विधिक सहायता क्लीनिक और एक कैंपस आधारित क्लीनिक की स्थापना की गई।
- पिछले महीने में परियोजना में प्रगतिरू
  - विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया और उपेक्षित समुदायों से संबन्धित लगभग 200 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।
  - उपेक्षित समुदायों से लगभग 50 लोगों को परामर्श दिया गया और विधिक सहायता में वृद्धि की गई।
  - लाभार्थियों 20 के लिए न्यायालय से बाहर विवाद समधान की सुविधा प्रदान की गई।
  - अधिवक्ताओं के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां उपेक्षित समुदाय से संबंधित 37 युवा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

परियोजना अवधि मार्च, 2017 तक है।

(3) किशोर न्याय के लिए टीआईएसएस सामाजिक विधिक सेलः महाराष्ट्र में सुधार गृह में किशोरों के लिए सामाजिक विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना।

- परियोजना वर्ष 2014 से टीआईएसएस सामाजिक विधिक प्रकोष्ठ का समर्थन कर रहा है।
- सामाजिक विधिक प्रकोष्ठ किशोरों को कानून के विरुद्ध संघर्ष में समर्थन प्रदान करता है और किशोर न्याय बोर्ड की सहायता भी करता है।
- दिनांक 26 जुलाई, 2016 को मुंबई में एसएलएसए और डबल्यूसीडी के बीच सहयोग और अवसरों को बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

परियोजना नवंबर, 2016 में पूर्ण हुई। अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

विधिक जागरूकता

पोक्सो पर दो लघु फिल्मः

- अगस्त, 2016 में एनएफडीसी के साथ समझौता समाप्त कर दिया गया।
- नई एजेंसी चुनने का कार्य प्रक्रियाधीन है और आरएफपी द्वारा चयनित की जाएंगी।
- निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन कर लिया गया है।
- 30 दिसंबर, 2016 तक वित्तीय निविदाएँ खोली जाएंगी।

आउटपुट 4 के अंतर्गत अनुसंधान कार्यः

- विधि और विकास सहभागियों द्वारा "न्यायालय परिसर को महिलाओं के अधिक अनुकूल बनाने" पर अनुसंधान कार्य किया गया। मसौदा रिपोर्ट मई 2015 में न्याय विभाग में जमा की जा चुकी है।
    - जून, 2015 में रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा की गई ।प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।
    - एक बार रिपोर्ट स्वीकार होने पर आवश्यक नीति परिवर्तन करने के लिए निष्कर्ष और सिफारिशों को अन्य उच्च न्यायालयों और संबंधित सरकारी विभागों के साथ साझा किया जा सकता है।

9. न्याय तक पहुँच, पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर
(भारत सरकार की परियोजना)

परियोजनाध्योजना का नाम	:	"न्याय तक पहुँच दृपूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर"
प्रायोजक एजेंसी का नाम	:	न्याय विभाग
परियोजना की अवधि	:	अप्रैल, 2012– मार्च, 2017
परियोजना की कुल लागत	:	30 करोड़ रुपए

"न्याय तक पहुँच–पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर" परियोजना के तहत पहल

(1) **नागालैंड के दो सबसे पिछड़े जिले–तुएनसांग और मोन में 46 विधिक सहायता क्लीनिकों की स्थापनाः** नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सफलतापूर्वक परियोजना को पूरा कर लिया है जहां नागालैंड के सबसे आंतरिक और दूरदराज के दो जिलों तुएनसांग और मोन में 46 विधिक सहायताक्लीनिकों की स्थापना की गई है। इस परियोजना ने दोनों जिलों के 18,323

लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया है। इस परियोजना की विशेषता नालसा द्वारा दूर–दराज के जिलों में विधिक सहायता क्लीनिक के स्थायी मॉडल की स्थापना करना है।

(2) **राज्य संसाधन केंद्र जे–के, द्वारा विधिक साक्षरता कार्यकलापः** दिनांक 14 जनवरी, 2016 को एनएलएमए के साक्षर भारत मिशन पाठ्यक्रम में विधिक साक्षरता घटक को मुख्य धारा में लाने के लिए न्याय विभाग और एसआरसी श्रीनगर के बीच संगम–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य क्रियाकलापों में जम्मू और कश्मीर के स्थानीय संदर्भ में आईईसी (सूचना, शिक्षा, संचार) सामाग्री को विकसित करने के लिए समीक्षा कार्यशाला, एनएलएमए द्वारा चयनित संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण, प्रेरकों का प्रशिक्षण, संसाधन व्यक्तियों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण, प्रेरकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण शामिल है। इन सम्मिलन क्रियाकलापों के पश्चात जे–के के सभी पिछड़े जिलों में भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत विधिक साक्षरता घटक पढ़ाये जाएंगे।

(3) **राज्य संसाधन केंद्र, असम द्वारा विधिक साक्षारता कार्यकलापः** असम, सिक्किम और त्रिपुरा में विधिक साक्षरता क्रियाकलापों (आईईसी सामग्री तैयार करना, आरपीध्एमवाईध्प्रेरक का प्रशिक्षण) की शुरुआत करने के लिए दिनांक 21 जनवरी, 2016 को न्याय विभाग और एसआरसी असम के बीच संगम–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आज की तारीख तक एसआरसी ने आईईसी सामग्री (11 बुकलेट, 11 पैम्फलेट और पोस्टर) तैयार कर लिए हैं। विधिक साक्षरता पर आईईसी सामग्री तैयार करने के पश्चात 11 महत्वपूर्ण विधियों और पात्रताओंके बारे में 30 संसाधन व्यक्तियों और 300 प्रेरकों को प्रशिक्षित किया गया।

(4) **राज्य संसाधन केंद्र, शिलांग द्वारा विधिक साक्षरता कार्यकलापः** उत्तर–पूर्वी राज्यों (मेघालय, नागालैंड और मणिपुर) में उपेक्षित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए विधिक साक्षरता कार्यकलाप (आईईसी सामाग्री तैयार करना, आरपीध्एमवाईध्प्रेरक का प्रशिक्षण) की पहल के लिए न्याय विभाग और एसआरसी शिलांग के बीच दिनांक 21 जनवरी, 2016 को संगम– ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 11 महत्वपूर्ण विधियों और पात्रताओंके बारे में 23 संसाधन व्यक्तियों और 249 प्रेरकों को प्रशिक्षित किया गया।

(5) **राज्य संसाधन केंद्र, अरुणाचल प्रदेश द्वारा विधिक साक्षरता कार्यकलापः** अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधिक साक्षरता कार्यकलाप (आईईसी सामग्री तैयार करना, आरपीध्एमवाईध्प्रेरक का प्रशिक्षण) शुरू करने के लिए न्याय विभाग और एसआरसी अरुणाचल प्रदेश के बीच दिनांक 29 फरवरी, 2016 को संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में 11 महत्वपूर्ण विधियों और पात्रताओंके बारे में 27 संसाधन व्यक्तियों और 115 प्रेरकों को प्रशिक्षित किया गया।

(6) **उत्तर–पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) द्वारा विधिक साक्षरता कार्यकलाप**: दिनांक 3 मार्च, 2016 को न्याय विभाग ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा सहित 5 उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान्य सेवा केन्द्रों के साथ संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कार्यक्रम विधिक मामलों पर नागरिकों को प्रशिक्षण देने और उपेक्षित वर्गों के लिए विधिक साक्षरता कार्यशाला के आयोजन पर केन्द्रित है। यह ग्राम स्तर उद्यमियों (वीएलई) के लिए मास्टर प्रशिक्षण का आयोजन करेगा जो विधिक साक्षरता सत्रों का आयोजन करेंगे और उत्तर पूर्वी राज्यों के विभिन्न जिलों में सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा लोगों को न्याय प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेंगे। इसी क्रम में मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों में विधिक साक्षरता कार्यकलापों के लिए न्याय विभाग और सामान्य सेवा केंद्र के बीच दिनांक 23 मार्च, 2016 को एक अन्य संगम–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब तक उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए आधारभूत सर्वेक्षण कर लिया गया है और आईईसी सामग्री (विभिन्न सामाजिक विधिक मामलों पर फिल्म, विधिक साक्षरता पर हैंडबुक और ई–पाठ्यक्रम) तैयारी प्रक्रियाधीन है। परियोजना से उत्तरपूर्वी राज्यों के 1,61,320 लोगों को लाभान्वित होने की आशा है।

(7) **नौ परियोजना राज्यों में परियोजना दल की नियुक्ति के माध्यम से एसएलएसए को मानव संसाधन का प्रतिपादन**: दो पेशेवरों (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) के दल को सभी 9 परियोजित राज्यों में राज्यों के स्तर पर न्याय तक पहुँच (पूर्वोत्तर और जम्मू–कश्मीर) परियोजना की गतिविधियों का समन्वय करने और विधिक सेवा प्राधिकरण का समर्थन करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इस वर्ष मेघालय (पीसी–पीए नियुक्त) और मणिपुर (केवल पीसी नियुक्त) में परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक के रिक्त पदों के लिए 3 और लोगों की नियुक्ति की गई है। जम्मू–कश्मीर (पीसी और पीए)और मिजोरम (केवल पीसी) को छोड़करसभी राज्यों में भर्तियों को पूरा किया जा चुका है।

(8) **जम्मू–कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने और अनाथालयों को नियंत्रित करने संबंधी नीति का रूपरेखा मसौदा तैयार करना**: फोर्ड नामक संगठन को जम्मू–कश्मीर मेंअनाथ बच्चों और अनाथालयों के अधिकारों पर अध्ययन करने के लिए चयनित किया गया था। अध्ययन कर लिया गया है और जम्मू और कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और अनाथालयों के संचालन के लिए एक नीतिगत ढांचे का मसौदा तैयार कर समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(9) **विधिक साक्षरता घटकों पर असम, सिक्किम और त्रिपुरा के अन्य स्थानीय बोलियों में आईईसी सामग्री की समीक्षा और मुद्रण**: असम, त्रिपुरा और सिक्किम के विभिन्न स्थानीय बोलियों में विधिक साक्षरता पर आईईसी सामग्री की समीक्षा और मुद्रण के लिए न्याय विभाग और

एसआरसी, असम के बीच संगम–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। स्थानीय बोलियों में असम राज्य की बोडो, कार्बी, राभा भाषाएंय सिक्किम राज्य की भूटिया, लिप्का, लिम्बू और त्रिपुरा राज्य की कोकबोरोक भाषाएँ शामिल हैं। यह आईईसी सामग्री इन भाषाओं को बोलने वाले अनुसूचित जनजाति और स्थानीय लोगों को लाभान्वित करेंगी और विधिक साक्षरता प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करेगी।

(10) **"उत्तर–पूर्वी राज्यों में मानव तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों के अधिकारों** : न्याय तंत्र तक पहुँचने में कठिनाइयों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पैनल अधिवक्ता और सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका" के बारे में राज्य सम्मेलनरू दिनांक 29 जुलाई, 2016 को "उत्तर–पूर्वी राज्यों में मानव तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों के अधिकारों रू न्याय तंत्र तक पहुँचने में कठिनाइयों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पैनल अधिवक्ता और सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका" के बारे में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में कुल 35 लोगों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में न्याय विभाग, समाज कल्याण विभाग, असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के प्रतिनिधि, राज्य पुलिस अधिकारी इत्यादि शामिल थे। यह निष्कर्ष निकला कि विभिन्न एजेंसियां मानव तस्करी मामलों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं और इससे कार्य के दोहरीकरण की आशंका है। यह सिफारिश की गई कि समाज कल्याण विभाग एकल स्थानिक समाधान करने की जिम्मेदारी ले जहां विभिन्न हितधारकों का सम्मिलन संभव हो सके।

(11) **"उत्तर–पूर्वी भारत में सामुदायिक संरक्षणः** लाभ, कठिनाइयाँ और अच्छे संरक्षण के लिए कार्य योजना" के बारे में राज्य सम्मेलनरू दिनांक 31 जुलाई, 2016 को "उत्तर–पूर्वी भारत में सामुदायिक संरक्षणरू लाभ, कठिनाइयाँ और अच्छे संरक्षण के लिए कार्य योजना" के बारे में शिलांग में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें न्याय विभाग, विधि विभाग, एनईएचयू, उत्तर–पूर्व पुलिस अकादमी (एनईपीए), समाज कल्याण विभाग, उत्तर–पूर्व राज्यों के राज्य पुलिस अधिकारी, राज्य संसाधन केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र और सिविल सोसाइटी संगठन के कुल 23 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का परिणाम प्राथमिक हितधारकों के सामुदायिक संरक्षण को सरकारी संस्थानों में बेहतर पहुँच प्राप्त करने के लिए कार्यनीति के रूप में स्वीकार करने पर आम सहमति थी। अंत में, एनईपीए पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में सामुदायिक संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र खंड समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तर–पूर्वी राज्यों में पहले से कार्यरत सामुदायिक संरक्षण मॉडल को अभिलेखित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

(12) **उत्तर–पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजाति सहित उपेक्षित वर्गों के अधिकारों पर राज्य सम्मेलनः** अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के विधिक अधिकारों के

संरक्षण में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और आयोगों की भूमिका दृ न्याय तक पहुँचदृपूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर",न्याय विभाग द्वारा मणिपुर के इम्फाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री एनकोटेस्वर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में कुल41 लोगों ने भाग लियाय जिसमें विभिन्न संबन्धित विभागों और आयोगों जैसे विधि और न्याय विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जनजातीय कार्य और पर्वत विभाग, राज्य महिला आयोग इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें सरकारी विधि कॉलेज, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और पूर्वोत्तर राज्यों के सिविल सोसाइटी संगठनोंके विद्वान शामिल थे।

(13) आगामी कार्यक्रम

(i) विधिक साक्षरता पर साक्षर भारत मिशन के संसाधन व्यक्तियों और प्रेरकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(ii) सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विधिक साक्षरता पहलों पर असमी, बंगला, अंग्रेजी, गारो, खासी, मिजो, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू में आईईसी सामग्री का मुद्रण।

(iii) विधिक साक्षरता पर सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के 1400 मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

(iv) विधिक साक्षरता पहलों पर सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विधिक साक्षरता परियोजना प्रभावी मूल्यांकन।

(v) राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा अंग्रेजी, असमी, नेपाली, बंगला, गारो, खासी, और मणिपुरी, बोडो कार्बी, राभा, भूटिया, लिप्का, लिम्बू और कोकबोरोक भाषा में आईईसी सामग्री का मुद्रण।

10. विभाग की विविध गतिविधियां

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू कर दिए हैं:

(क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करने और संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारीध्लोक

प्राधिकारी को आवेदन पत्र हस्तांतरित करने और आरटीआई आवेदनोंध्अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत अपेक्षित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ–साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (ीजजचरूध्ध्कवर.हवअ.पद) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत सभी अवर सचिवों को उनके द्वारा देखे जा रहे विषय के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के संदर्भ में, सभी निदेशकध् उप सचिव स्तर के अधिकारियों को सीपीआईओ के रूप में पदनामित अपने अधीनस्थ अवर सचिवों के मामले में अपीलीय प्राधिकारीपदनामित किया गया है।

(ङ) वर्ष 2016 (01–01–2016 से 31–12–2016) के दौरान विभाग में दस्ती रूप में प्राप्त 600 आरटीआई आवेदनों और अपीलों और ऑनलाइन प्राप्त हुए 2056 आरटीआई आवेदनों और अपीलों को, अनुरोधित सूचना प्रदान करने के लिए संबन्धित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियोंध्लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया।

(च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15–04–2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1ध्5ध्2011–आईआर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार विभाग, सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

(2) शिकायत निवारण

न्याय विभाग भारत सरकार 20 शीर्ष मंत्रालयों / विभागों में से एक है जहां तक उसे प्राप्त शिकायतों की संख्या को निपटाने का संबंध है। इस विभाग को प्रसाशनिक सुधार और लीक शिकायत विभाग के पीजी पोर्टल, प्रधान मंत्री कार्यालय से, राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति सचिवालयों से दस्ती तौर पर प्रतिवर्ष औसतन 10000 से 12000 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अधिकांश शिकायतें निर्णयों की प्रदायगे में विलब से संबन्धित हैं, कुछ शिकायतें न्यायालयों द्वारा अनुचित निर्णयों से और कुछ न्यायालयों में व्याप्त तथा कथित भ्रष्टाचार से संबन्धित हैं। न्यायपालिका से संबन्धित ऐसी शिकायतें आगे की समुचित कार्रवाई के लिए महा सचिव, भारत का उच्चतम न्यायालय / महा निबंधक, संबन्धित उच्च न्यायालयों को अग्रेषित की जाती हैं यदि कोई शिकायत न्यायिक अधिकारियों के तथा कथित भ्रष्टाचार / कदाचार से संबन्धित होती है तो इस याचिका के साथ सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ शपथ पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। विधिक सहायता / समर्थन के लिए अनुरोध भी प्राप्त होते हैं। ऐसी शिकायतों को निवारण हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाता है।

अधिकांश शिकायतकर्ता न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता से पूर्णतः संतुष्ट हैं।

शिकायतकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों से संबंधित शिकायतों को शीघ्र निपटान के लिए सीधे उनके निम्नलिखित ई–मेल पर प्रेषित करें:

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय का नाम	ई–मेल आईडी
1.	भारत का उच्चतम न्यायालय	supremecourt@nic-in
2.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	rg@allahabadhighcourt-in
3.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	thc-vigilance@gmail-com
4.	गौहाटी उच्च न्यायालय	regv-ghc@gmail-com
5.	केरल उच्च न्यायालय	rsjhc-ker@nic-in
6.	झारखंड उच्च न्यायालय	admn-misc-jhcranchi@gmail-com vigilancecellscs-jhcranchi@gmail-com
7.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	rg-ukhc@indiancourts-nic-in
8.	मेघालय उच्च न्यायालय	rg-mglhc@indiancourts-nic-in
9.	दिल्ली उच्च न्यायालय	aojestablishment2-dhc@nic-in
10.	मुंबई उच्च न्यायालय	rgsid&bhc@nic-in
11.	सिक्किम उच्च न्यायालय	cpc&sik@nic-in
12.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	reg-vig&phc@indianjudiciary-gov-in
13.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	arvindm@aij-gov-in
14.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	vv&hc-cg@gov-in
16.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	svsrmoorty@gmail-com
17.	गुजरात उच्च न्यायालय	rg&hc&guj@nic-in
18.	राजस्थान उच्च न्यायालय	regadmn&rhc&rj@gov-in rajinder-tuteja@aij-gov-in
19.	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय	myakhoon@gmail-com
20.	पटना उच्च न्यायालय	grievance@hck-gov-in
21.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	phcgrievance&bih@gov-in
22.	मद्रास उच्च न्यायालय	usdey15@gmail-com rggriavance@yahoo-com
23.	मणिपुर उच्च न्यायालय	regrvigil-tn@nic-in
24.	ओडिशा उच्च न्यायालय	nd-grievance&hcm@gov-in
25.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	rg-orihc@indiancourts-nic-in
26.	नालसा	cpc&cal@indianjudiciary-gov-in

शिकायत कर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिकायतें केवल लोक शिकायत पोर्टल cpgrams&darpg@nic पदपर ही दर्ज करें। न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के लिए शिकायत कर्ताओंध्नागरिकों को सूचना/मार्ग–दर्शन हेतु संबंधित विस्तृत दिशा–निदेश वैबसाइट "doj-gov-in" पर अपलोड किए गए हैं। निदेशक (लोक शिकायत), न्याय विभाग,कमरा संख्या– 12–ख जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली से सीधे दूरभाषः 011–23072135 पर संपर्क कर सकते हैं।

(3) महिलाओं का सशक्तीकरण

कार्य–स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण। कार्य–स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिबंध) अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुपालन में 24.11.2015 को विभाग की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी हैं।

(4) स्वच्छ भारत

भारत के माननीय प्रधान मंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान पर न्याय विभाग ने अनेक कार्यकलाप आरंभ किए। इस संबंध में 25 सितंबर, 2014 से 1 अक्तूबर, 2014 तक सफाई, परिसर, आस–पास का क्षेत्र, गलियारों की सफाई और पुराने रिकार्डों को समापट करने जैसे विभिन्न कार्यकलाप संचालित किए गए। 2 अक्तूबर, 2014 को सचिव (न्याय) द्वारा सभी र्कमचारियों को "स्वच्छता शपथ" दिलाई गई। सचिव (न्याय) के नेतृत्व में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वैच्छिक श्रमदान किया। 3 अक्तूबर, 2014 से 31 अक्तूबर,2015 और 1 नवंबर, 2015 से 31 अक्तूबर, 2019 तक की अवधि के लिए विस्तृत कार्य–योजना तैयार की गई है।

(5) ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

न्याय विभाग ने अपनी सभी पुरानी और वर्तमान फाइलों के डिजिटलीकरण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। अब तक लगभग 10,00,000 पन्नों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। न्याय विभाग ने अपने दैनिक कार्यों में ई–ऑफिस के कार्यान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ई–ऑफिस प्रणाली के तहत फाइल ट्रैकिंग सिस्टम(एफटीएस) अपनाया गया। विभाग ने वर्ष 2016–17 के दौरान ई–फाइल पर भी कार्य करना शुरू कर दिया है। ई–ऑफिस के सुगम कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकारियोंध्कर्मचारियों को एनआईसी के परामर्श से ई–ऑफिस पर कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

माननीय प्रधान मंत्री के आह्वान पर विभाग नकदी रहित लेन–देन और डिजिटल भुगतान प्रणाली की ओर भी कदम बढ़ा रहा है।

(6) विभाग के कार्यकरण के बारे में 21.09.2016 को आयोजित समीक्षा बैठक

दिनांक 21.09.2016 को जैसलमेर हाउस में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें माननीय केंद्रीय विध और न्याय मंत्री और माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री ने विभाग के विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान, सचिव (न्याय) भी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थीं और उन्होंने चर्चा की।

माननीय मंत्री महोदय ने जैसलमेर हाउस परिसर का निरीक्षण भी किया।

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव हिंदी दिवस के अवसर पर
अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

11. राजभाषा अनुभाग

न्याय विभाग का राजभाषा अनुभाग भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कारगर कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग विभाग की विभिन्न सामग्रियों का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त सरकार के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(2) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टों का संग्रहण और विश्लेषण

विभाग के सभी अनुभागों से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टें संग्रहीत करके उनकी समीक्षा की गई. रिपोर्टों में पाई गई कमियों के बारे में अनुभागों को सूचित किया गया तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में सुझाव दिए गए। इन रिपोर्टों के आधार पर समेकित विवरण तैयार किया गया और सभी अनुभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में समीक्षा की गई।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

वर्ष 2016–17 के दौरान न्याय विभाग में राजभाषा अनुभाग की स्थापना किए जाने के बाद सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2016 में संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। इस समिति की प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक आयोजित की गई और विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति की समीक्षा की गई। विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में इस बैठक के कार्यवृत को परिचालित किया गया। इस समिति ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए कारगर उपायों पर चर्चा की। इस समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार संघीय सरकार का कार्य अधिकाधिक हिंदी में किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस समिति की दिनांक 31–03–2016 (प्रथम), 28–06–2016 (द्वितीय), 28–09–2016 (तृतीय) और 27–12–2016 (चतुर्थ) को बैठकें आयोजित की गई। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर विभाग के सभी अनुभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

(4) सरकारी कामकाज में हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन

विभाग में कर्मचारियों के लिए सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में टिप्पण और आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना और अधिकारियों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना भी वर्ष 2016–17 से आरंभ की गई है।

(5) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

विभाग में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जो दिनांक 25–05–2016 (प्रथम), 27–09–2016 (द्वितीय) और 22–12–2016 (तृतीय) को आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में राजभाषा संवर्ग के सेवानिवृत अधिकारियों को दैनिक सरकारी कार्य में राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि के बारे में कार्मिकों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया गया और विभाग के अधिकारियोंध्कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए गए और उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न नियमों और विनियमों की जानकारी प्रदान की गई। इससे सरकारी कामकाज में हिंदी टिप्पण और हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ।

(6) विभाग के विभिन्न दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, ई–बुक, निष्पादन बजट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया–ज्ञापन, मंत्रिमण्डल हेतु टिप्पणियों (केबिनेट नोट), संसद प्रश्नों में दिए गए आश्वासनों पर कार्यान्वयन रिपोर्टों, नालसा से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और सामान्य रूप से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों जिनमें अधिसूचनाएं, मंत्री महोदय की ओर से भेजे जाने वाले अर्ध शासकीय पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले पत्र और दैनिक प्रकृति के सामान्य आदेश शामिल हैं, आदि का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य सम्पन्न किया गया।

(7) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में पहली बार 14.09.2016 से 28.09.2016 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 14 सितंबर, 2016 को हिंदी दिवस पर माननीय सचिव महोदया की उपस्थिति में माननीय विधि और न्याय मंत्री और माननीय गृह मंत्री महोदय के संदेशों का वाचन किया गया। सचिव (न्याय) ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

विभाग के अधिकारी/कर्मचारी हिंदी कार्यशाला में भाग लेते हुए

इस दौरान 4 लिखित अर्थात हिंदी निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता और श्रुत लेखन प्रतियोगिता तथा 2 मौखिक प्रतियोगिताएं अर्थात काव्य पाठ प्रतियोगिता और आशु संभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गईं जिनमें कुल 59 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को 4 नकद पुरस्कार (प्रथम : 3000 रुपए, द्वितीय : 2000 रुपए, तृतीय : 1500 रुपए और प्रोत्साहन : 500 रुपए) और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। सचिव (न्याय) महोदया ने दिनांक 26–12–2016 को 24 प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव,सचिव (न्याय) श्री राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं राजभाषा अधिकारी, श्री ए.के. लाल, संयुक्त सचिव तथा श्री वी.के. त्रिपाठी, निदेशक (प्रशासन) की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान करते हुए।

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव,सचिव (न्याय) विभाग के अधिकारियों तथा हिन्दी पखवाड़ा प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं के साथ।

(8) हिंदी पुस्तकों की खरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग में पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखकों और विशिष्ट व्यक्तियों की पुस्तकों की सूची सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से तैयार की गई और लगभग 5000/– रुपए मूल्य की पुस्तकें खरीदी गईं।

12. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) भी राज्यों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वे विधि और विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देते हैं। वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर के आधार पर स्वतंत्र और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवम्बर, 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है।

(2) हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में और राज्य में लोक अदालत का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को विधिक सेवाएं कार्यक्रम के प्रशासन औरइसको लागू करने के लिए गठित किया गया है जहां तक यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है।

(4) नालसा का कामकाज

नालसा देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा निर्देशोंको निर्धारित करता है और प्रभावी फ्रेम और किफायती योजनाएं बनाता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों, को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है:

- पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना ;
- विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना और
- ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

(5) निःशुल्क विधिक सेवाएं

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नांकित शामिल हैं: –

क) कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान,

ख) विधिक कार्यवाही में वकीलों की सेवा प्रदान करना,

ग) विधिक कार्यवाही में आदेश प्राप्त करना और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां की आपूर्ति।

घ) मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी।

मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं:–

i) महिलाएं और बच्चे;

ii) अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य

iii) औद्योगिक कामगार

iv) बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार

v) विकलांग व्यक्ति।

vi) हिरासत में व्यक्ति

vii) व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है। (सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में सीमा 1,25,000 रुपये) है।

viii) तस्करी के शिकार मनुष्य और भिखारी

अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2016 तक देश में 2.28 लाख व्यक्ति विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 19762 अनुसूचित जातियों से, लगभग 12558 अनुसूचित जनजातियों से, लगभग 49672 महिलाएं और लगभग 7208 बच्चे थे।

(6) लोक अदालत

लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान ढांचे में से एक है। यह ऐसा मंच है जहां न्यायालयों में लंबित अथवा वाद पूर्व स्थिति वाले विवादों ६ मामलों का समाधान ६ मिलजुल कर समझौता कराया जाता है। लोक अदालत को विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन सांविधिक दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होती है तथा किसी न्यायालय के समक्ष इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

(क) लोक अदालतों का आयोजन नालसा के मार्ग–दर्शन में विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों तथा वाद पूर्व स्थिति के मामलों के समाधान के लिए विधिक सेवाएँ प्राधिकरणध्समितियों द्वारा किया जा रहा है। लोक अदालतों में निम्न प्रकार के मामले उठाए जा रहे हैं:

1. वैवाहिक / पारिवारिक विवाद
2. आपराधिक मिश्रयोग्य अपराध मामले
3. भूमि अधिग्रहण मामले
4. श्रम विवाद
5. कामगारों का मुआवजा
6. बैंक वसूली मामले (राष्ट्रीयकृत, बहुराष्ट्रीय और निजी बैंक)
7. पेंशन मामले
8. आवासीय मण्डल और मलीन वस्ती निकासी मामले और आवासीय वित्त मामले
9. उपभोक्ता शिकायत मामले
10. बिजली संबंधी मामले
11. टेलीफोन बिल विवाद
12. गृह कर सहित नगर निगम विषयों के मामले आदि

(ख) विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम 1987 में अध्याय–VI–क को वर्ष 2002 में "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" से संबंधित विवादों के समझौते और समाधान के लिए अनिवार्य वाद पूर्व ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से समाहित किया गया है।

आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने अध्याय VI–क के अधीन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए स्थाई लोक अदालतें स्थापित की हैं।

(7) राष्ट्रीय लोक अदालतें

नियमित लोक अदालतों के अतिरिक्त देश भर में प्रति माह विशिष्ट विषयवस्तु के बारे में मासिक लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं।

अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2016 की अवधि के दौरान लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का निपटान निम्नानुसार है।

(i) **राष्ट्रीय लोक अदालतें (मासिक):**

मासिक राष्ट्रीय लोक अदालतें विभिन्न विषयक मामलों पर स्थापित की गई थी और 87.09 लाख विवाद पूर्व और लंबित दोनों मामले निपटाए गए और निपटान राशि 7213.61 रुपए थी।

(ii) **नियमित लोक अदालत:**

56934 लोक अदालतें आयोजित की गईं और 11.20 लाख मामलों का निपटान किया गया था। 29554 मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामलों में 435.19 करोड़ रुपए की राशि के मुआवजे का भुगतान किया गया।

(iii) **स्थाई लोक अदालतें:**

10146 बैठकें आयोजित की गईं और नियमित लोक अदालतों में 41913 मामले निपटाए गए और कुल 78.95 करोड़ रुपए के मूल्य के समाधान किए गए।

(iv) **मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए गए मामले:**

मध्यस्थता के माध्यम से 40851 मामले निपटाए गए।

(8) विधिक जागरूकता कार्यक्रम

निवारक और कार्यनीतिक विधिक सहायता के भाग के रूप में नालसा, राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के माध्यम से विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करता है। कुछ राज्यों में ग्रामीण साक्षरता शिविरों के साथ–साथ सामान्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रति वर्ष विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नालसा ने मनरेगा, वरिष्ठ नागरिक अधिकार और महिला कल्याण कार्यक्रमों के बारे में विशेष विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया। नालसा द्वारा लोक अदालत के माध्यम से मनरेगा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष योजना कार्यान्वित की गई।

(9) पीड़ितों को मुआवजा

धारा 357–क में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से अपराध के परिणामस्वरूप क्षति अथवा घाव से पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजे के उद्देश्य से निधियाँ प्रदान करने के लिए योजना तैयार करेगा। तदनुसार, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने योजनाएँ बनाई हैं जिनमें तेजाब आक्रमण, यौन शोषण आदि के पीड़ितों सहित सभी पीड़ितों को मुआवजा किया जा सकता है। अधिकांश राज्यों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजा प्रदान करते हैं और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण धनराशि वितरित करते हैं।

अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को 5602 आवेदन प्राप्त हुए और 3653 आवेदन निपटाए गए और 44.34 करोड़ रुपए की धनराशि समाधान राशि के रूप में प्रदान की गई।

(10) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की हैदराबाद, तेलंगाना में 9–10 अप्रैल, 2016 को आयोजित अखिल भारतीय बैठक।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की 14वीं अखिल भारतीय बैठक हैदराबाद, तेलंगाना में 9–10 अप्रैल, 2016 को आयोजित की गई। इस बैठक का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर,भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, नालसा ने श्री के. चन्द्रशेखर राव, माननीय मुख्यमंत्री, तेलंगाना, श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय विधि और न्याय मंत्री, माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल आर. दवे, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा, माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. वी. रमण, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप बी. भोसले, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, हैदराबाद उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. चन्द्रैया, कार्यकारी अध्यक्ष, तेलंगना राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण और माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश रंगनाथन, कार्यकारी अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण की गरिमामयी उपस्थिति में किया।

आरंभिक सत्र में तेलंगाना के मुख्य न्यायमूर्ति ने लोक अदालतों सहित एडीआर समाधान ढांचे को अपनाने और इसके कार्यकरण में विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को हर आवश्यक सहयोग देने के प्रति अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहरायी।

माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर,भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, नालसा ने शीघ्र न्याय प्रदान करने और इसके द्वारा न्यायालयों पर बोझ को कम करने में लोक अदालतों के महत्व को उजागर किया। माननीय न्यायमूर्ति ने इस तथ्य को भी उजागर किया कि लोक अदालतें वाद–पूर्व प्रकरणों में प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ मामलों को न्याय प्रदायगी तंत्र में फसने से बचा रही हैं।

इसके बाद के सत्रों में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने विधिक सेवा संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही सभी प्रकार की विधिक सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक के मुख्य परिणाम नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

क) सभी राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर से कम दर पर पैनल वकीलों को देय फीस निर्धारित करने के लिए विनियमनों में संशोधन के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए संकल्प पारित करना;

ख) प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले के लिए प्रगति का गहन अनुश्रवण, पैनल वकीलों को, जहां आवश्यक हो, मार्ग दर्शन प्रदान करने और गैर निष्पादन के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए ढांचा तैयार करना;

ग) प्रत्येक जिले के लिए पैनल वकीलों को नियमित प्रशिक्षण देना;

घ) सभी कारागारों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि वकील इन क्लीनिकों में पर्याप्त दौरे करें (अधिमानतः प्रतिदिन);

ङ) कारागार स्थित क्लीनिकों का पर्याप्त प्रचार करना और पैनल वकीलों / अर्ध विधिक स्वयं सेवकों द्वारा कारागात के कैदियों को सुविधा प्रदान किया जाना;

च) यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा तैयार करना कि लोक अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के आंकड़े न्यायालयों में ऐसे मामलों के लंबन में आई कमी के स्पष्टतः अनुरूप हों;

छ) जैसा कि 13वीं अखिल भारतीय बैठक में पारित किया गया था लोक अदालतों के संदर्भ में वाद पूर्व मामलों की परिभाषा का कड़ाई से अनुपालन करना;

ज) राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करना ताकि वे पीड़ित मुआवजा योजनाओं में संशोधन करें और पीड़ित मुआवजा निधि को राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों / जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के पास रखें ताकि आदेशित धनराशि को समय पर संवितरित करना सुनिश्चित हो सके।

(11) नालसा की योजनाओं का कार्यान्वयन

विधिक सेवाओं की 7 नई योजनाओं को 2015 में आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप एक वर्ष के लिए न्यूनताम कार्य योजना तैयार की गई और सभी राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को भेजी गई। योजना के अनुसार संबंधित विभागों के जिला प्राधिकारियों के समन्वयन से राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों ने निम्नांकित कार्यकलाप आयोजित किए हैं:

क) प्रत्येक योजना के मामले में जिलों का अभिनिर्धारण करना जो कार्यनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए संगत और महत्वपूर्ण हो;

ख) अर्ध विधिक स्वयंसेवकों और पैनल वकीलों, जिला अधिकारियों (कार्यरत अथवा सेवानिवृत) और गैर सरकारी संगठनों की टीमों का गठन करना ताकि नालसा की योजना को सरकार की योजनाओं और नीतियों में समाहित करना सुनिश्चित किया जा सके;

ग) नालसा की प्रत्येक योजना की विषय वस्तु के बारे में सरकारी योजना का डाटाबेस तैयार करना;

घ) प्रत्येक योजना के बारे में विभिन्न पणधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(12) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की क्षेत्रीय बैठकें

चर्चा के पश्चात सभी राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों को मोटे तौर पर दिए गए सामान्य सुझाव निम्नांकित हैं: "विधिक सेवाएं कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयनरू चुनौतियां और आगे का मार्ग प्रशस्त करना" के बारे में अब तक राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की तीन क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई हैं।

(i) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अगरतला में 18 और 19 जून, 2016 को आयोजित की गई;

(ii) दक्षिणी राज्यों के लिए पुडुचेरी में 23–24 जुलाई, 2016 को आयोजित की गई;

(iii) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित पूर्वी राज्यों के लिए बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 3–4 सितंबर, 2016 को आयोजित की गई।

बैठकों के मोटे तौर पर उद्देश्य निम्नांकित थे:

क) क्षेत्र में राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की प्राथमिकताओं को समझना और इन पर सर्वसहमति बनाना;

ख) विधिक सेवाएं संस्थानों की उपस्थिति और उनके कार्य को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना;

ग) विधिक सेवाओं की सीमा और गुणवत्ता को बढ़ाकर अनुदान की सम्पूर्ण और समुचित उपयोगिता के कारगर तरीकों का पता लगाना;

घ) क्षेत्र विशेष की चुनौतियों का पता लगाना और आगे का मार्ग प्रशस्त करना।

चर्चा के पश्चात सभी राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को दिए गए सामान्य विस्तृत सुझाव निम्नांकित हैं:

क) संबंधित उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया गया कि वे सदस्य सचिवों और जिला सचिवों के संस्वीकृत पदों को भरें और इस दौरान सचिवों का कार्य देख रहे न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक कार्य से आधे दिन की और इकाइयों से समानुपात में कार्य की छूट दी जाए;

ख) पैनल वकीलों के लिए बेहतर प्रशिक्षण केलेण्डर तैयार किया जाए और मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ;

ग) कारगर प्राधिकारियों के साथ कारगर समन्वय रखा जाए और सभी कारागारों में लंबी अवधि के दोषी कैदियों को अर्ध विधिक स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कारागारों में सभी विचारणाधीन कैदियों की विधिक सहायता की आवश्यकताओं का पता चल सके। अर्ध विधिक स्वयंसेवकों को संगत अभिलेख तैयार करने चाहिए और कारागार में आने वाले वकीलों को देने चाहिए;

घ) विधिक सेवाएं संस्थानों की उपस्थिति और प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया, होर्डिंग लगाना, सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस आदि सहित उनके कार्य को बढ़ाने की हर संभव विधि को अपनाना;

ङ) प्रत्येक विधिक सेवा के बारे में संभावित खर्च का अनुमान लगाना और उनके पास उपलब्ध धनराशि को प्रथम उपयोग के लिए आगे ले जाना;

च) गत वर्ष की आगे लाई गई अनुदान राशि के लिए तुरंत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना;

छ) सभी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के लिए वेबसाइट तैयार करना ताकि उसे ऑनलाइन आवेदन करने, शिकायत अग्रेषित करने और आंकड़ों को रिपोर्ट करने के लिए नालसा द्वारा विकसित किए जा रहे ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जा सके।

(13) आकाशवाणी के माध्यम से भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विशेष वार्ता।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की संध्या पर 18–07–2016 को देशभर में आकाशवाणी के चौनलों पर "विधिक सहायता के माध्यम से सशक्तिकरण" विषय पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, नालसा के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की गई।

(14) रिमांड अधिवक्ता

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी विचारणाधीन कैदियों को रिमांड के पहले ही दिन से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए,सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को सलाह दी गई कि वे प्रत्येक फौजदारी न्यायालय के लिए एक रिमांड वकील नियुक्त करे जो हिरासत में ऐसे अभियुक्त का प्रति निधित्व करेगा जिसका कोई प्रतिनिधि

नहीं है, उसकी रिमांड का विरोध करेगा, जमानत के लिए आवेदन और विविध आवेदन आदि प्रस्तुत करेगा और ऐसे अन्य सभी कार्य करेगा जो रिमांड के स्तर पर अभियुक्त को कारगर प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक हों। तदनुसार अधिकांश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों ने मजिस्ट्रेट न्यायालय और सत्र न्यायालय, जहां रिमांड की कार्यवाही की जाती है,के लिएएक पैनल वकील नामांकित किया है।

(15) कारागार के कैदियों से वार्ता

नालसा के अधिकारियों ने केंद्रीय कारागार (त्रिपुरा), येरवदा (पुणे), जगदलपुर (छत्तीसगढ़), दीमापुर (नागालैंड) नामक कारागारों का दौरा किया और विचारणाधीन कैदियों तथा सिद्ध–दोष कैदियों तथा जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिकारियों, अर्ध विधिक स्वयं सेवकों, पैनल वकीलों से चर्चा की तथा न्यायालयों में कैदियों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली में सुधार करने के लिए आवश्यक निदेश दिए। यह पता चला कि कई स्थानों में कैदियों को शारीरिक रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। कुछ कैदियों को उच्चतर न्यायालयों में अपनी अपीलों की स्थिति की जानकारी नहीं थी। परिणामस्वरूप हिरासत में व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधित्व के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों को भेजी गई।

(16) विचारणाधीन कैदी समीक्षा समितियां (यूटीआरसी)

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या 406ध्2013 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क का लाभ देते हुए ऐसे विचारणाधीन कैदियों को रिहा करने के निदेश दिए हैं जिन्होंने आधी सजा काट ली है। विचारणाधीन कैदी समीक्षा समितियों का गठन संबंधित जिला जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में सभी जिलों में कर दिया गया है और जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 436क का लाभ प्रदान करने के लिए विचारणाधीन कैदियों की सहायता कर रहे हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिवों द्वारा अभिनिर्धारित ऐसे 1034 मामलों में से 432 विचारणाधीन कैदियों को रिहा करने के लिए यूटीआरसी द्वारा सिफारिश की गई और इनमें से 167 को रिहा कर दिया गया।

(17) शिकायतों / लोक शिकायतों के निवारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

आम जनता की शिकायतों के कारगर और सामयिक निवारण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को सुचारु बनाने की दृष्टि से एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की गई और इसे कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकारणों को भेजा गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह प्रक्रिया अपना रहे हैं जिससे केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और अनुश्रवण तंत्र में पंजीकृत विधिक सेवाएँ प्राधिकारणों से संबंधित लंबित शिकायतों की संख्या शून्य हो गई है। बाद में इस उद्देश्य के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल भी आरंभ किया जाएगा।

(18) यौन कर्मियों को विधिक सेवाएँ

नालसा के अधिकारियों ने पुणे और सांगली में यौन कर्मियों और उनके साथ काम कर रहे सीबीओ से विचार–विमर्श किया जिससे उक्त दोनों जिलों में यौन कर्मियों और उनके साथ काम कर रहे संगठनों तथा जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों, पुलिस प्राधिकारियों और विधिक सेवाएँ संस्थानों के बीच संपर्क स्थापित हो गया।

(19) गुमशुदा और देह–व्यापार के शिकार बच्चों के पुनर्वास के बारे में दिनांक 22 और 23 अगस्त, 2016 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण ने दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण और बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से अखिल भारतीय बाल अधिकार प्रकोष्ठ के माध्यम से गुमशुदा और देह–व्यापार के शिकार बच्चों के पुनर्वास के बारे में दिनांक 22 और 23 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्घाटन भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (नालसा) ने माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल आर. दवे, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा, माननीय न्यायमूर्ति सुश्री जी. रोहिणी, मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, माननीय न्यायमूर्ति सुश्री इंदिरा बनर्जी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, जिला राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण तथा नोबल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की उपस्थिति में किया।

मसौदा मानक प्रचालन प्रक्रिया को बच्चों के मूल निवास स्थान का सरलता से और तेजी से पता लगाना सुकर बनाने तथा केंद्रीय महिला आयोग द्वारा पुनर्स्थापन और पुनर्वास हेतु योजना तैयार करने की दृष्टि से विकसित किया गया। उपर्युक्त मसौदा मानक संचालन प्रक्रिया को कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को भेजा गया है।

(20) जल संसाधन संरक्षण के लिए पहल

राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को निवारक और कार्यनीतिक स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों के भाग के रूप में "जल संसाधनों का संरक्षण" के मुद्दे को उठाने के लिए सलाह जारी की गई है। इस बारे में एक विस्तृत संकल्पना नोट सभी राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को भेजा गया है।

(21) प्रशिक्षण मॉड्यूल

नालसा की प्रशिक्षण मॉड्यूल की समिति ने दो प्रशिक्षण (i) विधिक सेवाएँ वकीलों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग–II; और (ii) किशोर न्याय (बाल संरक्षण एवं देखभाल) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्डों से जुड़े विधिक सेवाएँ वकीलों और परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं।

किशोर न्याय बोर्डों से जुड़े विधिक सेवाएँ वकीलों और परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए चार दिवसीय प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 27–30 अगस्त, 2016 के दौरान महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, ठाणे में किया गया। किशोर न्याय नियम, 2016 के प्रकाशन के पश्चात मॉड्यूल में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं और इस मॉड्यूल को विधिक सेवाएँ वकीलों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग–प्प के साथ 9 नवंबर, 2016 को जारी किया गया है।

(22) इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 30 सितंबर, 2016 को आयोजित सदस्य सचिवों, राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों की परामर्शी बैठक

विधिक सेवाएँ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उठने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों ने इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 30 सितंबर, 2016 को सदस्य सचिवों की परामर्शी बैठक आयोजित की।

(23) दूरदर्शन पर माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा का विचार–विमर्शी सत्र

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने श्री प्रकाश झा, निदेशक और निर्माता मैसर्स प्रकाश झा प्रोडक्शन्स के साथ राष्ट्रीय दूरदर्शन (दूरदर्शन) पर आए और समाज के उपेक्षित वर्गों को शीघ्र और गुणवत्तापरक विधिक सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए नालसा तथा राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया।

(24) नालसा के वेब पोर्टल का आरंभ

नालसा ने ऑनलाइन आवेदन भरने के पोर्टल के साथ शिकायतों की वेब आधारित निगरानी के लिए एक अन्य पोर्टल भी विकसित किया है। इसका शुभारंभ डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में 1 अक्तूबर, 2016 को आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा किया गया। नालसा राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों द्वारा सांख्यिकीय सूचना को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए पोर्टल विकसित करने हेतु भी कार्य कर रहा है।

(25) नालसा के थीम सॉग का लोकार्पण

दिनांक 09.04.2016 को आयोजित केंद्रीय प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया कि मैसर्स प्रकाश झा प्रोडक्शन्स द्वारा एक डॉक्यूमेंटरी, एक थीम सांग और 15 लघु कैप्सूल तैयार कराये जाएँ। भारत के माननीय न्यायमूर्ति और माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा देश भर के सभी उपेक्षित समुदायों को न्याय तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के विधिक सहायता कार्यक्रमों / पहलों को व्यापक प्रचार प्रदान करने हेतु नालसा की प्रतिबद्धता दर्शाने वाला थीम सॉग दिनांक 01–10–2016 को लोकार्पित किया गया। एक संकल्प गीत के साथ विभिन्न वर्गों को प्रदत्त विधिक सेवाएँ दर्शाते हुए एक डॉक्यूमेंटरी और लघु अवधि के 5 कैप्सूल 9 नवंबर, 2016 को विधिक सेवाएँ दिवस पर लोकार्पित किए गए।

(26) नालसा की डॉक्यूमेंटरी

प्रकाश झा प्रोडक्शन्स ने एक डॉक्यूमेंटरी का निर्माण किया है जिसमें विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को दर्शाया गया है और कुछेक ऐसे मामले उजागर किए गए हैं जिनमें उपेक्षित वर्गों के व्यक्तियों को अपनी अपनी पात्रता का दावा करने और अपने अधिकारों को प्राप्त करने में विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों द्वारा सहायता की गई है। डॉक्यूमेंटरी, थीम सॉग और रियल स्टोरी कैपसूलों को दूरदर्शन, स्थानीय केबल टीवी चौनलों, मोबाइल वैनों और अन्य विधियों से प्रचारित करने की योजना मनाई जा रही है।

(27) दिनांक 01–10–2016 को नई दिल्ली में आयोजित मध्यस्थता और आगे मार्ग प्रशस्त करने में चुनौतियों के बारे में राष्ट्रीय परामर्श

मध्यस्थता और आगे मार्ग प्रशस्त करने में चुनौतियों के बारे में राष्ट्रीय परामर्शदिनांक 01–10–2016 को डॉ डी.एस. कोठारी ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजितकी गई। उक्त कार्यशाला में राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालयों की मध्यस्थता समिति में प्रत्येक उच्च न्यायालय के 2–3 मध्यस्थोंध्प्रशिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य विधिक सेवाएँ संस्थानों और मध्यस्थता कार्यकलापों के प्रबंधन लिए मध्यस्थता समितियों के बीच समन्यवयन को बढ़ावा देना और इसके लिए आवश्यक निधियों के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना है।

(28) नालसा की दो नई योजनाएँ

(i) **नालसा (तेजाब हमले के पीड़ितों को विधिक सेवाएँ) योजना, 2016:**

लक्ष्मी बनाम भारत संघ रिट याचिका (सी0 संख्या 129ध्2006, के मामले भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 10–04–2015 के आदेश द्वारा निदेश दिया कि राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों के सदस्य सचिव इस मुद्दे को राज्य सरकार के साथ उठाएंगे ताकि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन हो और न्यूनतम 3,00,000ध– रुपए की राशि तेजाब हमले की प्रत्येक पीड़ित को उपलब्ध कराई जाए। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को निदेश दिए कि राज्य ध संघ राज्य क्षेत्रों में पीड़ित मुआवजा योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि तेजाब हमले के प्रत्येक पीड़ित को पीड़ित मुआवजा योजना का लाभ लिया जा सके। तदनुसार, तेजाब हमले के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए नालसा (तेजाब हमला पीड़ित विधिक सेवाएँ) योजना, 2016 तैयार की गई जिसका शुभारंभ 09 नवंबर, 2016 को किया गया है।

(ii) **नालसा (वरिष्ठ नागरिक विधिक सेवाएँ) योजना, 2016:**

वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवाओं लिए एक योजना तैयार की गई जिसे 09–11–2016 को लोकार्पित किया गया है।

(29) नई दिल्ली में दिनांक 23–21 अक्टूबर, को 2016 आयोजित भारत में मध्यस्थता और प्रवर्तन को सुदृढ़ करने की दिशा में राष्ट्रीय पहल।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय भारत रूपान्तरण संस्थान (एनआईटीआई) अर्थात नीति आयोग, भारत सरकार और विधि और न्याय मंत्रालय के साथ दिनांक 21–23 अक्टूबर, 2016 को दिल्ली में "भारत में मध्यस्थता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय पहल" पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। भारत के माननीय न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, नालसा इस वैश्विक सम्मेलन के मुख्य संरक्षक थे।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को इस सम्मेलन का उद्‌घाटन किया और दिनांक 23 अक्टूबर, 2016 कोसमापन सत्र को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया।

(30) विधिक सेवाएं दिवस 2016 का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ दिनांक 09.11.2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'विधिक सेवाएं दिवस' मनाया। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति श्री टी एस ठाकुर मुख्य अतिथि थे। एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें 6 भिन्न–भिन्न जोनों से सर्वोत्तम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सर्वोत्तम अर्ध–विधिकस्वयंसेवक के योगदान और दोनों श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ प्राधिकरण और व्यक्ति को सम्मानित किया गया। उपर्युक्त के अलावा, माननीय मुख्य अतिथि ने निम्नांकित का लोकार्पण भी किया:

क) विधिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए एक समूह गान (संकल्प गीत)

ख) विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा न्याय तक पहुँच की पाँच वास्तविक कहानियाँ

ग) नालसा (तेजाब हमला पीड़ित विधिक सेवाएं) योजना, 2016

घ) नालसा (वरिष्ठ नागरिक विधिक सेवाएं) योजना, 2016

ङ) विधिक सेवा अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल भाग–2

च) किशोर न्याय बोर्ड (संवेदन) से संबन्धित परिवीक्षा अधिकारियों और विधिक सेवा अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल

छ) विधिक सेवा विज्ञप्ति– तिमाही विधिक सेवाएं समाचार अंक संख्या 1 – 2

उपाबंध – XII

(कृपया अध्याय – III पैरा 1 देखें)

न्याय विभाग का संगठन–चार्ट